fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India

Safe & Nutritious Food (SNF) - A Shared Responsibility

Build a healthy nation, a happy nation

A Bouquet of Initiatives for Citizens Guidance and Behaviourial Change

to prevent food borne infections and diseases
and for complete nutrition for citizens
everywhere at all times.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016

Annual Report 2015-2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India

विषय-सूची

क्रम सं0	विवरण	पष्ठ सं0
1	झलक	01
2	खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएँ	04
3	खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम एवं अधिनियम, 2011	08
4	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	09
5	केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)	15
6	वैज्ञानिक समिति	16
7	वैज्ञानिक पैनल	17
8	मानक एवं विनियम	23
9	खाद्य आयात	27
10	प्रवर्तन--राज्यों में खाद्य संरक्षा का विनियमन	29
11	निगरानी गतिविधियाँ	37
12	गुणवत्ता आश्वासन (प्रयोगशालाएँ, नमूना-चयन एवं विश्लेशण)	38
13	कोडेक्स गतिविधियाँ	40
14	सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी)	42
15	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	45
16	प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण	47
17	सूचना प्रौद्योगिकी	49
18	आरटीआई	50
19	राजभाषा	51
20	वित्तीय विवरणियाँ	52

अध्याय-I

झलक

1.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सामग्रियों के विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए की गई है। खाद्य संरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 और छह विनियमों की अधिसूचना के बाद दिनांक 5 अगस्त 2011 से लागू हुआ। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 2015-16 के दौरान सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता के निमित्त को बढ़ावा देने का कार्य जारी रखा है।

1.2 वर्ष 2015-16 में उच्च स्तर पर कुछ परिवर्तन हुए। श्री आशीष बहुगुणा ने दिनांक 29.07.2015 से एफएसएसएआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व दिनांक 24.01.2015 से 28.07.2015 तक अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री बी. पी. शर्मा, तत्कालीन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास था। श्री वाई. एस. मलिक ने दिनांक 23.09.2015 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उनकी जगह श्री पवन अग्रवाल ने दिनांक 23.12.2015 से एफएसएसएआई के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस अंतराल के दौरान श्री आशीष बहुगुणा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

1.3 रिपोर्टगत वर्ष के दौरान खाद्य प्राधिकरण ने 4 बैठकें आयोजित कीं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। खाद्य प्राधिकरण को सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सलाहाकार समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई। वैज्ञानिक पैनलों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। प्राधिकरण ने वर्तमान में नौ वैज्ञानिक पैनलों के अतिरिक्त सात नए वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया है, जिससे वैज्ञानिक पैनलों की कुल सं0 16 हो गई है। वर्ष के दौरान विभिन्न वैज्ञानिक पैनलों ने 51 बैठकों का आयोजन किया गया है।

1.4 वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्य सामग्रियों और संयोजी पदार्थों के बारे में मानक निर्धारित करने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 11 मामलों में अंतिमित अधिसूचनाएँ जारी की गईं जबकि कई अन्य विभिन्न चरणों में थीं।

1.5 सशक्त प्रयोगशाला तंत्र के बिना खाद्य संरक्षा सुनिश्चित नहीं कराई जा सकती है। वर्ष के दौरान खाद्य उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण के लिए एफएसएसएआई ने एनएबीएल द्वारा मान्यता-प्रदत्त 16 नई प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया, जिससे अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या 98 हो गई। 2 अन्य संप्रेषण प्रयोगशालाएँ भी अधिसूचित की गईं, जिससे उनकी कुल सं0 14 हो गई है। प्राधिकरण ने विभिन्न खाद्य उत्पादों के विश्लेष्ण के लिए परीक्षण पद्धतियों के 20 वर्ष पुराने डीजीएचएस नियमावली की पुनरीक्षा करने का कार्य हाथ में लिया है। पुनरीक्षा के पहले चरण के दौरान खाद्य विश्लेष्ण पद्धतियों के 9 नए मैनुअलों का अनुमोदन किया गया है।

1.6 वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्य व्यवसायियों को 5607 केंद्रीय और 1,56,551 राज्य लाइसेंस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरणों द्वारा 3,86,518 पंजीकरण किए गए। वर्ष के दौरान 9 अन्य राज्यों ने ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण (एफएलआरएस) का कार्य आरंभ कर दिया और एफएलआरएस में लाने हेतु केवल 3 राज्य शेष है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी एफएलआरएस चालू की गई। जून 2016 में कोंकण रेलवे ने भी ऑनलाइन कार्य करना आरंभ कर दिया। रेलवे में भी संयुक्त खाद्य एवं सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की गई। वर्ष 2015-16 के अंत की स्थिति के अनुसार 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपीलीय ट्रिब्यूनलों और 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संचालन समितियों की स्थापना की गई।

1.7 एफएसएसएआई ने वर्ष 2015-16 के दौरान बंदरगाहों में पड़े खाद्य उत्पादों के परीक्षण और विश्लेष्ण के लिए 10.34 मिलियन किलोग्राम आयातित खाद्य उत्पादों के 71,368 नमूने लिए। 21,772.54 किग्रा खाद्य के 1062 नमूनों (कुल नमूनों का 1.3%) के लिए अपालन

प्रमाण-पत्र/निरस्तीकरण पत्र जारी किए गए, क्योंकि ये नमूने एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे थे।

1.8 क्षेत्र स्तर पर खाद्य संरक्षा क्षमता-निर्माण द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोशालाओं के खाद्य विश्लेरष्कों और अन्य कार्मिकों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसी प्रकार खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों से अवगत कराने के लिए अभिनामित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरे चरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे तकनीकी अधिकारियों को भी तकनीकी एवं विधिक मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया।

1.9 हितधारकों को शामिल करते हुए स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण और उन पर एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत विनियमों के अनुपालन संबंधी उपयुक्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड - दिल्ली परियोजना' आरंभ की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत 23,000 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

1.10 बढ़ते भूमंडलीकरण को देखते हुए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और बढ़िया खाना मिले । एफएसएसएआई ने 2015-16 के दौरान आयोजित कोडेक्स समिति की 17 बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने रोम, इटली में 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2015 तक हुई कोडेक्स एलीमेंटेरियस एग्जीक्यूटिव कमेटी की कार्यशाला में भी भाग लिया। भारत ने 8 इलेक्ट्रॉनिक कार्यकारी दलों की अध्यक्षता भी की; एक ईडब्ल्यूजी (जीपीएफएच और इसके एचएसीसीपी अनुबंध का पुनरीक्षण) की सह-अध्यक्षता की। भारत ने 49 इलेक्ट्रॉनिक कार्यकारी दलों (ईडब्ल्यूजी) में हिस्सा लिया और उनमें अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। समिति की बैठकों के दौरान भारत की लिखित टिप्पणियाँ और दखलें कोडेक्स सचिववालय को प्रस्तुत की गईं। सीएसी के 38वें सत्र (2015) में भारत को एशिया के लिए एफएओ/डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति (सीसीएशिया) का 2015 से दो वर्षों के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया। भारत ने कोडेक्स समितियों में तीन नए कार्यों के प्रस्ताव किए। भारत ने कोंग सार (चीन) में 23-26 नवंबर, 2015 के दौरान एशिया में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क सशक्तीकरण बैठक (इन्फोसान) और राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा तंत्रों की बैठकों में भी भाग लिया।

1.11 एफएसएसएआई द्वारा खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए फेडरल ऑफिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फूड सेफ्टी (बीवीएल) और फेडरल इंस्टीच्यूट फॉर रिस्क एसेसमेंट (बीएफआर), जर्मनी के साथ दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को आशय के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए। एन्सेस (खाद्य, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा संबंधी फ्रांसीसी एजेंसी), फ्रांस और एफएसएसएआई द्वारा खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एफएसएसएआई बैठकों के आयोजन/उनमें भागीदारी, सहयोग के संभावी क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सेमिनार आयोजित करके और उत्तम रीतियों को समझ कर एवं लागू करके विभिन्न देशों/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ लगातार खोजती रहती है।

1.12 प्राधिकरण ने राज्य सरकारों की सहायता से जागरूकता अभियान आरंभ किए हैं और उपभोक्ता मामले विभाग के साथ ''जागो ग्राहक जागो'' अभियान के तहत कार्य करना शुरू किया है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (डीडीयू एसआईआरडी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से उत्तर प्रदेश के 08 जिलों में जन संपर्क प्रेरणा कार्यक्रम (एमसीएपी) संचालित किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), भारत के लिए डब्ल्यूएचओ कंट्री ऑफिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2015 के लिए मुख्य कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। एफएसएसएआई ने लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2015 के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। गृह विज्ञान महाविद्यालय परिसर, कैम्पाल, पणजी, गोआ में स्ट्रीट फूड

विक्रेताओं के लिए दिनांक 23-24 जून, 2015 को दो-दिवसीय खाद्य संरक्षा संवेदनीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। खाद्य संरक्षा और जनता में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के संबंध में सृजनात्मक विचार लाने के लिए एफएसएसएआई द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2016 को खाद्य संरक्षा की सामाजिक विपणन और स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देने के लिए एक विचार-मंथन कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के 65 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी रूटों की मेट्रो ट्रेनों में शिक्षात्मक/जागरूकता पैनल लगाकर मार्च-अप्रैल 2016 में एक जागरूकता अभियान चलाया गया।

1.13 एफएसएसएआई ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में दिनांक 14 से 27 नवंबर, 2015 तक आयोजित 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया, जिसमें इसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ''स्वास्थ्य मंडप'' में एक स्टाल लगाई। एफएसएसएआई ने 31वें आहार मेले में भी भाग लिया, जिसमें इसने एफएसएसएआई की गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक स्टाल लगाई।

1.14 ''भारत में स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर, पोषक, सुरक्षित और स्वच्छ आहार उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश'' शीर्षक से मसौदा दिशा-निर्देश भी जारी किए गए और संबंधित प्राधिकरणों को क्रियान्वयन के लिए भेजे गए।

1.15 'डिजिटल इंडिया' भावना के मद्देनजर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों के लिए एक व्यापक आईटी तंत्र स्थापित करने के लिए एक आंतरिक आईटी अनुभाग बनाया गया है। नए समेकित तंत्र में मौजूदा आयात और लाइसेंसिंग तथा रजिस्ट्रेशन प्रणाली और खाद्य मानक निर्धारण, ईकोसिस्टम, निगरानी, प्रवर्तन, उत्पाद अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन आदि गतिविधियाँ शामिल होंगी।

1.16 ग्राहकों को अपनी बात कहने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल एप का विकास किया गया है, जिसके द्वारा जनता एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा/पंजीकृत किसी भी खाद्य व्यवसायी के पंजीकरण और लाइसेंस के विवरण की जानकारी ले सकती है। इस मोबाइल एप द्वारा उपभोक्ता खाद्य एवं खाद्य उत्पादों के संबंध में अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं।

1.17 व्यवसाय सुकरता को बढ़ाने और आयातों को तेजी से पास करने के लिए छठे स्थान अर्थात् तूतीकोरेन पर भी एफआईसीएस लागू की गई। इसके अतिरिक्त सभी गैर-एकल खिड़की स्थानों पर दिनांक 02.02.2016 से आगमन-पूर्व कागजात समीक्षा (पीएडीएस) योजना लागू की गई। इस सिस्टम के माध्यम से आयातक अपने सामान के बंदरगाह पहुँचने से पहले ही उसके कागजात की समीक्षा करा सकते हैं। इससे कागजात की समीक्षा में लगने वाले 3-4 दिनों का समय बच जाएगा। सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ खाद्य आयात प्राथमिकीकरण योजना और व्यापार सुकरता के लिए सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस शुरू करने पर भी सक्रिय रूप से चर्चा की गई।

1.18 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के सक्रिय सहयोग से देश में एफएसएस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास कर रही है।

अध्याय-2

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएँ

2.1 खाद्य पदार्थों संबंधी नियमों के समेकन का कार्य एक ही विधान के अंतर्गत लाने का कार्य कुछ समय, विशेषकर केंद्रीय सरकार द्वारा तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री की वर्ष 2002 की बजट स्पीच में अपनी मंशा जाहिर कर देने के बाद, से चल रहा था। खाद्य सामग्रियों को विनियमित करने वाले विभिन्न अधिनियमों/आदेशों के समेकन का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसने खाद्य संरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 का प्रारूप तैयार किया। इसी प्रारूप को संसद द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के रूप में अधिनियमित किया गया जो दिनांक 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 24 अगस्त 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड I में प्रकाशित हुआ। यह अधिनियम विभिन्न हितधारकों से विशद परामर्शों और अंतर-मंत्रालयी समूहों एवं स्थायी संसदीय समिति की अनेक बैठकों में चर्चाओं तथा मंत्रियों के समूह की सहमति के बाद तैयार किया गया। अंत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एफएसएस अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय मंत्रालय अधिनामित किया गया।

2.2 इस अधिनियम के पारित होने से सितंबर, 2008 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई। इससे बहु-स्तरीय नियंत्रण से एकल-स्तरीय नियंत्रण का सूत्रपात हुआ और पूर्णत: कानूनी तंत्र की बजाय स्वयं द्वारा अनुपालन पर बल दिया गया। इस अधिनियम से केंद्र और राज्यों में लाइसेंसिंग/पंजीकरण की एक जैसी प्रणाली लागू हुई। विज्ञान-आधारित खाद्य मानक तैयार करना और, जहाँ संभव हो, उन्हें कोडेक्स मानकों के समनुरूप बनाना एफएसएसएआई की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। मानकों के निर्धारण का कार्य एफएसएसएआई के अनेक वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समितियों के माध्यम से और उन पर प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद होता है।

2.3 मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी खाद्य व्यवसायी के पास निरस्त किए जा चुके किसी खाद्य विधि/आदेश के तहत कोई लाइसेंस/पंजीकरण होने पर उसे अपेक्षित पंजीकरण/लाइसेंस शुल्क देकर अपने लाइसेंस/पंजीकरण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अथवा लाइसेंस में बदलवाना होगा।

2.4 एफएसएस अधिनियम, 2006 को कुल 12 भागों में बांटा गया है।

2.4.1 भाग-I : प्रारंभिक

इस खंड में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रवर्तन, संघ द्वारा नियंत्रण के औचित्य के संबंध में घोषणा, और परिभाषाएँ दी गई हैं।

2.4.2 भाग-II : भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

इस भाग में धारा 4 से 17 हैं, जिनमें भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और बरखास्तगी, उनके कार्यकाल संबंधी निबंधन एवं शर्तें, खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यों, केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना और इसके कार्यों, वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति बनाने और उनके लिए पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं संबंधी प्रावधान हैं। इस भाग में खाद्य पदार्थों के निर्माण, संसाधन, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए आगे खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और शक्तियाँ दी गई हैं। इसमें खाद्य प्राधिकरण की बैठकें संचालित करने, बैठकों में काम के निपटान और सदस्यों द्वारा मतदान की प्रक्रिया का भी प्रावधान है।

2.4.3 भाग-III खाद्य संरक्षा के सामान्य सिद्धांत

केवल धारा 18 वाले इस अध्याय में खाद्य संरक्षा के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित उपबंध, अधिनियम के अंतर्गत विनियम बनाने या मानक निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले घटक तथा केंद्र सरकार, खाद्य प्राधिकरण, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन या कार्यान्वयन के समय पालन के सिद्धांत शामिल किए गए हैं। उपर्युक्त प्राधिकरणों को जोखिम विश्लेषण, जोखिम आकलन, जोखिम प्रबंधन, जोखिम संप्रेषण, जनता से पारदर्शी परामर्श, उपभोक्ता हितों के संरक्षण इत्यादि से मार्गदर्शन मिलेगा। इससे खाद्य प्राधिकरण को अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर अन्य सामान्य सिद्धांत अधिसूचित करने की शक्ति मिलती है।

अग्रिम, इसमें यह निर्धारित है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक या मछुआरे या कृषि कार्यों या फसलों या पशुधन या मत्स्य-पालन और कृषि कार्यों में प्रयुक्त अथवा उत्पादित या खेत में किसी कृषक द्वारा उत्पादित फसल-उत्पाद या किसी मछुआरे द्वारा अपने कार्यों से उत्पादित उत्पाद पर लागू नहीं होंगे।

2.4.4 अध्याय–IV खाद्य सामग्रियों के संबंध में सामान्य सिद्धांत

इस अध्याय में धारा 19 से 24 हैं। इसमें निर्धारित है कि किसी खाद्य सामग्री में संदूशक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आविषालु पदार्थ अथवा जैव विश अथवा हार्मोन अथवा भारी धातुएँ, कीटनाशक, फसल कीटनाशक, पशुओं की दवाइयों के अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलायक अवशिष्ट, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्म-जीव विनियमों में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होंगे। धारा 19 द्वारा मानकों/विनियमों में निर्दिष्ट सामग्रियों के अलावा खाद्य संयोजी पदार्थों अथवा खाद्य प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ के प्रयोग की अनुमति नहीं है। धारा 22 द्वारा खाद्य की उन विभिन्न श्रेणियों पर प्रतिबंध है, जो विनियमों द्वारा निर्धारित स्तरों के अनुरूप नहीं हैं।

धारा 23 खाद्य पदार्थों को पैक करने और उन पर लेबल लगाने की अपेक्षाओं के संबंध में है। धारा 24 द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध है और अनुचित व्यापारिक रीतियाँ वर्जित हैं। इसमें यह भी उपबंध है कि पैकेजबंद खाद्य उत्पाद की मार्किंग और लेबलिंग यथानिर्धारित रीति से की जाएगी। इसके द्वारा आम जनता को मानकों, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता के बारे में भ्रमित करने के लिए छलपूर्ण रीतियों अथवा पर्याप्त अथवा वैज्ञानिक औचित्य के बिना उत्पाद की प्रभावकता की गारंटी देने पर प्रतिबंध है।

2.4.5 अध्याय-V आयात के संबंध में उपबंध

इस अध्याय में केवल धारा 25 है। इस धारा द्वारा अधिदेश है कि खाद्य पदार्थों के आयात अधिनियम के उपबंधों के अधीन हैं। इसमें उपबंध है कि कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई खाद्य सामग्री भारत में आयात नहीं करेगा। इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्र सरकार विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन किसी खाद्य पदार्थ का आयात निषिद्ध करने, प्रतिबंधित करने अथवा उसका अन्यथा विनियमन करने के समय खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुसरण करेगी।

2.4.6 अध्याय-VI खाद्य संरक्षा के संबंध में विशेष दायित्व

इस अध्याय में धारा 26 से 28 हैं। इसमें खाद्य व्यवसायी के लिए यह सुनिश्चित करने के दायित्व का उपबंध है कि खाद्य सामिग्रयाँ उसके नियंत्रणाधीन व्यवसाय में उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण तथा बिक्री के सभी चरणों पर अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी। धारा 27 खाद्य सामग्रियों के अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अनुरूप न होने पर उनके निर्माताओं, वितरकों एवं विक्रेताओं के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 28 में खाद्य सामग्रियों के अधिनियम और उसके अधीन बने विनियमों के उपबंधों के अनुरूप न होने पर उन्हें वापस मंगाने और खाद्य व्यवसायी के दायित्वों का उल्लेख है।

2.4.7 अध्याय-VII अधिनियम का प्रवर्तन

इस अध्याय में धारा 29 से 42 तक हैं। इनमें खाद्य प्राधिकरण तथा राज्य खाद्य प्राधिकरणों के दायित्वों सहित प्रवर्तन संबंधी उपबंध हैं। इनमें राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त की नियुक्ति, खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस देने और उसके पंजीकरण, सुधार की सूचनाओं, निषेध आदेशों, आपात निषेध सूचनाओं और आदेशों, खाद्य में विषाक्तता की अधिसूचना, अभिनामित अधिकारी, खाद्य संरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, उनकी शक्तियों, दायित्वों, तलाशी, जब्ती, अभियोजन की शक्तियों और उनकी प्रक्रिया और क्रेता द्वारा किसी खाद्य का विश्लेषण कराने का उपबंध है।

2.4.8 अध्याय-VIII खाद्य विश्लेशण

इस अध्याय में शामिल धारा 43 से 47 तक में प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं और रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं, खाद्य विश्लेषक, खाद्य विश्लेषक के कार्यों तथा खाद्य के नमूने लेने तथा विश्लेषण से संबंधित उपबंध हैं।

2.4.9 अध्याय-IX : अपराध और दंड

इस अध्याय में धारा 48 से 67 हैं। इसमें मांगी गई प्रकृति अथवा तत्व अथवा गुणता के खाद्य, घटिया खाद्य, गलत ब्रांड के खाद्य बेचने, भ्रामक विज्ञापन देने बाहरी सामग्री वाले खाद्य, अस्वच्छ अथवा गंदे प्रसंस्करण और मिलावट वाले खाद्य बेचेने संबंधी अपराधों और उनके लिए दंड का उपबंध है। इस अध्याय में असुरक्षित खाद्य, जब्त वस्तुओं से छेड़खानी करने, गलत सूचना देने, खाद्य संरक्षा अधिकारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने या उसका छद्म रूप धारण करने, लाइसेंस के बिना व्यवसाय करने के लिए दंड और किसी उपभोक्ता के घायल होने अथवा उसकी मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा देने का उपबंध है।

2.4.10 अध्याय-X निर्णयन और खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल

धारा 68 से 80 तक वाले इस अध्याय में राज्य सरकारों को जिले में निर्णय अधिकारी अधिसूचित करने का प्राधिकार है। इसमें अपराधों को एक साथ मिलाने, अभिनामित अधिकारियों की शक्तियाँ, खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना तथा उसकी प्रक्रियाओं और शक्तियों की परिभाषाएँ दी गई हैं। यह अध्याय ऐसे मामलों में न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र को वर्जित करता है, जिनमें अधिनियम द्वारा निर्णय अधिकारी अथवा ट्रिब्यूनल को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अधिनियम में उपबंध है कि न्यायालय मामलों पर सरसरी तौर पर विचार कर सकते हैं। अधिनियम में खाद्य संबंधी अपराधों के लिए विशेश न्यायालय स्थापित करने और लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध भी है।

2.4.11 अध्याय-XI वित्त, लेखे, लेखा-परीक्षा और रिपोर्टें

इस अध्याय में धारा 81 से 84 तक हैं, जिनमें खाद्य प्राधिकरण से उसकी अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शाने वाला वार्षिक बजट तैयार करने की अपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार उतनी राशि का अनुदान देगी, जो उसे उचित प्रतीत हो। इसमें प्रावधान है कि खाद्य प्राधिकरण उपयुक्त लेखे-जोखे तथा लेखों की वार्षिक विवरणी रखेगी। खाद्य प्राधिकरण से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

2.4.12 अध्याय-XII : विविध

इस अध्याय में धारा 85 से 101 तक हैं। इसमें केंद्र सरकार को खाद्य प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों को निर्देश देने तथा उनसे रिपोर्टें तथा विवरणियाँ प्राप्त करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस अध्याय द्वारा इस अधिनियम को खाद्य संबंधी अन्य सभी विधियों से ऊपर रखा

गया है। इसमें केंद्र सरकार को नियम बनाने और खाद्य प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अध्याय में राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति और पारितोषिक देने व दंड की राशि वसूलने की प्रक्रिया दी गई है।

अनुसूचियाँ

इस अधिनियम के अंत में दो अनुसूचियाँ दी गई हैं। पहली अनुसूची में उन पाँच अंचलों का विवरण है, जिनमें सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को बांटा गया है। दूसरी अनुसूची में अधिनियम तथा वे विभिन्न आदेश दिए गए हैं, जो इस अधिनियम के प्रवर्तन से निरस्त हो गए हैं।

अध्याय-3

खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम और विनियम, 2011

3.1 केंद्र सरकार ने खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अधिसूचित किए, जो 5 अगस्त 2011 से लागू हुए।

3.2 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एफएसएसएआई ने 1 अगस्त, 2011 को भारत के राजपत्र में निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए, जो दिनांक 5 अगस्त, 2011 से लागू हुए:

(i) खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस प्रदायगी और पंजीकरण) विनियम, 2011

(ii) खाद्य संरक्षा एवं मानक (पैकेंजिग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011

(iii) खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011

(iv) खाद्य संरक्षा एवं मानक (विक्रय निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011

(v) खाद्य संरक्षा एवं मानक (संदूषक, जैव विष और अवशिष्ट) विनियम, 2011

(vi) खाद्य संरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला और प्रतिचयन विश्लेशण) विनियम, 2011

3.3 इसी के साथ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित विधान और आदेश दिनांक 5.8.2011 से निरस्त हो गए।

3.4 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम दिनांक 05.08.2011 से परिचालनीय हुआ। इसी के साथ खाद्य को विनियमित करने वाला ढाँचा 'खाद्य अपमिश्रण के सीमित निवारण' से 'सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर' खाद्य में बदल गया।

3.5 मौजूदा खाद्य मानकों की पुनरीक्षा तथा कोडेक्स एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तम रीतियों से उनके सुमेलन का कार्य प्रारंभ किया गया और जोखिम आकलन इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समितियों के गठन के साथ वैज्ञानिक ढाँचा भी तैयार हो गया।

अध्याय -4

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

4.1 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना 2008 में की गई थी। यह खाद्य संरक्षा एवं खाद्य मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक संस्था है और इसकी स्थापना से बहु:स्तरीय, बहु:विभागीय नियंत्रण के स्थान पर एकल नियंत्रण का युग आरंभ हो गया।

4.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का प्रशासकीय मंत्रालय है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली-110002 में कोटला रोड स्थित एफडीए भवन में है।

4.3 एफएसएस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण के एक अध्यक्ष तथा निम्नलिखित 22 सदस्य होंगे, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएँ होंगी, अर्थात् :-

(क) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून स्तर के सात सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जो केंद्र सरकार के निम्नलिखित कार्य देखने वाले विभागों से होंगे-

(i) कृषि,

(ii) वाणिज्य,

(iii) उपभोक्ता मामले,

(iv) खाद्य प्रसंस्करण,

(v) स्वास्थ्य,

(vi) विधायी मामले,

(vii) लघु स्तर उद्योग,

जो पदेन् सदस्य होंगे;

(ख) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से एक लघु स्तर उद्योग से होगा;

(ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि;

(घ) तीन ख्याति-प्राप्त खाद्य प्रोद्यौगिकीविद या वैज्ञानिक;

(ड.) राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले और बारी-बारी से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किए जाने वाले पाँच सदस्य, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अंचलों से क्रमानुसार होंगे;

(च) कृषक संगठनों के प्रतिनिधि दो व्यक्ति;

(छ) खुदरा विक्रेता संगठनों का प्रतिनिधि एक व्यक्ति;

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) खाद्य प्राधिकरण के विधिक प्रतिनिधि और खाद्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव हैं।

एफएसएसएआई का चित्रात्मक रूपांकन

4.4 अधिनियम की धारा 16 के तहत खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और शक्तियाँ निम्न प्रकार विहित हैं:-

(1) खाद्य प्राधिकरण का दायित्व होगा कि वह खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय तथा आयात को विनियमित करे और उसकी मानीटरिंग करे, जिससे सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य सुनिश्चित हो सके।

(2) उप धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खाद्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा निम्नलिखित निर्दिष्ट कर सकती है:

(क) खाद्य सामग्रियों के संबंध में मानक तथा दिशा-निर्देश तथा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विविध मानकों के प्रवर्तन हेतु समुचित प्रणाली;

(ख) खाद्य संयोजी पदार्थों, फसल संदूशकों, फसल कीटनाशी अवशिष्टों, पशु औषधि अवशिष्टों, भारी धातुओं, प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों, कवक विश, प्रतिजैविकों एवं भेषजीय रूप से सक्रिय सामग्रियों के प्रयोग एवं खाद्य पदार्थों के प्रदीपन की सीमाएँ;

(ग) खाद्य व्यवसाय के लिए खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन से जुड़े प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन हेतु कार्य-प्रणाली तथा दिशा-निर्देश;

(घ) भारत में आयातित किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया और उसका प्रवर्तन;

(ङ) प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करने की प्रक्रिया और दिशा-निर्देश;

(च) नमूने लेने, विश्लेषण करने और प्रवर्तन विभागों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान की विधि;

(छ) देश में इस अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन का सर्वेक्षण;

(ज) स्वास्थ्य, पोषण, विशेष आहारिक उपयोगों पर दावों सहित खाद्य लेबलिंग मानक और खाद्य सामग्रियों की खाद्य श्रेणी प्रणालियाँ;

(झ) वे तरीके तथा प्रक्रियाएँ जिनके अंतर्गत जोखिमों का विश्लेषण, आकलन, संप्रेषण तथा प्रबंधन किया जाएगा;

(3) खाद्य प्राधिकरण के ये कर्तव्य भी होंगे:

(क) केंद्र एवं राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों की नीतियाँ और नियम बनाने में वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहयोग देना, जिनका खाद्य संरक्षा और पोषण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है;

(ख) संगत वैज्ञानिक और तकनीकी आँकड़े खोजना, उनका संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और सारांश तैयार करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में-

(i) खाद्य उपभोग और लोगों के खाद्य उपभोग संबंधी जोखिमों में होने की स्थिति;

(ii) जैविक खतरों का घटन और उनकी व्यापकता;

(iii) खाद्य पदार्थों में संदूशक;

(iv) विभिन्न संदूशकों के अवशिष्ट;

(v) उभरते जोखिमों की पहचान; और

(vi) द्रुत चेतावनी प्रणाली आरंभ करना;

(ग) जोखिम आकलन की कार्य-पद्धतियों के विकास हेतु दिशा-निर्देशों को बढ़ावा देना और उनके लिए समन्वय करना तथा खाद्य सामग्रियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खतरों के संदेशों की मानीटरिंग करना और उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और खाद्य संरक्षा आयुक्तों को भेजना;

(घ) खाद्य संरक्षा संबंधी आपदाओं के प्रबंधन की प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह देना और उनको सहयोग देना, आपदा प्रबंधन के संबंध में एक आम योजना तैयार करना और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध मे स्थापित आपदा यूनिट के साथ निकट सहयोग से कार्य करना;

(ङ) गतिविधियों का ताल-मेल करके, सूचना का आदान-प्रदान करके, संयुक्त योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन करके तथा खाद्य प्राधिकरण के दायित्वों के अधीन क्षेत्रों की विशेषज्ञता और उत्तम रीतियों का आदान-प्रदान करके वैज्ञानिक सहयोग के ढाँचे का गठन सुलभ बनाने के लिए विभिन्न संगठनों की नेटवर्क प्रणाली तैयार करना;

(च) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग में सुधार के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान कराना;

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना कि जन साधारण, उपभोक्ता, इच्छुक पार्टी और पंचायत के सभी स्तरों को त्वरित, विश्वसनीय, विषय से संबंधित सूचनाएँ उपयुक्त तरीकों तथा साधनों से पर्याप्त रूप में मिलें।

(ज) खाद्य व्यवसायी अथवा कर्मचारी अथवा अन्य रूप में खाद्य व्यवसाय में रत अथवा इस व्यवसाय में आने के इच्छुक अपने क्षेत्र या बाहर के व्यक्तियों को खाद्य संरक्षा और मानकों के बारे में प्रशिक्षण देना;

(झ) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य करना;

(ञ) खाद्य, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण में सहयोग करना;

(ट) जहाँ संगत और उपयुक्त हो, खाद्य संबंधी विशिष्ट उपायों की समतुल्यता पर सहमति बनाने के लिए योगदान देना;

(ठ) खाद्य मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य में ताल-मेल को बढ़ाना;

(ड) यह सुनिश्चित करते हुए कि देश में अपनाए गए संरक्षण का स्तर कम न हो, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और राष्ट्रीय खाद्य मानकों में समनुरूपता को बढ़ावा देना;

(ढ) खाद्य संरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में आम जागरूकता को बढ़ावा देना;

(4) खाद्य प्राधिकरण बिना किसी अनुचित विलंब के निम्नलिखित सूचना सार्वजनिक करेगी:

(क) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों की राय उनके अंगीकरण के तुरंत बाद;

(ख) खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी; सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों की रुचियों की हर वर्ष घोषणा के साथ-साथ बैठकों की कार्यसूचियों की मदों संबंधी रुचियों, यदि कोई हो, की घोषणा;

(ग) अपने वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम; और

(घ) अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट;

(5) खाद्य प्राधिकरण समय.समय पर खाद्य संरक्षा और मानकों के बारे में खाद्य संरक्षा आयुक्तों को निदेश दे सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें मानने को बाध्य होंगे;

(6) खाद्य प्राधिकरण इसे प्राप्त ऐसी कोई गोपनीय जानकारी किसी तृतीय पक्ष को उजागर नहीं करेगी अथवा नहीं करवाएगी, जिसे गोपनीय रखने का अनुरोध किया गया हो और उसे मान लिया गया हो, सिवाय ऐसी सूचना के जो जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक की जानी अनिवार्य हो;

4.5 वर्ष 2015-16 के दौरान खाद्य प्राधिकरण का संघटन निम्नानुसार था:

खाद्य प्राधिकरण के सदस्य	
अध्यक्ष	
श्री बी पी शर्मा (04.02.2015 से 28.07.2015) श्री आशीष बहुगुणा (29.07.2015 से 31.03.2016)	
सदस्य सचिव (सीईओ)	
श्री आशीष बहुगुणा (29.07.2015 से 22.12.2015) (अतिरिक्त प्रभार) श्री पवन अग्रवाल (23.12.2015 से 31.03.2016)	
धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत पदेन् सदस्य	
1	श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नवंबर, 2014 से)
2	श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय (नवंबर, 2014 से)
3	(i) श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (25.11.2014 से 28.01.2016 तक) (ii) श्री संतोश कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (28.01.2016 से)
4	(i) श्री मनोज परिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय (25.11.2014 से 28.01.2016 तक) (ii) श्री पी वेंकटा रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय (28.01.2016 से)
5	श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (नवंबर, 2014 से)
6	डॉ. रीता वशिष्ट, अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (नवंबर, 2014 से)

7	(i) श्रीमती सुनीता छिब्बा, अतिरिक्त विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्यम (25.11.2014 से 28.01.2016) (ii) श्री मनोज जोशी, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्यम (28.01.2016 से)
	सदस्य
	अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त
8	श्रीमती श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोड्यूसर्स एसोशिएशन
9	श्रीमती मीतू कपूर, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
10	श्री तंगलुरा, मिजोरम कंज्यूमर्स यूनियन
11	श्री वासुदेव, के. ठक्कर, वी. केयर राइट एंड ड्यूटी एन.जी.ओ.
	अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत नियुक्त
12	प्रो. (डॉ.) ए. के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
13	डॉ. ललिता रामकृष्ण गौड़ा, प्रोटीन रासायनिकी एवं प्रौद्यौगिकी विभाग
14	डॉ. गुरुदयाल सिंह टोटेजा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिशद्
	अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त
15	गोआ सरकार के प्रतिनिधि
16	हिमाचल सरकार के प्रतिनिधि
17	छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि
18	असम सरकार के प्रतिनिधि
19	चंडीगढ़ सरकार के प्रतिनिधि
	अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्त
20	श्री बालासुब्रमण्यम् वी., प्रॉन फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
21	श्री अबुलकलाम, मदीना मुनवरे कैफी इस्टेट
	अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त
22	डॉ. ए. आर. शर्मा, रिसेला हैल्थ फूड्स लिमिटेड

4.6 वर्ष 2015.16 के दौरान खाद्य प्राधिकरण की चार बैठकें निम्नानुसार हुईं:

क्रम सं0	खाद्य प्राधिकरण की बैठकें	तिथि
1	प्राधिकरण की 17वीं बैठक	18 मई, 2015
2	प्राधिकरण की 18वीं बैठक	04 सितंबर, 2015
3	प्राधिकरण की 19वीं बैठक	06 नवंबर, 2015
4	प्राधिकरण की 20वीं बैठक	27 जनवरी, 2016

4.7 विनियम, दिशा-निर्देश, मसौदा अधिसूचनाएँ, अंतिमित अधिसूचनाएँ खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद जारी की जाती हैं। 2015-16 के दौरान मानकों, विनियमों की स्थिति अध्याय 8 में दी गई है।

अध्याय - 5

केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

5.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 11 द्वारा केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना का प्रावधान और धारा 12 में सीएसी के कार्यों का वर्णन है।

5.2 केंद्रीय सलाहकार समिति में खाद्य उद्योग, क़षि, उपभोक्ता, संगत अनुसंधान संस्थाओं और खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो-दो सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त खाद्य संरक्षा के सभी आयुक्त और वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष इसके पदेन् सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय सलाहकार समिति का पदेन् अध्यक्ष होता है।

5.3 केंद्र सरकार के कृषि, पशुपालन और डेयरी उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण तथा वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, लघु उद्योग एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों अथवों विभागों अथवा सरकारी संस्थानों या संगठनों और सरकार द्वारा मान्यता-प्रदत्त कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों को केंद्रीय सलाहकार समिति की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

5.4 केंद्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण तथा प्रवर्तन एजेंसियों एवं खाद्य क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों के बीच निकटता सुनिश्चित करती है।

5.5 समिति का मूल अधिदेश प्राधिकरण का कार्रवाई कार्यक्रम बनाना, कार्य का प्राथमिकीकरण निश्चित करना, संभावी जोखिमों की पहचान करना और ज्ञान का संग्रह करना है।

5.6 वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकें निम्नानुसार 3 बार हुईं:

क्रम सं0	सीएसी बैठक	तिथि
1	सीएसी की 14वीं बैठक	4 जून, 2016
2	सीएसी की 15वीं बैठक	13 अक्टूबर, 2016
3	सीएसी की 16वीं बैठक	3 फरवरी, 2016

अध्याय - 6

वैज्ञानिक समिति

6.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 14 में वैज्ञानिक समिति के गठन का उपबंध है, जिसमें वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और वैज्ञानिक पैनलों से असंबद्ध छह स्वतंत्र विज्ञानी होते हैं। इस समिति का कार्य खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय देना, वैज्ञानिक राय की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामान्य ताल-मेल, विशेष रूप से कार्य प्रक्रियाओं एवं वैज्ञानिक पैनलों की कार्य प्रणालियों का सुमेलन, करना है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में न आने वाले मुद्दों पर राय प्रदान करती है और वैज्ञानिक पैनल के अंतर्गत न आने वाले मुद्दों पर कार्य-समूह गठित करती है। वैज्ञानिक समिति अपना अध्यक्ष अपने सदस्यों में से चुनती है।

6.2 2015-16 के दौरान वैज्ञानिक समिति ने 4 बैठकें निम्नानुसार कीं:

क्रम सं0	बैठक सं0	बैठक की तिथि
1	17वीं	17 जून, 2015
2	18वीं	21 सितंबर, 2015
3	19वीं	23 नवंबर, 2015
4	20वीं	18 जनवरी, 2016

6.3 वैज्ञानिक समिति द्वारा इन बैठकों के दौरान की गई सिफारिशें खाद्य प्राधिकरण के समक्ष मसौदा अधिसूचनाएँ और अंतिमित अधिसूचनाएँ जारी करने के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थीं।

अध्याय - 7

वैज्ञानिक पैनल

7.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 द्वारा विषय-सापेक्ष वैज्ञानिक पैनलों के गठन का उपबंध है, जिनमें स्वतंत्र विज्ञान विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ जोखिम आकलन इकाई के रूप में काम करते हैं और अपनी सुविचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।

7.2 खाद्य प्राधिकरण के पास नए सदस्य बनाकर या मौजूदा सदस्यों को हटाकर या पैनल का नाम बदलकर, जैसी भी स्थिति हो, वैज्ञानिक पैनलों का समय-समय पर पुनर्गठन करने का अधिकार है। वैज्ञानिक पैनल अपने अध्यक्ष का चयन अपने सदस्यों में से करते हैं।

7.3 खाद्य प्राधिकरण ने मौजूदा 09 वैज्ञानिक पैनलों के अतिरिक्त 07 नए वैज्ञानिक पैनल गठित किए हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित 16 वैज्ञानिक पैनलों ने काम किया:

(i) प्रयोजनमूलक खाद्य, पोषण सामग्रियाँ, आहारीय उत्पाद और अन्य समान उत्पाद पैनल।

(ii) प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति पैनल।

(iii) खाद्य संयोजी, सुवासकारी, प्रसंस्करण सहायक सामग्री एवं खाद्य संपर्क सामग्रियाँ पैनल।

(iv) खाद्य श्रृंखला संदूशक पैनल।

(v) जैविक खतरे पैनल।

(vi) फसल कीटनाशी और प्रतिजैविक अवशिष्ट पैनल।

(vii) लेबलिंग और दावे, विज्ञापन पैनल।

(viii) जीन-परिवर्तित सूक्ष्म जीवाणु एवं खाद्य पैनल।

(ix) मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद पैनल।

(x) मिठाई, मिष्टान्न, मधुरक, शर्करा एवं शहद पैनल।

(xi) जल (सुवासित जल सहित) एवं पेय पदार्थ (एल्कोहलीय एवं एल्कोहलरहित) पैनल।

(xii) तेल एवं वसा पैनल।

(xiii) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद पैनल

(xiv) मांस एवं पोल्ट्री सहित मांस उत्पाद पैनल।

(xv) अनाज, दालें एवं फलियाँ और उनके उत्पाद पैनल (बेकरी सहित)।

(xvi) फल एवं वनस्पति और उनके उत्पाद (सूखे फल, मेवे, लवण, मसालों सहित) पैनल।

7.4 वैज्ञानिक पैनलों ने अवधि के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनेक बैठकें कीं:

क्रम सं0	वैज्ञानिक पैनल	बैठक संख्या	बैठक की तिथि
1.	प्रयोजनमूलक खाद्य, पोषण सामग्रियाँ, आहारीय उत्पाद और अन्य समान उत्पाद पैनल	25वीं बैठक	23 अप्रैल, 2015
		26वीं बैठक	25 जून, 2015
		27वीं बैठक	4 सितंबर, 2015
		28वीं बैठक	21 सितंबर, 2015
		29वीं बैठक	17 नवंबर, 2015
		30वीं बैठक	22 दिसंबर, 2015
2.	प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति पैनल	12वीं बैठक	22 जून, 2015
		13वीं बैठक	28 अक्टूबर, 2015
		14वीं बैठक	9 दिसंबर, 2015
3.	खाद्य संयोजी, सुवासकारी, प्रसंस्करण सहायक सामग्री एवं खाद्य संपर्क सामग्रियाँ पैनल	22वीं बैठक	12 व 13 मई, 2015
		23वीं बैठक	15 अक्टूबर, 2015
		24वीं बैठक	9 व 10 दिसंबर,2015
		25वीं बैठक	17 व 18दिसंबर,2015
		26वीं बैठक	27 जनवरी, 2015
4.	खाद्य श्रृंखला संदूशक पैनल	10वीं बैठक	11 सितंबर, 2015
		11वीं बैठक	8 दिसंबर, 2015
		12वीं बैठक	30 मार्च, 2015
5.	जैविक खतरे पैनल	14वीं बैठक	21 व 22 मई, 2015
		15वीं बैठक	13 अक्टूर, 2015
		16वीं बैठक	22 दिसंबर, 2015
		17वीं बैठक	11, 12 जनवरी, 2015
		18वीं बैठक	17, 18 फरवरी, 2015
		19वीं बैठक	28 मार्च, 2015

क्रम सं0	वैज्ञानिक पैनल	बैठक संख्या	बैठक की तिथि
6.	फसल कीटनाशी और प्रतिजैविक अवशिष्ट पैनल	36वीं बैठक	21 मई, 2015
		37वीं बैठक	18 जून, 2015
		38वीं बैठक	29 जुलाई, 2015
		39वीं बैठक	8 सितंबर, 2015
		40वीं बैठक	19 नवंबर, 2015
		41वीं बैठक	19 जनवरी, 2015
		42वीं बैठक	15 मार्च, 2015
7.	लेबलिंग और दावेविज्ञापन पैनल	19वीं बैठक	2 दिसंबर, 2015
8.	मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद पैनल	6ठी बैठक	30 अप्रैल, 2015
		7वीं बैठक	7 मई, 2015
		8वीं बैठक	7 दिसंबर, 2015
9.	मिठाई, मिष्टान्न, मधुरक, शर्करा एवं शहद पैनल	पहली बैठक	1 सितंबर, 2015
		दूसरी बैठक	12 अक्टूबर, 2015
		तीसरी बैठक	13 जनवरी, 2016
10.	जल (सुवासित जल सहित) एवं पेय पदार्थ (एल्कोहलीय एवं एल्कोहलरहित) पैनल	पहली बैठक	22 जुलाई, 2015
		दूसरी बैठक	19 अक्टूबर, 2015
		तीसरी बैठक	20 जनवरी, 2016
		चौथी बैठक	10 मार्च, 2016
11.	तेल एवं वसा पैनल	पहली बैठक	29 अक्टूबर, 2015
		दूसरी बैठक	8 जनवरी, 2016
		तीसरी बैठक	11 मार्च, 2016
12.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद पैनल	पहली बैठक	18 दिसंबर, 2015
13.	मांस एवं पोलट्री सहित मांस उत्पाद पैनल	पहली बैठक	16 दिसंबर, 2015
		दूसरी बैठक	29 मार्च, 2016
14.	अनाज, दालें एवं फलियाँ और उनके उत्पाद पैनल (बेकरी सहित	पहली बैठक	3 दिसंबर, 2015
		दूसरी बैठक	18 फरवरी, 2016
15.	फल एवं वनस्पति और उनके उत्पाद (सूखे फल, मेवे, लवण, मसालों सहित) पैनल	पहली बैठक	17 दिसंबर, 2015
		दूसरी बैठक	24 फरवरी, 2016

कार्य बल समूह/विशेशज्ञ समूह

7.5 अधिकार क्षेत्र के विषय पर सिफारिशें करने के लिए कार्य बल/ विशेषज्ञ समूह बनाए गए थे। 2015.16 के दौरान इन समूहों की कुछ बैठकें निम्न विवरण के अनुसार हुई।

क्रम सं0	नाम	बैठक संख्या	बैठक की तिथि
1	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद कार्य बल समूह	10वीं बैठक	12 मई, 2015
2	एल्कोहलीय पेय विशेषज्ञ समूह	11वीं बैठक	7 व 8 अप्रैल, 2015
3	वसा, शर्करा एवं लवण विशेषज्ञ समूह	पहली बैठक	17 जुलाई, 2015
		दूसरी बैठक	14 सितंबर, 2015
		तीसरी बैठक	24 नवंबर, 2015
		चौथी बैठक	2 फरवरी, 2016

7.6 इन बैठकों के दौरान वैज्ञानिक पैनलों/ कार्य बल/विशेषज्ञों के समूहों के द्वारा की गई सिफारिशें आगे विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए वैज्ञानिक समिति के समक्ष रखी गई थीं।

7.7 खाद्य संरक्षा के संबंध में एक व्यापक डैटा बेस तैयार करने के लिए दिनांक 19-20 जून, 2015 को सूक्ष्म जैविक जोखिम आकलन के सिद्धांतों और दिशा.निर्देशों पर दो दिवसीय परामर्श का आयोजन किया गया। इस परामर्श में इस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने भाग लेकर मांस, मछली, दुग्ध, फल और सब्जी, मसाले, जड़ी-बूटियों आदि के सूक्ष्म जैविक जोखिम आकलन के दृष्टिकोणों, कार्य-पद्धतियों और केस विश्लेषण पर चर्चा की।

7.8 पशुओं, पोल्ट्री, मछली और प्रसंस्कृत खाद्य से तैयार किए गए खाद्यों में फसल कीटनाशियों, पशु औषधियों और प्रतिजैविकों के अवशिष्टों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर दिनांक 01.02.2016 और 02.02.2016 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला एफएसएसएआई और हितधारकों के मध्य पेशेवर सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, फसल कीटनाशियों, प्रतिजैविकों और पशु औषधियों के अवशिष्टों की अधिकतम सीमाएँ निर्धारित करने की प्रक्रियाएँ बनाने और उनके तकनीकी ज्ञान में सुधार करने के उद्देश्य से की गई। दूसरे दिन के प्रायोगिक कार्य से भागीदारों को जोखिम आकलन का व्यावहारिक अनुभव हुआ।

वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन

7.9 नए खाद्य उत्पादों के मानक बनाने अथवा खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के वर्तमान मानकों की पुनरीक्षा करने के लिए वैज्ञानिक समिति और कुछ वैज्ञानिक पैनलों के पुनर्गठन का कार्य आरंभ किया गया। इस संबंध में वैज्ञानिक समिति और निम्नलिखित वैज्ञानिक पैनलों के लिए योग्य पेशेवरों/ वैज्ञानिकों/विषय विशेषज्ञों से किसी संस्था अथवा वैज्ञानिक निकाय अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करने की बजाय निजी सामर्थ्य से आवेदन करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाली गई और प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई:

(क) खाद्य संयोजी पदार्थ, सुवासकारी, प्रसंस्करण सहायक सामग्री और खाद्य संपर्क सामग्री:

(ख) फसल कीटनाशी एवं प्रतिजैविक अवशिष्ट;

(ग) जीन-परिवर्तित सूक्ष्म जीवाणु एवं खाद्य;

(घ) प्रयोजनमूलक खाद्य, पोषण सामग्रियाँ, आहारीय उत्पाद एवं अन्य समान उत्पाद;

(ङ) जैविक खतरे;

(च) खाद्य श्रृंखला संदूशक;

(छ) लेबलिंग और दावे/विज्ञापन;

(ज) प्रतिचयन एवं विश्लेषण पद्धतियाँ; और

(झ) मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद;

दिनांक 19-20 जून, 2015 को आयोजित सूक्ष्म जैविक जोखिम आकलन के सिद्धांत और दिशा-निर्देश पर परामार्श

पशुओं, पोल्ट्री, मछली और प्रसंस्कृत खाद्य से तैयार खाद्यों में फसल कीटनाशियों, पशु औषधियों और प्रतिजैविकों के अवशिष्टों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए दिनांक 01-02.02.2016 को हुई कार्यशाला

अध्याय - 8

खाद्य मानकों का निर्धारण और उनके विनियमों का प्रकाशन

भारतीय मानकों का कोडेक्स मानकों से सुमेलन

8.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ड) के अंतर्गत एफएसएसएआई का दायित्व है कि वह सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अनुरूपता का संवर्धन करे। कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग द्वारा अंगीकृत मानक और अन्य दिशा-निर्देश सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और डब्ल्यूटीओ के ढाँचे में संदर्भ बिंदु भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के एफएओ और डब्ल्यूएचओ देशों को अपने मानकों को कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं।

उपरोक्त की दृष्टि से भारत के मानकों की पुनरीक्षा करके उन्हें भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संभव सीमा तक कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाना उचित समझा गया। सुमेलन की इस प्रक्रिया में निम्नलिखित मानक बनाए गए हैं:

भारतीय मानकों का कोडेक्स मानकों से सुमेलन	
1.	खाद्यों में भारी धातुओं की सीमा
2.	प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जैव विषों के लिए मानक (नोट्स)
3.	कवक विश मानक
4.	स्टेवियॉल ग्लिकोसाइड्स मानक
5.	खाद्य संयोजी पदार्थों का कोडेक्स मानकों से सुमेलन

8.2 2015-16 के दौरान मानकों और विनियमों की स्थिति

अंतिमित अधिसूचनाएँ जारी की गईं	
क्रम सं0	विनियम/मानक
1	खाद्यों में ट्रांस-फैटी एसिडों की अधिकतम सीमा (5% तक पुनरीक्षित)
2	खाद्यों में कवक विषों की अधिकतम सीमा
3	जिलेटिन में क्रोमियम की अधिकतम सीमा
4	ब्रेड में ग्लुकोज ओक्सीडेज, लाइपेज और जाइलानेज का उपयोग
5	खाद्यों में पुल्लुलान (खाद्य संयोजी) का उपयोग
6	खाद्यों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जैव विषों की अधिकतम सीमा
7	ब्रेड में लेसिथिन के मानक
8	कैरामल और ग्लेजिंग अभिकर्मकों का उपयोग
9	स्टेवियॉल ग्लिकोसाइड्स (खाद्य संयोजी) का उपयोग
10	पाउडर शिशु फार्मूला, शिशु द्रव फार्मूला और अन्य खाद्यों में मेलामाइन के मानक

11	प्रोप्रायटरी फूड मानक
II. अंतिमित अधिसूचना के लिए अनुमोदित मानक	
1	ग्लुटेनमुक्त और अल्प ग्लुटेन खाद्यों संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य संयोजी पदार्थ) संशोधन विनियम, 2015
2	खाद्यों में भारी धातुओं की सीमाओं संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (संदूशक, जैव विश एवं अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2015
3	शिशु फार्मूला, अनुवर्ती फार्मूला, आइसोमाल्टुलोज और उच्च फाइबर डेक्स्ट्रिन में डीएचए और एआरए संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य संयोजी पदार्थ) संशोधन विनियम, 2015
4	कुछ खाद्य श्रेणियों अथवा वैयक्तिक खाद्य वस्तुओं में उपयोग के लिए खाद्य संयोजी पदार्थों के मानकों के सुमेलन संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उतपाद मानक एवं खाद्य संयोजी पदार्थ) संशोधन विनियम, 2015
5	खाद्य तेलों और खाद्य वसाओं के संबंध में श्रेणी शीर्षकों की घोषणा संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (पैकेजबंदी एवं लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2015 के अंतिमित (मसौदा) संशोधन
6	खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य अथवा स्वास्थ्य पूरक आहार, पोषण सामग्रियाँ, विशेष आहारीय उपयोगों के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए खाद्य, प्रयोजनमूलक खाद्य और असामान्य खाद्य) विनियम, 2016 संबंधी मसौदा विनियम
III. हितधारकों की सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए जारी मानकों/विनियमों की मसौदा अधिसूचना	
1	खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य वापसी प्रक्रिया) विनियम, 2015
2	खाद्यों में कवक विषों के मानकों संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (संदूशक, जैव विश एवं अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2015
3	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मेलामाइन के मानकों संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (संदूशक, जैव विश एवं अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2015
4	खाद्य घटकों के रूप में फाइटोस्टेरॉलों के उपयोग संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य संयोजी पदार्थ) संशोधन विनियम, 2015 पौध स्टेरॉलों के उपयोग पर लेबल घोषणा संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक (पैकेजबंदी एवं लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2015
5	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्य-व्यापार संबंधी प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015
IV. जनता की सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानक/ विनियम/प्रस्ताव	
1	गाय के दुग्ध की वसा और वसा से इतर ठोस (एसएनएफ), और (ii) एफएसएसआर, 2011 में ऊँट के दुग्ध के मानकों के सम्मिलन संबंधी दुग्ध मानकों का पुनरीक्षण
2	एल्कोहलीय पेयों के मसौदे विनियम
3	फल पकाने के लिए इथाइलीन गैस की अनुमत सीमाएँ

4	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों संबंधी प्रकियाएँ) विनियम, 2010 का पुनरीक्षण
5	वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए आंतरिक प्रक्रिया के दिशा-निर्देश
6	खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअलों का अंतिमन – (i) तेल एवं वसा; (ii) कवक विश; (iii) अनाज एवं अनाज उत्पाद; (iv) खाद्य संयोजी पदार्थ; (v) फल एवं वनस्पति उत्पाद; (vi) धातुएँ; (vii) मसाले; (viii) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद; और (ix) प्रतिचयन संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश
7	खाद्य गुणता एवं संरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास/सर्वेक्षणों की योजना के दिशा-निर्देश
8	अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ ज्ञात करने के लिए फसलों के समूहीकरण का सिद्धांत अपनाने की संभावनाएँ
9	चाय में लौह-चूर्ण
10	पैकेजबंद पेय जल
11	दालों में बाहरी सामग्रियों की सीमाएँ
12	चाँदी का पन्ना (वर्क)
13	चॉकलेट
14	इंटरईस्टरित वनस्पति वसा का इंटरईस्टरित वनस्पति वसा/तेल के रूप में पुनर्नामन
15	टेबल ओलिव
16	पास्ता उत्पाद
17	डेयरी व्हाइटनर
18	संदूशकों की सूची से जस्ते का अपनयन
19	खाद्य पदार्थों में फसल कीटनाशियों की एमआरएल का निर्धारण
20	भा मा ब्यूरो के नौ मानकों का अंगीकरण – (क) शिशुओं और स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए प्रोटीन-बहुल पूरक, (ख) खाद्य मूंगफली आटा (कोल्हू से दला), (ग) माल्ट अर्क, (घ) बेकरी खमीर, (ङ) लैक्टिक एसिड – खाद्य ग्रेड, (च) एस्कॉर्बिक एसिड – खाद्य ग्रेड, (छ) कैल्शियम प्रोपियोनेट – खाद्य ग्रेड, (ज) सोडियम मेटाबाईसल्फाइट – खाद्य ग्रेड, (झ) पोटाशियम मेटाबाईसल्फाइट – खाद्य ग्रेड
21	कैरामल का ''प्राकृतिक'' अथवा ''संश्लेषित'' रंग के रूप में श्रेणीकरण
22	केसरी दाल के उपभोग से संरक्षा का आकलन/निर्धारण / केसरी दाल के उपभोग पर प्रतिबंध
23	विभिन्न खाद्य उत्पादों में माल्टीटोल और माल्टीटोल शीरा का उपयोग
24	परिशोधन प्रक्रम में एन्जाइमी विगोंदन शामिल करना
25	भारत में आयातित कोल्हू से निकले/पेरे गए नारियल के तेल की परिशोधन से छूट देना
26.	मिश्रित खाद्य वनस्पति तेलों के अधिकतम अनुमत पैक साइज 15 लीटर को "शामिल करते हुए 15 किग्रा हो

27.	मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के विभिन्न मानकों का सुमेलन- (i) जमी हुई सेफैलोपोड; (ii) जमी हुई फिनफिश; (iii) जमी हुई झींगी; (iv) मछली के कत्ले; (v) स्मोक्ड मत्स्य उत्पाद; (vi) रिटोर्टेबल थैलियों में तैयारशुदा फिनफिश/ शेलफिश करी; (vii) डिब्बाबंद मत्स्य उत्पाद; (viii) सार्डाइन तेल; (ix) खाद्य मत्स्य पाउडर; (x) मत्स्य अचार; (xi) जमा हुआ मत्स्य कीमा; (xii) हिमशुष्कित सूखे झींगे; और (xiii) जमा हुआ क्लैम मीट
28.	पोष्टित दुग्ध
29.	पोष्टित खाद्य वनस्पति तेल
30.	खाद्य लैक्टोज
31.	बीजरहित इमली
32.	जई
33.	खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.5.1 (क) में खरगोश कुल अर्थात् लेपोरिडे को पशु प्रजातियों में "शामिल करना
34.	फलों और वनस्पतियों और उनके उत्पादों के लिए सूक्ष्म जीव संबंधी मानक
35.	हिस्टेमाइन सृजक मत्स्य प्रजातियाँ और मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के लिए हिस्टेमाइन स्तर की सीमाएँ

कुछ मानकों/विनियमों को लागू करना

8.3 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 18(2) (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अत्यावश्यकता के तहत खाद्य संयोजी पदार्थों, प्रोप्रायटरी खाद्य मानकों के सुमेलन के संबंध में मसौदा संशोधन अधिसूचना में शामिल खाद्य संयोजी पदार्थों के कुछ मानकों और आयात विनियमों को लागू किया गया है।

अध्याय - 9

खाद्य का आयात

9.1 एफएसएसएआई यह सुनिष्चित करके जन स्वास्थ्य की संरक्षा करने और उसका संवर्धन करने के लिए जिम्मदार है कि राष्ट्र में मानव के लिए खाद्य आपूर्ति सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर है। भारत में खाद्य का आयात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के अधीन किया जाता है। अधिनियम में यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कोई खाद्य सामग्री अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने किसी नियम अथवा विनियम के उल्लंघन में आयात नहीं करेगा। इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्र सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के आयात का प्रतिषेध, प्रतिबंध अथवा उनका अन्यथा विनियमन करते समय इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुसरण करेगी। अग्रिम, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के अनुसार खाद्य की आयातित वस्तुओं के संबंध में खाद्य प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी उसका नमूना लेगा और उसे विश्लेषण के लिए एफएसएसएआई की एनएबीएल प्रत्यायोजित अधिसूचित प्रयोगशाला को भेजेगा और प्रयोगशाला प्राधिकृत अधिकारी को उसकी रिपोर्ट पाँच दिनों के अंदर भेजेगी। प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार आयातित खेप का खाद्य संरक्षा संबंधी पहलू सुनिश्चित किया जाता है।

9.2 एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के अनुसार 21 प्रवेश स्थानों को कवर करते हुए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तूतीकोरेन और कोचीन बंदरगाह छह स्थानों पर (समुद्र, वायु और भूमि सहित) प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करके अगस्त-सितंबर 2010 से खाद्य को पास करने की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप में लागू करके उसके आयात को सफलतापूर्वक सुचारू बना दिया है। एफएसएसएआई ने 135 स्थानों पर सीमा "शुल्क अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है।

9.3 अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान लिए गए नमूनों और जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों संबंधी आँकड़े **सारणी-1** में दिए गए हैं। यह सूचित किया जाता है कि एफएसएसएआई ने 1,03,44,881.24 मीट्रिक टन आयातित खाद्य उत्पादों के 71,368 नमूनों को निपटाया। इस प्रक्रिया में 21,772.54 मीट्रिक खाद्य के 1,062 नमूनों (1.5%) के लिए अपालन प्रमाण-पत्र जारी किए गए अथवा वे निरस्त किए गए, क्योंकि वे एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बने विनियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

9.4 खाद्य खेपों की आयातों को पास करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं:

क) एफएसएसएआई के अधिकारी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोचीन और तूतीकोरेन छह जगहों पर हैं। उपरोक्त सभी छः स्थानों पर आयात को पास करने का काम एफएसएसएआई के ऑनलाइन क्लियरेंस सिस्टम (एफआईसीएस) द्वारा किया जाता है।

(ख) दिनांक 14.01.2016 को खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य आयात) विनियमों को लागू करने की सूचना एफएसएसएआई की वेबसाइट पर डाली गई।

(ग) खाद्य आयात प्राथमिकीकरण पद्धति का कार्यान्वयन तीन चरणों में करने की योजना बनाई गई है। आगमन-पूर्व कागजात जाँच (पीएडीएस) योजना का कार्यान्वयन एकल ख़िड़की से इतर सभी स्थानों पर दिनांक 02.02.2016 से कर दिया गया।

(घ) खाद्य आयात की निम्नलिखित श्रेणियों को नेमी प्रतिचयन और परीक्षण से छूट दे दी गई है:

- वैयक्तिक उपभोग के लिए आयातित खाद्य
- राजदूत मिशनों द्वारा आयातित खाद्य
- अनुसंधान एवं विकास के लिए आयातित खाद्य
- प्रदर्शनियों और आस्वादन के लिए आयातित खाद्य
- अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं के लिए आयातित खाद्य।

(ड़) आयातित नमूनों के परीक्षण के लिए एफएसएसएआई ने देश भर में एनएबीएल प्रत्यायित विभिन्न प्रयोगशालाएँ अधिसूचित की हैं। अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या 82 से बढ़ाकर 92 कर दी गई है। रेफरल प्रयोगशालाओं की संख्या भी 12 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है।

(च) एफएसएसएआई ने परीक्षण और आयात क्लियरेंस में एकरूपता बनाए रखने के लिए 135 जगहों पर सीमा "शुल्क अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया है, जिनका विवरण http://www.fssai.gov.in/importedfood.aspx पर दिया गया है।

सारणी : 1

सारणी:1 अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक खाद्य आयात पास करने संबंधी आँकड़े						
बंदरगाह	नमनूों की कुल संख्या	मीट्रिक टन में कुल मात्रा	रद्द किए गए		अनुमोदित	
			अपालन प्र-माण-पत्र जारी किए गए	मीट्रिक टन में मात्रा	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए	मीट्रिक टन में मात्रा
चेन्नई	12843	2188837.50	202	8825.57	12636	2158440.12
कोचीन	1347	86459.25	259	4806.26	1088	80979.29
दिल्ली	6738	41629.43	155	1126.58	6548	30673.16
कोलकाता	5626	2144536.42	32	2608.78	5590	2130984.87
मुंबई	43317	5481331.86	364	3378.56	42870	5430718.46
तूतीकोरेन	1497	402086.76	50	1026.79	1447	341551.42
योग	**71368**	**10344881.24**	**1062**	**21772.54**	**70179**	**10173347.33**

अध्याय - 10

प्रवर्तन--राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खाद्य संरक्षा का विनियमन

10.1 लाइसेंसिग और पंजीकरण:

2015-16 के दौरान 5607 केंद्रीय लाइसेंस जारी किए गए, जिससे दिनांक 31.03.2016 तक केंद्रीय लाइसिंग प्राधिकरणों (सीएलए) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 24,917 हो गई। जहॉ तक राज्य लाइसेंसों का संबंध है, राज्य/संघ "शासित सरकारों द्वारा कुल 1,56,551 लाइसेंस जारी किए गए और 3,86,518 पंजीकरण किए गए। 31.03.2016 तक राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों ने अधिनियम के अंतर्गत 7,08,664 लाइसेंस जारी कर दिए हैं और 27,64,000 खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण किया है। राज्यों और संघ "शासित क्षेत्रों में लाइसेंसों/पंजीकरणों की स्थिति **सारणी 1** में दर्शाई गई है।

10.2 राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान प्रगति:

10.2.1 2015-16 के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति की तीन बैठकें की गईं। 01.03.2016 तक केंद्रीय सलाहकर समिति की 16 ऐसी बैठकें की गईं, जिनमों राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों ने भाग लिया और अपने मुद्दों पर चर्चा की।

10.2.2 राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों से प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टें प्राप्त करने की प्रक्रिया का स्वचालन कर दिया गया है और अब राज्य/संघ "शासित क्षेत्र रिपोर्ट लिखित में देने की बजाय एफएलआरएस पर सीधे डाल सकते हैं।

10.2.3 हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर एफएलआरएस आरंभ की गई है। जून, 2016 में कोंकण रेलवेज ने ऑनलाइन काम करना आरंभ कर दिया है। भारतीय रेलवेज में एफएलआरएस आरंभ करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

10.2.4 वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित 9 राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों ने लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए ऑनलाइन काम करना आरंभ कर दिया है। दिनांक 30.03.216 तक कुल 33 राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों ने ऑनलाइन काम करना आरंभ कर दिया है। "शेष 3 राज्यों ओडिशा, नागालैंड और छत्तीसगढ़ से कार्रवाई कराने की योजना 2016-17 की कार्रवाई योजना में "शामिल कर ली गई है।

1	सिक्किम	27 मई, 2015
2	झारखंड	29 मई, 2015
3	बिहार	10 जून,2015
4	लक्ष्यद्वीप	16 जून, 2015
5	मणिपुर	21 जुलाई, 2105
6	त्रिपुरा	26 अगस्त, 2015
7	पश्चिमी बंगाल	15 दिसंबर, 2015
8	अंडमान और निकोबार द्वीप	18 दिसंबर, 2015
9	जम्मू और कश्मीर	30 मार्च, 2016

10.2.5 रेलवेज के लिए संयुक्त खाद्य संरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की गई है।

10.2.6 दुग्ध में अपमिश्रण की तुरंत पहचान के लिए एफएसएसएआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ तीन राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों को मिल्क एनालाइजर, दुग्ध द्रुत परीक्षण उपकरण वाले इलेक्ट्रॉनी दुग्ध अपमिश्रण परीक्षित्र (ईएमएटी) प्रायोगिक आधार पर वितरित किए हैं।

10.2.7 रेलवेज, हवाई अड्डों/बंदरगाहों और रक्षा केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें की गईं।

10.3 कुछ अन्य पहल

1. स्कूली बच्चों के लिए विनियम बनाने का कार्य आरंभ किया गया। विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें की गईं।
2. केंद्रीय सरकार के संगठनों के अंतर्गत विभागीय कैंटीनों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया आरंभ की गई।
3. 'रेलवेज में सुरक्षित खाद्य' परियोजना के माध्यम से भारतीय रेलवेज में एफबीओज को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया आरंभ की गई।
4. स्वच्छ पेय जल के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 'स्वच्छ पेय जल' परियोजना आरंभ की गई।

10.4 विचाराधीन पहल

1. समर्पित मामले हैंडलिंग पोर्टल/मोबाइल एप बनाना और लागू करना।
2. लाइसेंसिंग और पंजीकरण विनियम में परिवर्तन

राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में प्रशासकीय तंत्र का विवरण

10.5 राज्य/संघ "शासित क्षेत्र सरकारें अपने क्षेत्रों में एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। सभी राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों ने खाद्य संरक्षा आयुक्त नियुक्त कर दिए हैं तथा निर्णय अधिकारी (एओ), अभिनामित अधिकारी (डीओ) और खाद्य संरक्षा अधिकारी (एफएसओ) अधिसूचित कर दिए हैं।

नियुक्त किए गए एओ	**13**
नियुक्त किए गए डी ओ	**19**
नियुक्त किए गए एफएसओ	**628**

स्थापित की गई संचालन समितियाँ **03** अब तक 29 राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में संचालन समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं।

स्थापित की गई अपीलीय ट्रिब्यूनलें **05** अब तक 24 राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में अपीलीय ट्रिब्यूनलें स्थापित की जा चुकी हैं।

राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में प्रशासकीय तंत्रों का विवरण **सारणी 2** में दिया गया है।

10.6 एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्य प्रयोगशालाओं ने अधिसूचित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करना जारी रखा और

लोक विश्लेषकों का नाम बदलकर खाद्य विश्लेषक कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा प्रतिचयन और परीक्षण के विवरण **सारणी 3** में दिए गए हैं।

10.7 वर्ष 2015-16 में प्रवर्तन गतिविधियों के बारे में जारी की गई परामर्शिकाएँ/आदेश/ अधिसूचनाएँ :

1) एफएसएसएआई की उत्पाद अनुमोदन योजना के माध्यम से अस्वीकृत उत्पादों का निर्माण/वितरण बंद करना -

आदेश सं0 1(2) 2011/स्टेट्स/एफएसएसएआई/वाल्यूम I, दिनांक 21 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्देश दिया गया था कि जिन उत्पादों के निर्माण में ऐसे घटक अथवा पदार्थ "शामिल हैं अथवा जिनके निर्माण में ऐसी प्रौद्योगिकियों अथवा प्रक्रमों अथवा दोनों का प्रयोग होता हो जिनकी संरक्षा इन विनियमों के माध्यम से स्थापित न हुई हो अथवा जिनकी बिक्री/प्रयोग का कोई इतिहास न हो अथवा जिन उत्पादों में ऐसे घटकों का प्रयोग अपेक्षित हो जिनका देश में पहली बार प्रयोग हो रहा हो, उनके निर्माता खाद्य व्यवसायियों को उत्पाद अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

2) मै. नस्ले इंडिया लिमिटेड का ''मैगी इन्स्टैंट नूडल्स विद टेस्टमेकर'' और धारा 22 के अंतर्गत आने वाले वे अन्य खाद्य उत्पाद जिनका जोखिम/संरक्षा आकलन नहीं हुआ था -

आदेश सं0 10/क्यूए/एन्फोर्समेंट इष्यूस/एफएसएसएआई-2015, दिनांक 05 जून, 2015 द्वारा मै. नेस्ले इंडिया लिमिटेड को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित और खतरनाक पाए गए मैगी इन्स्टैंड नूडल्स की सभी 09 अनुमोदित किस्मों, ''मैग्ी ओट्स मसाला नूडल्स विद टेस्टमेकर'', जिसके लिए जोखिम/खतरा आकलन नहीं किया गया है और उत्पाद अनुमोदन नहीं किया गया है, को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया गया था।

3) बाजार में विद्यमान सभी निर्माताओं और ब्रांडों के नूडलों, पास्ताओं और मैकरोनी विद टेस्टमेकर पर एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन -

क) आदेश सं0 10/क्यूए/एन्फोर्समेंट इष्यूज/एफएसएसएआई:2015, दिनांक 08 जून, 2015 में उन नूडलों, पास्ताओं और मैकरोनी आदि खाद्य उत्पादों और निर्माता खाद्य व्यवसायियों के विवरण हैं, जिनके लिए रिकार्ड के अनुसार एफएसएसएआई ने अनुमति/अनुमोदन सशर्त दी है।

ख) आदेश में उन अमानकीकृत खाद्य उत्पादों के विनियामक नमूने लेने और लागू मानकों के अनुरूप न पाए गए खाद्य पदार्थों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम और अन्य लागू विधियों (आईपीसी सहित) के अनुसार कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

ग) उक्त आदेश के परिणामस्वरूप मैसर्स एचयूएल लिमिटेड और मैसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने अपने अमानकीकृत उत्पाद वापस मंगा लिए। मैसर्स आईटीसी ने भी अपने ब्रांड ''यिप्पी नूडल्स'' के लेबल से ''नो नूडल्स एमएसजी'' हटाकर उसमें सुधार कर लिया है।

4) यूनिट-चालित कैंटीनों (यूआरसी) को एफएसएसएआई लाइसेंसिंग से छूट देने के संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2016 -

यूआरसी को एफएसएसएआई लाइसेंसिंग से छूट दी गई है। केवल सीएसडी के लिए लाइसेंस लेना होगा, जिनके अधीन यूआरसी कार्य करेंगी।

5) एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 36 के अंतर्गत केंद्रीय लाइसेंसिंग के लिए एफएसएसएआई के अभिनामित अधिकारी की अधिसूचना के बारे में कार्यालय आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2016 -

आदेश के उपबंध दिनांक 1 मार्च, 2016 से लागू होंगे। परिणामस्वरूप लखनऊ और चंडीगढ़ के उप क्षेत्रीय कार्यालय लाइसेंस प्रदान करने के लिए नए आवेदन पर कार्रवाई करने के प्रयोजन से मौजूद नहीं माने जाएँगे।

6) खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय लाइसेंसिग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.2 के अनुसार खाद्य व्यवसायियों के लिए लाइसेंस लेने/पंजीकरण कराने की समय सीमा 04 मई, 2016 तक बढ़ाने के संबंध में आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2016 ।

7) अभिनामित अधिकारियों के रूप में क्षेत्राधिकार के साथ नियुक्त अधिकारियों के संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 25 जनवरी 2016 -

श्री प्रसेनजीत गायकवाड़ पश्चिमी क्षेत्र के पदनामित अधिकारी नियुक्त किए गए और श्री डी. पी. गुहा को पूर्वोत्तर क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

8) नूडलों और पास्ताओं में मोनोसोडियम ग्लुटामेट के सुवासवर्धक के रूप में उपयोग पर स्पष्टीकरण के संबंध में आदेश दिनांक 30 मार्च 2016-

खाद्य व्यवसायियों को परिहार्य परेशानी/अभियोजन से बचाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को खाने की वस्तुओं की पसंद का चुनाव करने की सुविधा है, यह प्रावधान किया गया कि एफबीओ के विरुद्ध कार्रवाई तभी की जाए जब उनके लेबल पर ''कोई एमएसजी नहीं'' अथवा ''कोई योजित एमएसजी नहीं'' लिखा हो परंतु वह कथित खाद्य सामग्री में वास्तव में पाया जाए। खाद्य संरक्षा आयुक्तों को परामर्श दिया गया है कि नूडलों/पास्ताओं में एमएसजी/ग्लुटामिक एसिड की उपस्थिति पर उसके निर्माता विशेष के विरुद्ध प्रवर्तन/अभियोजन तब तक आरंभ न किया जाए जब तक विभाग द्वारा यह ज्ञात न कर लिया जाए कि लेबल पर घोषणा किए बिना मोनोसोडियम ग्लुटामेट सुवासवर्धक (आईएनएस ई-621) को निर्माण के दौरान जानबूझकर डाला गया था।

9) पोषण सामग्रियों, खाद्य पूरकों और स्वास्थ्य पूरकों पर प्रवर्तन गतिविधियों के संबंध में आदेश दिनांक 30 मार्च, 2016-

यह निर्णय लिया गया कि पोषण सामग्रियों, खाद्य पूरकों और स्वास्थ्य पूरकों के मानक अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने तक ऐसे खाद्य व्यवसायियों के विरुद्ध प्रवर्तन गतिविधि पोषण सामग्रियों, खाद्य पूरकों और स्वास्थ्य पूरकों संबंधी मसौदा अधिसूचना में दी गई कुछ अपेक्षाओं के परीक्षण तक सीमित रखी जाए। इस आदेश को एफएसएसएआई वेबसाइट पर दिनांक 09 सितंबर, 2015 को अपलोड किया गया था।

सारणी 1: राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में लाइसेंसिंग/पंजीकरण पर रिपोर्ट

क्रम सं0	राज्य का नाम	जारी किए गए लाइसेंस	किए गए पंजीकरण
1	अंण्डमान और निकोबार द्वीप	538	6118
2	आंध्र प्रदेश	31384	32902
3	अरुणाचल प्रदेश	1793	6296
4	असम	4266	2344
5	बिहार	9353	24336
6	चंडीगढ़	2894	1506
7	छत्तीसगढ़	9645	9101
8	दादर एवं नगर हवेली	799	2350
9	दमन एवं दीव	588	3246
10	दिल्ली	15197	30827
11	गोआ	3420	20448
12	गुजरात	52522	144222
13	हरियाणा	7352	15452
14	हिमाचल प्रदेश	8038	87364
15	जम्मू एवं कश्मीर	9459	82912
16	झारखंड	5765	13881
17	कर्नाटक	74776	202977
18	केरल	44567	144651
19	लक्ष्यद्वीप	1	412
20	मध्य प्रदेश	38549	389885
21	महाराष्ट्र	205688	691285
22	मणिपुर	864	5010
23	मेघालय	1578	3108
24	मिजोरम	440	3433
25	नागालैंड	362	1417
26	ओडिशा	9179	13299
27	पुदुच्चेरी	1221	2148
28	पंजाब	18295	105290
29	राजस्थान	23,482	86276

30	सिक्किम	1343	4510
31	तमिलनाडु	28843	151091
32	तेलंगाना	15347	12694
33	त्रिपुरा	1161	3848
34	उत्तराखंड	8206	6339
35	उत्तर प्रदेश	**50,284**	**400777**
36	पश्चिम बंगाल	21465	52845
योग		**7,08,664**	**27,64,600**
कुल योग		34,73,264	

सारणी 2: एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्यों/संघ "शासित क्षेत्रों में प्रशासकीय तंत्र

क्रम सं0	राज्य का नाम	एफ एस सी	एओ की सं.	डीओ की सं.	एफएसओ की सं.	संचालन समिति	ट्रिब्यूनल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	3	3	14	हाँ	हाँ
2	आंध्र प्रदेश	1	13	17	45	हाँ	हाँ
3	अरुणाचल प्रदेश	1	20	20	3	हाँ	हाँ
4	असम*	1	27	5	40	हाँ	हाँ
5	बिहार	1	38	9	14	नहीं	नहीं
6	चंडीगढ़	1	1	2	2	हाँ	हाँ
7	छत्तीसगढ़	1	27	27	71	हाँ	हाँ
8	दादर एवं नगर हवेली	1	1	1	2	नहीं	नहीं
9	दमन एवं दीव	1	2	2	2	हाँ	हाँ
10	दिल्ली	1	11	6	12	हाँ	हाँ
11	गोआ	1	2	2	17	हाँ	नहीं
12	गुजरात	1	33	33	259	नहीं	हाँ
13	हरियाणा*	1	21	21	12	हाँ	हाँ
14	हिमाचल प्रदेश*	1	10	5	4	हाँ	हाँ
15	जम्मू एवं कश्मीर*	1	22	19	72	हाँ	नहीं
16	झारखंड*	1	24	24	202	हाँ	नहीं
17	कर्नाटक	1	30	36	64	नहीं	नहीं
18	केरल	1	21	14	57	हाँ	हाँ

19	लक्ष्यद्वीप*	1	1	1	15	नहीं	हाँ
20	मध्य प्रदेश	1	51	51	182	हाँ	हाँ
21	महाराष्ट्र*	1	7	62	298	हाँ	हाँ
22	मणिपुर*	1	9	9	9	हाँ	नहीं
23	मेघालय	1	7	3	7	हाँ	हाँ
24	मिजोरम	1	8	3	10	हाँ	नहीं
25	नागालैंड*	1	11	11	11	हाँ	नहीं
26	ओडिशा	1	34	37	26	नहीं	नहीं
27	पुदुच्चेरी	1	2	1	2	हाँ	हाँ
28	पंजाब*	1	22	22	46	हाँ	हाँ
29	राजस्थान*	1	48	42	87	हाँ	हाँ
30	सिक्किम	1	4	2	2	नहीं	नहीं
31	तमिलनाडु	1	32	32	584	हाँ	नहीं
32	तेलंगाना*	1	10	15	9	हाँ	हाँ
33	त्रिपुरा	1	8	9	4	हाँ	हाँ
34	उत्तराखंड	1	13	12	31	हाँ	हाँ
35	उत्तर प्रदेश	1	75	72	695	हाँ	हाँ
36	पश्चिम बंगाल*	1	19	19	42	हाँ	हाँ
योग		**36**	**667**	**649**	**2952**	**29**	**24**

नोट: वर्ष 2015-16 के लिए *राज्यों की वार्षिक रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

सारणी 3: वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सार्वजनिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट

क्रम सं0	राज्य का नाम	प्राप्त नमूनों की कुल संख्या	विष्लेशित	अपमिश्रित	फौज दारी	दीवानी	अपराध सिद्ध	दंड	राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	156	156	25	0	0	0	0	271000
2	आंध्र प्रदेश	4860	4860	870	194	347	4	83	5215000
3	अरुणाचल प्रदेश	290	290	30	0	28	0	5	15000
4	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	बिहार	2032	1447	35	0	93	0	4	20000
6	चंडीगढ*	96	96	12		12	0	2	102000

क्रम सं0	राज्य का नाम	प्राप्त नमूनों की कुल संख्या	विष्लेशित	अपमिश्रित	फौज दारी	दीवानी	अपराध सिद्ध	दंड	राशि
7	छत्तीसगढ़	1026	1026	298	3	17	0	0	85000
8	दादर एवं नागर हवेली*	40	40	5		3	0	1	10000
9	दमन एवं दीव	106	106	11		11	0	0	
10	दिल्ली	1472	1472	239	149	0	0	0	4482500
11	गोआ	1132	1155	72	0	4	1	1	5000
12	गुजरात	15115	14891	1242	30	507	1	182	19005906
13	हरियाणा	2121	2063	180	7	149	0	111	2743600
14	हिमाचल प्रदेश*	296	305	55	19		20	0	180000
15	जम्मू एवं कश्मीर*	1354	1215	334	1	335	215	0	2214400
16	झारखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17	कर्नाटक	2894	2340	433		58	0	0	436000
18	केरल	2364	2196	459	138	246	17	44	6633500
19	लक्ष्यद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20	मध्य प्रदेश	10035	9994	1311	82	879	36	447	4,48,26,000
21	महाराष्ट्र*	2019	1400	345	396	85	105011		1225500
22	मणिपुर*	67	67	0	0	8	8	8	1,64,000
23	मेघालय	124	87	4	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	24	17	4	0	0	0	0	
25	नागालैंड*	187	187	76		32	20	20	10000
26	ओडिशा	211	211	61		2		1	
27	पुदुच्चेरी	827	827	11	0	1	0	1	5000
28	पंजाब	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	राजस्थान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30	सिक्किम	5	5	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1742	1783	607	107	308	23	202	5890800
32	तेलंगाना	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33	त्रिपुरा	814	814	17		5	0	0	2750
34	उत्तराखंड	1073	1073	183	10	95	0	0	1535000
35	उत्तर प्रदेश	17,726	14833	7189	506	4864	164	2370	115120480
36	पश्चिम बंगाल	102	101	71	1	13	0	0	0
	Total	**70,310**	**65,057**	**14179**	**1643**	**8102**	**105520**	**3482**	**210198436**

अध्याय - 11

निगरानी गतिविधियां

11.1 खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 29 (3) के प्रावधान के अनुसार खाद्य प्राधिकरण एक नियंत्रण व्यवस्था संचालित करेगा एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त गतिविधियां जिसमें खाद्य संरक्षा एवं जोखिम पर सार्वजनिक संवाद शामिल हो, खाद्य संरक्षा निगरानी एवं अन्य निगरानी गतिविधियां जों खाद्य व्यापार के प्रत्येक चरण को शामिल करें।

11.2 राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त से अनुरोध किया गया था कि वे मौसमी फलों, सब्जियों एवं अन्य खाद्य पदार्थो पर निगरानी रखने के लिए खाद्य संरक्षा निगरानी अभियान चलाएं। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे इसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में जमा कराएं। 14 वीं सीएसी बैठक दिनांक 04.06.2015 को इस संबंध में अन्तिम रिपोर्ट जमा कराने के लिए इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।

11.3 एक परिवर्तित निगरानी योजना तैयार की गई तथा इस पर 13.10.2015 को आयोजित 15वीं सीएसी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात 03.02.2016 को आयोजित 16वीं सीएसी बैठक में योजना का सुझाव/परिवर्तनों के लिए प्रस्तावित किया गया। खाद्य संरक्षा आयुक्तों से भी अनुरोध किया कि वे अपने-अपने राज्यों में खाद्य संरक्षा निगरानी कार्यक्रम नियमित तौर पर चलाएं एवं निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट जमा कराएं।

11.4 वर्ष 2015 में चेन्नई एवं कोलकाता के अभिहित अधिकारियों के द्वारा चेन्नई, हैदराबाद, एवं कोलकाता क्षेत्र में वसा, तेल एवं वसा पायसन की निगरानी गतिविधियां आयोजित की गई। चेन्नई एंव हैदराबाद से विभिन्न वसा एवं तेल के 100 नमूने एवं कोलकाता क्षेत्र से विभिन्न वसा एवं तेल के 50 नमूनों का विश्लेषण किया गया। इस संबंध में सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया। पत्रानुसार सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपने राज्यों में तेल एवं वसा पर निगरानी गतिविधियों को तेज करें एवं यदि नमूना प्रकृति के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उचित कानूनी कदम उठाएं।

11.5 राज्य सरकारों को समय-2 पर प्रभावी निगरानी को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।

11.6 देश में दुग्ध गुणवत्ता की स्थिति का पता लगाने के लिए एफएसएसएआई के द्वारा सम्पूर्ण भारत में दुग्ध गुणवत्ता सर्वे (एमक्यूएस, 2016) की योजना तैयार की गई। इस सर्वे को शुरू करने के लिए प्रायोगिक सर्वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के कुछ भागों को शामिल करते हुए प्रस्तावित है।

अध्याय - 12

गुणवत्ता आश्वासन (प्रयोगशालाएं, नमूना चयन एवं विश्लेषण)

12.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दिनांक 16.10.2015 को दुग्ध जांच उपकरण विक्रेताओं/निर्माताओं एवं थोक उपभोक्ताओं से आधारभूत ढॉचागत सुविधाओं को विकसित करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया। ताकि दुग्ध उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए दुग्ध जांच उपकरणों तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सकें। इस बैठक में कई व्यक्तियों एवं पारम्परिक मिठाई दुकानों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों में, आयुक्त, खाद्य संरक्षा, दिल्ली, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि थे। 15 दुग्ध जांच उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में अपने-अपने उपकरणों का प्रदर्शन किया।

12.2 **एफएसएसआर, 2011 के अनुसार नमूना जांच मानकों का संकलन-** विभिन्न खाद्य सामग्रियों के लिए गुणवत्ता एवं संरक्षा मानकों का निर्धारण वर्तमान में 6 विनियमों एवं परिशिष्टों में किया गया है। इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता एवं संरक्षा मानकों का संकलन कर प्रकाशित किया है ताकि सम्पूर्ण देश को खाद्य जांच प्रयोगशालाओं में मानकीकृत एवं प्रभावी जांच हो सके। संकलन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12.3 **एफएसएसएआई की नमूना जांच शुल्क का पुनरीक्षण -** एक महत्वपूर्ण पहल खाद्य जांच शुल्क को औचित्यपूर्ण बनाने की ओर की गई, जोकि पहले एक तदर्थ तरीके से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आरंभ से (1000/- रूपए सभी नियामक नमूनों के लिए एवं 3000/- रू आयातित नमूनो के लिए) निश्चित थी। इसका ध्यान रखते हुए कि भिन्न–भिन्न खाद्य उत्पादों की जांच में विभिन्न मानकों एवं उपकरणों का प्रयोग होता है, नमूना जांच दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया तथा इन दरों को अधिक वास्तविक एवं जांच मानकों एवं इसमें शामिल जटिलताओ के साथ जोड़ा गया। जांच दरों के पुनरीक्षण तथा इन्हें वास्तविक बनाने से इस देश में वित्तीय रूप से व्यवहार्य खाद्य जांच प्रयोगशालाओं का तंत्र बनाने में मदद मिलेगी।

12.4 **खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की अधिसूचना -** एफएसएसएआई अधिनियम 2006 की धारा 43(1) के अनुरूप भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अब तक एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 82 प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम की धारा 47 के अनुसार लिए हुए नमूनों की जांच करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य 16 एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। इसके पश्चात कुल अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या 98 हो चुकी है, जिसकी वजह से सम्पूर्ण देश में खाद्य जांच की सुविधा में सुधार हुआ है। खाद्य जांच की प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करना प्रयोगशालाओं की स्वंय प्रार्थना पत्र के आधार पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सतत प्रक्रिया है।

12.5 **रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं की अधिसूचना -** भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में 12 रेफरल प्रयोगशालाओं को गजट संख्या 2444 दिनांक 02.12.2014 से अधिसूचित किया है। दो और प्रयोगशालाएं जिनका नाम आईआईसीपीटी, तन्जुवर एवं राष्ट्रीय मीट अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद को गजट संख्या 2611 दिनांक 07.12.2015 से अधिसूचित किया जा चुका है, जिससे रेफरल प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 14 हो गई है जहां खाद्य के अपील नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

12.6 **प्रयोगशाला के कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण -** भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने विशेषज्ञों की सहायता से प्रयोगशाला में कार्यरत तकनीकी एवं वैज्ञानिक कार्मिकों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है तथा खाद्य विश्लेषकों एवं अन्य प्रयोगशाला कार्मिक राज्य खाद्य जांच प्रयोगशलाओं के लिए प्रथम प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 2015 तक मैसर्स टीयूवी- एसयूडी साऊथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में आयोजित किया गया। द्वितीय चरण

के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मैसर्स एनवीरोकेअर लैब्स प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई के परिसर में 29 फरवरी से 4 मार्च 2016 को आयोजित किया गया।

12.7 **नमूना-चयन एवं विश्लेषण पद्धति पर वैज्ञानिक** – पैनल : भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को गठन से पूर्व, विभिन्न खाद्य उत्पादों को जांचने के लिए डीजीएचएस के मैन्युअलों का प्रयोग किया जा रहा था जिनको कि 20 वर्ष पहले तैयार किया गया था। तब से विश्लेषण के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके है तथा यह आवश्यक हो गया कि खाद्य उत्पादों को जांचने के मैन्युअल की समीक्षा की जाए तथा नई खाद्य उत्पाद जांच पद्धतियों एवं परिर्वतनों को शामिल किया जाए। नमूना-चयन एवं विश्लेषण पद्धति पर वैज्ञानिक पैनल ने विभिन्न खाद्य उत्पादों को जांचने में उपयोग में ली जा रही वर्तमान पद्धतियों की समीक्षा करना प्रारंभ किया तथा नई जांच पद्धतियों के विकास के कार्य का प्रारंभ किया। वर्ष 2015-16 के दौरान पैनल ने विभिन्न खाद्य पदार्थो को जांचने के लिए विभिन्न 16 मैन्युअलों की समीक्षा की तथा गुड फूड लैबोरेट्री प्रेक्टिसिज (जीएफएलपी) का दस्तावेज का निर्माण किया। इन मैन्युअलों की समीक्षा का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है तथा खाद्य प्राधिकरण के द्वारा निम्नलिखित 9 मैन्युअलों को वैज्ञानिक पैनल की बैठकों, वैज्ञानिक समितियों तथा जन-संवाद के पश्चात स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(i) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद

(ii) तेल एवं वसा

(iii) फल एवं सब्जी उत्पाद

(iv) अनाज एवं अनाज उत्पाद

(v) खाद्य योजक

(vi) कवक विष

(vii) मसाले एवं चटनी

(viii) धातु

(ix) नमूना-चयन पर सामान्य दिशा-निर्देश

अध्याय – 13

नियम संग्रह गतिविधियां

13.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में भारतीय नियम संग्रह संपर्क बिन्दु जो कि राष्ट्रीय नियम संग्रह सम्पर्क बिन्दु (एनसीसीपी) है। स्थापित किया गया है। प्रत्येक देश का एनसीसीपी कोडेक्स सचिवालय के साथ कोडेक्स भोजन विषयक संबंधी मामलों में समन्वय करता है।

13.2 भारतीय प्रतिनिधी मण्डल ने वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित 17 कोडेक्स समिति बैठको में भाग लिया। प्रतिनिधि मण्डल में खाद्य प्राधिकरण से तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग से सदस्य तथा अन्य भागीदार भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे। भारत ने 'परिष्कृत चीज़ भौतिक कार्यकारी समूह की ब्रसल्स में जनवरी 2015 में आयोजित बैठक में भाग लिया। भारत ने रोम, इटली में दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से 2 दिसम्बर, 2015 तक आयोजित कोडेक्स भोजन विषयक कार्यकारी समिति कार्यशाला में भी भाग लिया। भारत ने 49 इलैक्ट्रोनिक कार्यकारी समूहों की बैठक में भाग लिया तथा ईडब्ल्यूजीस में महत्वपूर्ण टिप्पणियों की। भारत ने 8 ईडब्ल्यूजी बैठकों की अध्यक्षता भी की। भारत 2016 में आयोजित एक ईडब्ल्यूजी बैठक (वेअर-पोटाटो) एवं एक ईडब्ल्यूजी बैठक (जीपीएफएच समीक्षा एवं एचएसीसीपी पूरक अंश की समीक्षा) का सह-अध्यक्ष भी है। उपरोक्त वर्णित सभी कोडेक्स समितियों में, पीडब्ल्यूजी एवं ईडब्ल्यूजी बैठकों में, भारत की लिखित टिप्पणियां कोडेक्स सचिवालय में जमा कराई गई एवं भारत की चिंताओं को वृहद रूप से इन टिप्पणियों एवं हस्तक्षेपो के आधार पर समिति-सत्रों के दौरान संबोधित किया गया।

13.3 भारत ने भोजन में प्रदूषकों पर कोडेक्स समिति के नवें सत्र की सह-मेजबानी दिनांक 16-19 मार्च, 2015 तक नई दिल्ली में की। इसका उद्घघाटन 16 मार्च, 2015 को महामहिम श्री एलफोन्सस स्टोलिन्गा, नीदरलैण्ड के भारत में राजदूत, श्रीमती नाता मेनण्दे, डब्ल्यूएचओ की भारत में प्रतिनिधि, श्री युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा डॉ विकिटंस, अध्यक्ष, सीसीसीएफ की उपस्थिति में हुआ। सत्र की अध्यक्षता डॉ विकी टंस, पशु स्वास्थ्य एवं बाजार पहुंच विभाग, आर्थिक मामले मंत्रालय, नीदरलैण्ड के द्वारा की गई। इस सत्र में 55 सदस्य देश, एक सदस्य संगठन एवं 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रेषक शामिल थे। भारत की ओर से 26 सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया जिसमें अन्य मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री सुनील बक्शी, उप महाप्रबंधक, एनडीडीबी, ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा अकार्बनिक आर्सेनिक की भुसी चावल में उच्चतम स्तर के प्रस्तावित प्रारूप पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां एवं हस्तक्षेप किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने समिति को यह सूचित किया कि भारत नए सत्र में भूसी चावल से जीईएमएस के परिर्वतन के लिए 0.35 एम जी/ किग्रा का नया अतिरिक्त आंकडा प्रस्तुत करेगा।

13.4 सीएसी (2015) के 38वी सत्र में भारत को दो वर्ष के लिए एफएओ/ डब्ल्यू एच ओ की एशिया की समन्वय समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया है तथा 2015 से, सीसीएशिया की बैठक प्रत्येक नियम संग्रह समिति की बैठकों के साथ-साथ आयोजित की जा रही है। भारत का स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए स्वच्छता अभ्यास का नियम संग्रह को सत्र की कार्य सूची में शामिल कर लिया गया है।

13.5 नए प्रस्तावित कार्य

13.5.1 भारत ने नए प्रस्तावित कार्य के रूप में मसालों एवं पाक जड़ी-बूटियों की कोडेक्स समिति के द्वितीय सत्र में 14-18 सितम्बर, 2015 तक आयोजित सूखी मिर्च पाउडर एवं सूखा लहसुन को प्रस्तावित किया।

13.5.2 भारत ने 5-9 अक्टूबर, 2015 को आयोजित ताजे फलों एवं सब्जियों पर कोडेक्स समिति के 19वें सत्र में ताजे खजूर को नए कार्य के रूप

में प्रस्तावित किया तथा समिति सहमत हुई कि भारत इस पर एक प्रोजेक्ट दस्तावेज तथा मानक अगले सत्र में विचार-विमर्श के लिए तैयार करेगा।

13.5.3 खाद्य लैबलिंग पर कोडेक्स समिति में गैर खुदरा कन्टेनरों पर लैबलिंग मानक

13.6 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा प्राधिकरण तंत्र (इन्फोसान)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा प्राधिकरण तंत्र को एशिया में मजबूत करने के लिए तथा राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा व्यवस्था पर 23-26 नवम्बर, 2015 तक कोंगसार (चीन) में आयोजित मीटिंग में भाग लिया।

अध्याय – 14

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी)

14.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) रणनीतियों एवं दृष्टिकोण को जोड़ती है जिससे कि संगठन, समुदाय एवं हितधारक अपने निर्धारित लक्ष्यों को बनाए एवं प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। आईसी किसी भी संगठन की प्रचार गतिविधियों को प्रणालीबद्ध करने के लिए रीड़ की हड्डी का कार्य करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें नियमित एवं सतत् प्रयासों की लक्षित हितधारकों पर आवश्यकता होती है। यह लोगों को निर्णय लेने में एवं अपने व्यवहार को परिवर्तित करने में सशक्त करती है।

14.2 आईईसी गतिविधियों को आवश्यकताओं के मूल्यांकन दृश्यता को व्यापक बनाने के लिए, कानून, नियम एवं विनियम के बारे में शिक्षित करने एवं जागरूकता पैदा करने के आधार पर विकसित किया जाता है। आईईसी ने विभिन्न लक्षित समूहों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए कई संचार के साधनों का उपयोग किया।

14.3 हितधारकों को कानून, नियम एवं विनियम के आवश्यक भागों के बारे में जागरूक करने के लिए कई आयोजन प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा किए गए। आईईसी सामग्री को बुकलेट/लीफलेट/पोस्टरों इत्यादि को खाद्य संरक्षा पर खाद्य संचालकों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई खाद्य संरक्षा, खाद्य संचालक क्या करें एवं क्या नहीं, स्ट्रीट फूड का उपभोग करते समय खाद्य संरक्षा के ध्यान में रखे जाने वाले बिन्दु, आयात अनापत्ती प्रमाण पत्र, लैबलिंग, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट, बच्चों के लिए खाद्य संरक्षा, घर पर खाद्य संरक्षा इत्यादि पर एफएसएसएआई के हितधारकों के लिए विकसित किया गया।

14.4 जन संपर्क प्रेरणा कार्यक्रम एमसीएपी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (डीडीयू एसआईआरडी) उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में चलाया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हितधारकों को एफएसएसएआई के एफएसएस एक्ट, नियम एवं विनियम उद्देश्य एफएसएसएआई के कार्य एवं भूमिका, खाद्य सुरक्षा एवं मानक, भोजन में मिलावट की जांच करने के सामान्य तरीके, खाद्य समस्या को कैसे रिपोर्ट करें के बारे में शिक्षित करना था।

14.5 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए देश कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने मिलकर एक राष्ट्रीय परामर्श गोष्ठी का आयोजन 1 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2015 के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम के तौर पर किया।

14.6 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) लेडी इरविन महाविद्यालय नई दिल्ली में एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन विश्व स्वास्थ्य दिवस 2015 के उपलक्ष में 7 अप्रैल 2015 को आयोजित किया।

14.7 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से खाद्य एवं औषध प्रशासन के निदशालय ने गृह विज्ञान महाविद्यालय, गोवा सरकार के सहयोग से एक दो दिवसीय खाद्य संरक्षण प्राधिकरण कार्यशाला का आयोजन स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 23 एवं 24 जून 2015 को गृह विज्ञान महाविद्यालय केम्पाल, पणजी, गोवा में किया।

14.8 एफएसएसएआई ने उपभोक्ता मामले विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त जन अभियान जागो ग्राहक जागो- 2015 में भाग लिया।

14.9 एफएसएसएआई ने 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले-2015, आईआईटीएफ, 2015 में 14 से 27 नवंबर 2015 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित मेले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्थ पवेलियन में स्टॉल लगाकर भाग लिया।

14.10 केंद्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों, उपभोक्ता संगठनों/ गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों जो कि खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं को सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन करने के लिए एफएसएसएआई से जोड़ने की योजना बनाई गई एवं घोषित की गई!

14.11 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफएसएसएआई ने भारत में छात्रों के लिए पोषित सुरक्षित एवं स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

14.12 विचार मंथन कार्यशाला

14.12.1 एफएसएसएआई ने12 मार्च 2016 को खाद्य संरक्षा एवं पौष्टिक भोजन की सोशल मार्केटिंग विषय पर विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया इसका उद्देश्य खाद्य संरक्षण को बढ़ावा देना एवं जागरुकता पैदा करना था

14.12.2 इस कार्यशाला में दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग, भारतीय जनसंचार संस्थान, एम्स, आईडीए, सीआईआई-फेस, नेश्ले इंडिया लिमिटेड, डाबर, जीएसके, करगिल, हल, एनआईएसजी, तकनीकि विषेशज्ञ, कलाकार इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित 65 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.12.3 विभिन्न विषयों पर अलग-अलग समूहों के विचारों का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान किया गया, जिससे लोगों को सामाजिक अथवा मल्टी मीडिया के माध्यम से शिक्षित करने और काम में लगाने, ग्राहकों के विभिन्न वर्गों को समझने, विनियमन और प्रवर्तन के लिए एक ही मंच का सृजन करने, बेहतर पहुँच के राज्य सरकारों को शामिल करने, खाद्य के पोषण स्तर का आकलन करने के लिए खाद्य एप का विकास करने जैसे नए विचार सामने आए।

14.13 दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में जागरूकता अभियान

14.13.1 मार्च-अप्रैल, 2016 में दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के सभी रूटों में शिक्षात्मक/जागरूकता पैनल लगा कर मेट्रो ट्रेनों में आम-जन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।

14.14 स्ट्रीट फूड उत्सव

14.14.1 सेंट्रल पार्क, न्यू मोती बाग में दिनांक 13 मार्च, 2016 को एक स्ट्रीट फूड उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में स्ट्रीट फूड विक्रेताओ को प्रशिक्षण देने, योग्य विक्रेताओं को पहचान-पत्र एवं स्वच्छता किटें देने, विक्रेता पंजीकरण करने, पहेली प्रतियागिताएँ आयोजित करने और खाद्य संरक्षा पर खेल तथा आगंतुकों के लिए संतुलित आहार जैसी कई समानांतर गतिविधियाँ आयोजित की गई। हितधारकों को अपनी चिंताएँ जताने में सक्षम बनाने के लिए उत्सव के दौरान एफएसएसएआई मोबाइल एप भी आरंभ किया गया। उत्सव में अन्यों के अतिरिक्त श्री जगत प्रकाश नड्डा, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय मामले राज्य मंत्री, भारत सरकार ने भी भाग लिया।

14.15 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कौशल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली राज्य सरकार, पर्यटन एवं मेजबानी कौशल परिषद, भारतीय राष्ट्रीय पथ विक्रेता संगठन (एनएएसवीआई) एवं सीआईआई-जुबलिएंत भारतीय खाद्य एवं कृषि उत्कृष्टता केन्द्र (फेरन) की भागीदारी से स्ट्रीट फूड उत्सव के दौरान स्वच्छ स्ट्रीट फूड दिल्ली प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।

14.16.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 31वीं एएएचएआर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं मेजबानी मेला, 2016, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में दिनांक 15-19 मार्च, 2016 में आयोजित हुआ था, में एक स्टॉल लगाकर भाग लिया।

14.16.2 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्टॉल का उद्घघाटन श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण श्री बी.के.दुबे, निदेशक, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फिक्की एवं एआईएफपीए के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ।

14.16.3 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्टॉल से बड़ी संख्या में आगुन्तकों ने जानकारी प्राप्त की जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए हुए खाद्य व्यापार संचालक, आयातक, उपभोक्ताओं के विभिन्न समूह जैसे महिलाएं, युवा, विद्यालय छात्र-छात्राएं, महाविद्यालय छात्र-छात्राएं इत्यादि शामिल थे। स्टॉल पर औसतन 150-250 व्यक्ति प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करने के लिए आए।

14.17 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का अपना फेसबुक पेज है जहां पर नियमित रूप से खाद्य संरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित सुझाव दिए जाते है क्योंकि जनता का कल्याण ही राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा प्रणाली का परम लक्ष्य है। निम्नलिखित अभियान वर्ष 2015-16 के दौरान चलाए गए :

#स्वच्छता एवं सफाई मानक

#सुरक्षित भोजन के पांच आधार ,एवं

#स्ट्रीट फूड संरक्षा

14.18 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की समर्पित एवं अनुरक्षित वेबसाईट www.fssai.gov.in है जहां पर एफएसएस एक्ट/नियम/विनियम अन्य विषयों, परामर्श, अधिसूचना, मिलावट की जांच करने के लिए सूचना इत्यादि समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

14.19 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यू-ट्यूब पर खाद्य मिलावट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मौलिक विडियोज उपलब्ध करवाए है। एफएसएसएआई के द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने के चित्रण का संदर्भ पृष्ठ संख्या - 46-50 (अग्रेजी भाग) में लें।

अध्याय -15

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक एक्ट के साथ, खाद्य प्राधिकरण से यह भी अपेक्षित है कि वह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकि सहयोग प्रदान करें। खाद्य प्राधिकरण खाद्य मानकों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के खाद्य मानकों पर समन्यव कार्य को भी बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकि मानकों एवं घरेलू खाद्य मानकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एसपीएस (स्वास्थ्य संबंधी एवं पादप स्वच्छता संबंधी) मुद्दों के लिए राष्ट्रीय पूछताछ केन्द्र है और इस प्रकार प्राधिकरण नियमित रूप से खाद्य मानकों पर द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेता है। खाद्य संरक्षा एवं प्रयोगशालाओं की क्षमता निर्माण में संबंधित निम्नलिखित बैठकों में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2015-16 में भाग लिया।

15.1.1 चीन से आयात होने वाले दुग्ध एवं दुग्ध से बने उत्पाद, चॉकलेटस तथा चॉकलेट उत्पाद तथा ठोस दुग्ध सामग्री तथा दुग्ध से बनने वाली ठोस दुग्ध सामग्री से बनी केन्डीस /मिष्ठान /खाद्य सामग्री की समीक्षा की गई तथा किसी भी विश्वसनीय रिपोर्ट एवं समर्थन आंकड़ों के अभाव में यह सिफारिश की गई कि इन उत्पादों पर 23 जून, 2016 तक प्रतिबन्ध जारी रखा जाए अथवा जब तक कि उक्त उत्पादों के समर्थन में जोखिम मूल्याकंन की विश्वसनीय रिपोर्ट जो कि समर्थित आंकड़ों पर आधारित हो तथा यह रिपोर्ट उक्त उत्पादों के प्रतिबंध की समीक्षा की गारंटी हो तब तक यह प्रतिबंध जारी रखा जाए।

15.1.2 सहमति के साझा बयान (जेएसआई) पर उपभोक्ता सुरक्षा एवं खाद्य संरक्षा संघीय कार्यालय (बीवीएल) तथा संघीय संस्थान जोखिम मूल्यांकन (बीएफआर) जर्मनी एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु किए गए। इस जेएसआई पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को आपसी हितों के आधार पर संबंधित क्षमता क्षेत्रों में सहयोग को विकसित करना एवं बनाए रखना है तथा अपनी-2 क्षमताओं के अनुसार खाद्य संरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग तथा खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को सुधार करना दोनों देशों के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा एवं सुरक्षा करना है।

15.1.3 ए.एन.एस.ई.एस (खाद्य, पर्यावरण एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए फ्रांसिसी एजेन्सी) फ्रांस तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मध्य खाद्य संरक्षा के लिए सहयोग को बढावा देने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर दिनांक 25 जनवरी, 2016 को हस्ताक्षर हुए। इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकि सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों एजेन्सियां खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं विशेषकर, जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों में, खाद्य जोखिम विश्लेषण, प्रयोगशाला अभ्यास, समग्र आहार अध्ययन की पद्वतियों के क्षेत्र में।

15.1.4 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक तकनीकि संगोष्ठी का आयोजन खाद्य संरक्षा विज्ञान पर यूएसएफडीए के सहयोग से दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को इण्डिया हेबीटेट सेन्टर, नई दिल्ली में किया। इस वैज्ञानिक आदान-प्रदान यात्रा का उद्देश्य तकनीकि स्तर पर एक कड़ी स्थापित करना था तथा यूएसएफडीए की विज्ञान नीति के आधार पर विस्तृत समझदारी को प्रोत्साहित करना तथा खाद्य संरक्षा के विज्ञान की आपसी समझ को संवाद, विश्वास एवं सहयोग से मजबूत करना तथा दोनो पार्टियों-यूएसएफडीए तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्राथमिक हितों पर विचार का आदान प्रदान करना था। इस संगोष्ठी में यूएसएफडीए प्रमुख वक्ताओं से यूएस एफ डी ए के खाद्य संरक्षा के प्रवर्तन ढॉचा, निगरानी, निरीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, प्रबंधन व्यवस्था, पैकेजिंग एवं लैबलिंग संबंधी मुद्दों पर उपयोगी जानकारी प्रदान की। इस गोष्ठी ने भागीदारों एवं हिस्सेदारों के ज्ञान में वृद्धि की तथा यह द्विपक्षीय सहयोग को भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।

15.1.5 इसी श्रृंखला में नियमित रूप से विभिन्न देशों के साथ खाद्य संरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसी समझदारी को बढ़ाने के लिए तथा सहयोग के क्षेत्र में विचार-विमर्श के लिए कई बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान, यूएसडीए, यूएसएफडीए, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंण्ड, पौलेण्ड, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, आस्ट्रेलिया इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित की गई जिनसे प्रतिनिधी मण्डलों को भारतीय नियामक व्यवस्था को खाद्य पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, लेबलिंग, खाद्य आयात से संबंधित मुद्दों इत्यादि के संबंध में समझने में मदद मिली तथा एफएसएसएआई को भी विभिन्न देशों में प्रचालित सर्वश्रेष्ठ खाद्य प्रथाओं को समझने एवं सीखने में मदद मिली तथा कैसे द्विपक्षीय सहयोग से खाद्य सरंक्षा नेटवर्क को उन्नत किया जा सकता है।

15.2 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शाखा नियमित रूप से विभिन्न देशों/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में बैठकों का आयोजन, बैठकों में प्रतिभागिता से, कार्यशाला/ सेमीनार का आयोजन कर नए समझौतों की संभावना की तलाश कर रहा है ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को समझा एवं लागू किया जा सके।

अध्याय -16

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

16.1 प्रशिक्षण अनुभाग के लिए कार्य योजना

एफएसएस एक्ट के भाग 16(3) (एच) के संदर्भ में, प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि अपने क्षेत्र के अन्दर या बाहर ऐसे लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए जो कि अपना खाद्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या खाद्य व्यापार ऑपरेटर है या कर्मचारी हैं, या अन्य कोई व्यक्ति हैं।

16.2 खाद्य संरक्षा नियामकों के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण:

अभिहित अधिकारियों के लिए

दिनांक	स्थान	राज्य
2-4 नवम्बर, 2015	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
20 से 22 जनवरी , 2016	दिल्ली	दिल्ली

16.3 केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम :

(i) दिनांक 01.08.2014 को आयोजित 12वीं सीएसी बैठक की कार्यसूची के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के मामले के संबंध में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सुझाव दिया कि वे एसे प्रशिक्षकों की पहचान करें जो कि (टिओटि) प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिनकों केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में प्रशिक्षण भाग लें।

(ii) 22 से 24 जुलाई, 2015 को (टिओटि) कार्यक्रम का द्वितीय चरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण , एफडीए भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस चरण में महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं रेलवे के अधिकारियों ने भाग लिया।

16.4 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों में तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण :

(i) 8 से 9 सितम्बर, 2014 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों एवं अधिकृत अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो तकनीकी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उप कार्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें तकनीकि एवं कानूनी मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए।

(ii) 2015-16 के दौरान तकनीकि अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी कार्यालय
20- 21 जून, 2015	चेन्नई	चेन्नई एवं कोच्चीन
8 से 11 अक्टूबर, 2015 (दो बेच)	दिल्ली	दिल्ली एवं मुख्यालय

16.5 क्लीन स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट – नई दिल्ली

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा स्ट्रीट फूड को अपने आप में उन्नत कर वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए एवं इसकी लोक प्रियता को बढ़ाने के लिए क्लीन स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट को प्रारम्भ किया गया है।

भोजन के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में शुरू किए गए अभियानों से सीखते हुए, इस प्रोजेक्ट पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर नजदीक से निगरानी रख रहा है जिससे कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके ताकि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकें एवं वे इस स्थिति में हो जिससे कि वे अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकें एवं अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

स्ट्रीट फूड के स्वास्थ्य एवं संरक्षा मानकों में सुधार करने के अलावा, यह प्रोजेक्ट स्ट्रीट फूड विक्रेता समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में एक बड़ी भूमिका का निर्वाहन उनको एफबीओ प्रशिक्षण के द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर एवं आरपीएल (सीखने से पहले पहचान) जो कि सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीबाय) के अंतर्गत है से प्रशिक्षण देकर कर सकता है। इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट भारत के फूड स्ट्रीटों को नए पर्यटक आकर्षण के केन्द्र के रूप में उभारने में मदद करेगा जैसे कि विश्व के अन्य हिस्सों में है। इस प्रोजेक्ट का प्रारम्भ 13 मार्च, 2016 को सेन्ट्रल पार्क, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली में आयोजित खाद्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 23,000/- से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को आधारभूत स्वच्छता एवं भोजन को संभालने की प्रथाओं के बारे में दिल्ली में 40 चिन्हित स्थानों पर 8 प्रशिक्षण साझेदारों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कुछ अन्य राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी रूचि अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में दिखाई है।

अध्याय-17

सूचना प्रौद्योगिकी

17.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को समाहित करने के लिए एक आंतरिक सूचना प्रोद्योगिकी प्रभाग की स्थापना की गई है जिससे नई एकीकृत व्यवस्था में वर्तमान में किए जा रहे कार्य जैसे आयात, लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा भविष्य में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के विविध कार्य जैसे नए खाद्य मानकों का निर्धारण, गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों जैसे प्रयोगशाला इको सिस्टम, निगरानी, प्रवर्तन, उत्पाद अनुमोदन इत्यादि शामिल होंगे।

17.2 यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रोद्योगिकी दल आयात अनापत्ती व्यवस्था, लाइसेंसिग एवं रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के कार्य को एनआईएसजी (नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गर्वनेन्स) से उचित समय में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी। सूचना प्रोद्योगिकी दल को यह कार्य सौंपा गया है कि वह प्रोद्योगिकी को तेज गति से लागू करे एवं रणनीतिक रूप से संचालित करे व कुछ अन्य क्रिया-कलापो को तीसरी पार्टी को आऊटसोर्स कर दें।

17.3 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मोबाइल एप्प को विकसित किया गया है जिससे कि आम जन एफएसएस एक्ट 2006 के अधीन खाद्य व्यवसाय कर्ता द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन / लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं लाइसेंस संख्या की जांच कर पाए, एक उपभोक्ता किसी खाद्य उत्पाद के संबंध में अपने विचार इस एप्प के माध्यम से प्रकट कर सकता है।

17.4 तेजगति से आयात अनापत्ती प्रमाण पत्र देने के लिए 'पूर्व आगमन दस्तावेज जांच व्यवस्था' को लागू किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से आयातक माल बन्दरगाह पर पहुंचने से पूर्व अपने दस्तावेजों की जांच का लाभ ले सकता है। इससे 3-4 दिनों का समय बच जाता है जो कि दस्तावेजों की जांच में लगता था।

17.5 आयात प्राथमिकीकरण व्यवस्था की भी योजना लागू करने के लिए बनाई गई है। इस व्यवस्था में, आयातक के अनुपालन इतिहास को देखते हुए, जिस देश से सामान आयात किया जा रहा है एवं खाद्य सामग्री को ध्यान में रख कर खेप को आयात के लिए अनापत्ती प्रमाणपत्र बिना किसी प्रयोगशाला परीक्षण के जारी कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी खेपों प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है एवं उन्हें अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। 75% जोखिम खाद्य एवं 95% गैर जोखिम खाद्य को उल्लेखित व्यवस्था के द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र अनुपालना के रिपोर्ट के आधार पर देने पर विचार किया जा रहा है।

अध्याय - 18

सूचना का अधिकार मामले:

निम्नलिखित विवरण सूचना के अधिकार के संबंध में एफएसएसएआई को प्राप्त अनुरोधों को चित्रित करता ह -

	प्रथम तिमाही के प्रारम्भ पर विचाराधीन प्रार्थना पत्र (अप्रैल 15- मार्च-16)	तिमाही के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्र [अन्य पीए को स्थानातंरित मामलों सहित]	अन्य पीए को स्थानातंरित मामलों की संख्या 6(3) के अधीन	निर्णय जहां अनुरोध/अपील निरस्त की गईं	निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए
आवेदन	7	1267	283	85	895
प्रथम अपील	0	56	0	56	0

अभीहित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की संख्या	**अभीहित अपीलीय अधिकारियों की संख्या**
16	13

आवेदनों को निरस्त करते समय जितनी बार विभिन्न प्रावधानों को लागू किये गए													
सूचना का अधिकार कानून-2005 के संबंधित धारा													
धारा 8 (1)										धाराएं			अन्य
क	ख	ग	घ	न	च	छ	ज	झ	ण	9	11	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83

खण्ड **II** (एकत्रित शुल्क, लगाया गया दण्ड एवं की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण)			
एकत्रित रजिस्ट्रेशन फीस (रुपये में.) 7(1) के अधीन	एकत्रित अतिरिक्त फीस (रुपये में.) 7(3) के अधीन	प्राप्त दण्ड राशि (रुपये में.) जैसा कि सीआईसी द्वारा निदेशित 20(1) के अधीन	मामलों की संख्या जिनमें किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशास-निक कार्रवाई की गई 20(2) के अधीन
5164/-	**3961/-**	**0**	**0**

स्वत: घोषणा को वेबसाईट पर अपलोड करने की अन्तिम दिनांक जुलाई 2015

अध्याय-19

राजभाषा

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण के कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिये कई कदम उठाये गये । वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रुप से किया गया एवं इन बैठकों मे लिये गये निर्णयों को लागू किया गया। हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से 50 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । सभी कम्प्यूटरों मे यूनीकोड प्रतिष्ठापित किया गया । परिणामस्वरुप विभिन्न अनुभागों के द्वारा हिन्दी में उच्च प्रतिशत में पत्र जारी किये गए। हिन्दी का प्रयोग फाईल नोटिंग में भी बढा है । सितम्बर 2015 में हिन्दी पखवाडे का आयोजन किया गया । इस पखवाडे के दौरान, कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया जैसे हिन्दी निबंध, भाषण प्रतियोगिता, हिन्दी ज्ञान, काव्य पाठ प्रतियोगिता, इत्यादि । तिमाही प्रगति रिपोर्ट को ऑन लाईन माध्यम से राजभाषा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रेषित किया जाता है। प्राधिकरण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली, मध्य का सदस्य भी है तथा वर्ष के दौरान समिति के द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में प्राधिकरण द्वारा भाग भी लिया जाता है । प्राधिकरण को हिन्दी संवर्धन पुरुस्कार से एक संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है जो कि भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढावा देने के लिए समर्पित है।

अध्याय - 20

वित्तीय विवरण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

(खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित सांविधिक प्राधिकरण)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तुलन पत्र यथा 31-03-2016

(राशि रुपयों में)

कोष/कैपिटल फन्ड एवं देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कोष/कैपिटल फन्ड	1	1,361,893,931	1,008,673,173
भंडार और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती फंड	3	23,401,497	23,401,497
असुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-
विलम्बित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	288,156,677	306,135,415
योग		**1,673,452,105**	**1,338,210,085**
परिसंपत्तियाँ			
अचल संपतियां	8	37,340,873	25,702,389
निवेश-से निर्धारित / बंदोबस्ती फंड	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,636,111,232	1,312,507,696
विविध व्यय		-	-
(बट्टेखाते अथवा समायोजित में नहीं किया गया)			
योग		**1,673,452,105**	**1,338,210,085**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	27		

सहायक निदेशक (वित्त, बजट, एवं लेखा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसआई

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
सेवाओं से आय	12	223,428,822	230,354,819
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13	455,141,503	446,504,600
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निवेश से आय. from earmarked/endow. funds transferred to funds)	15	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन से प्राप्त आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	78,181,448	46,259,759
अन्य आय	18	2,998,906	173,767
वृद्धि /(कमी) तैयार माल के स्टॉक में और कार्य प्रगति में	19	-	-
योग (अ)		**759,750,679**	**723,292,945**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	87,970,983	91,083,337
प्रशासनिक व्यय इत्यादि	21	297,173,412	287,665,631
मरम्मत एवं सार संभाल व्यय	22	6,267,731	7,551,054
अनुदान/सब्सिडी इत्यादि परव्यय	23	5,500,000	3,000,000
मूल्यह्रास	24	9,617,795	9,109,203
ब्याज	25	-	-
योग(ब)		**406,529,921**	**398,409,225**
खर्च पर आय से अधिक शेष राशि (अ-ब)		**353,220,758**	**324,883,720**
स्पेशल रिजर्व के लिए स्थानांतरित		-	-
सामान्य रिजर्व के लिए/से स्थानांतरित		-	-
शेष को अधिशेष / (घाटा) कोष / कैपिटल फंड में किया जाता है।		**353,220,758**	**324,883,720**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	27		

सहायक निदेशक (वित्त, बजट, एवं लेखा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसआई

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तुलन पत्र के गठन भाग अनुसूची यथा 31-03-2016

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1 - कोष/कैपिटल फन्ड:		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में शेष		1,008,673,173	681,710,167
	जोडे: समग्र/पूंजी शेष		
	जोडें/ (घटाएं) आय तथा व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष कम करें :		
	कम करें: रुपये स्थायी परिसंपति कोष में अतंरण की गई राशि	353,220,758	326,963,006
	वर्ष के अतं में शेष	**1,361,893,931**	**1,008,673,173**
अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष:		**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	1. पूंजी रिजर्व:		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान योग	-	-
	वर्ष के दौरान कमी/घटाव	-	-
	पुर्नमूल्याकंन रिजर्व:		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान योग	-	-
	वर्ष के दौरान कमी/घटाव	-	-
	3. विशेष रिजर्व:		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान योग	-	-
	वर्ष के दौरान कमी/घटाव	-	-
	4. सामान्य रिजर्व:		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान योग	-	-
	वर्ष के दौरान कमी/घटाव	-	-
	योग	-	-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रुपयों में)

अनुसूची-3 उददिष्ट/ अक्षय निधियां					
				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
				नियत परिसंपति निधि	नियत परिसंपति निधि
	क) निधियों का अथ उपयोग			23,401,497	23,401,497
	ख) निधियों में योग				
		i. दान/अनुदान		-	-
		ii. निधियों के कारण निवेश से आय		-	-
		iii. अन्य योग (प्रकृति स्पष्ट करें)			
		क) पूंजी व्यय योजना		-	-
		ख) पूंजी व्यय - गैर-योजना		-	-
		ग) उपहार स्वरुप पूंजी		-	-
		घ)जीपीएफ में स्टाफ का योगदान		-	-
		ड) जीपीएफ खाते में जमा ब्याज		-	-
		च) अग्रिम धन की वापसी		-	-
		iv. संचित रिजर्व		-	-
		v. समग्र निधि से अंतरण			-
		योग (ख)		-	-
		योग (क+ख)		**23,401,497**	**23,401,497**
	ग) निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय				
		i. पूंजी व्यय		-	-
			नियत परिसंपति	-	-
			-अन्य	-	-
			- बिना सेवा योग्य सामग्री का निपटान	-	-
			- वर्ष के दौरान मूल्याहास	-	-
			कुल	-	-
		ii. राजस्व व्यय			
		-वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि.		-	-
		-किराया		-	-
		-अन्य प्रशासनिक व्यय		-	-
		- स्टाफ को अग्रिम		-	-
		- स्टाफ तथा कलाकारों को अंतिम भुगतान		-	-
		- अदावे वाले शेष में अंतरण		-	-
		- स्टाफ दवारा अंतिम निकासी		-	-
		कुल		-	-
	योग (ग)			**-**	**-**
	वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)			**23,401,497**	**23,401,497**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रूपये में)

			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनूसूची- 4 सुरक्षित ऋण और उधार राशि				
	1. केंद्र सरकार		-	-
	2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
	3. वित्तीय संस्थान			
		क) मियादी ऋण	-	-
		ख) अर्जित और देय ब्याज	-	-
	4. बैंक			
		क) मियादी ऋण	-	-
		अर्जित और देय ब्याज	-	-
		ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
		अर्जित और देय ब्याज	-	-
	5. अन्य संस्थानें और एजेंसियां		-	-
	6. डिबैंचर और बॉन्ड		-	-
	7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
	योग		-	-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रूपये में)

			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 5- अप्रतिभूत कर्ज और उधार राशि				
	1. केंद्र सरकार		-	-
	2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
	3. वित्तीय संस्थान		-	-
	4. बैंक			
		क) मियादी ऋण	-	-
		ख)अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
	5. अन्य संस्थानें और एजेंसियां		-	-
	6. डिबैंचर और बॉन्ड		-	-
	7. फिक्स डिपॉजिट		-	-
	7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
	योग		-	-
अनुसूची-6 आस्थगित जमा देयता			**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपति के मालबंधन द्वारा सुरक्षित की स्वीकृत		-	-
	ख) अन्य		-	-
	योग		-	-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रुपयों में)

			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची- 7 - वर्तमान देनदारियां एवं व्यवस्था				
क. वर्तमान देनदारियां				
	1. स्वीकार्यता		-	-
	2. विविध लेनदार			
		क) वस्तु एवं सेवाओं के लिए (अनुसूची-7.1 के अनुसार)	36,699,080	46,912,209
		ख) अन्य (अनुसूची-7.2 के अनुसार)	-	20,569
	3. जमा धरोहर राशि		311,000	236,000
	4. अर्जित ब्याज परन्तु देय नहीं:			
		क) सुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
		ख) असुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
	5.वैद्यानिक देनदारियां:			
		क) अतिदेय	-	-
		ख) अन्य	310,380	(2,571)
	6. अन्य वर्तमान देनदारियां:			
		क) वेतनों में से कटौती	438,873	268,011
		ख) पुराने चैक	1,509,697	1,273,661
		ग) प्राप्त धरोहर राशि	10,206,488	8,839,165
	7. वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष:			
		क) वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष	236,918,338	234,859,841
	योग क)		**286,393,856**	**292,406,885**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रुपयों में)

ख. प्रावधान			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	1. कराधान के लिए			-
	2. ग्रेच्युटी		-	-
	3. अधिवर्षिता / पेंशन		-	-
	4. संचित छुट्टी नकदीकरण		-	-
	5.व्यापार वारंटिया / दावे		-	-
	6. अन्य(विशेष)		-	-
	क)	कानूनी और व्यावसायिक व्यय	-	3,100,735
	ख)	वेतन व्यय	-	3,000,000
	ग)	कार्यालय रख-रखाव व्यय	-	1,258,436
	घ)	सम्मेलन व्यय	-	50,000
	e)	किराया दर और कर व्यय	250,000	250,000
	f)	प्रशिक्षण व्यय	-	500,000
	g)	मोटर वहन व्यय	-	670,355
	h)	कार्यालय व्यय	810,264	1,000,000
	i)	सप्लाई तथा सामग्री व्यय	150,056	184,060
	j)	यात्रा व्यय	552,501	979,110
	k)	छुट्टी वेतन और पेंशन व्यय	-	2,635,834
	l)	लेखा परीक्षा शुल्क व्यय	-	50,000
	m)	चिकित्सा व्यय	-	50,000
	योग (ख)		**1,762,821**	**13,728,530**
	योग (क+ख)		**288,156,677**	**306,135,415**

			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7.1 वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध ऋणदाता				
1	नियंत्रक, खाद्य और औषध प्रशासन		-	500
2	आर के सक्सेना, उप निदेशक		-	60
3	राजेश कुमार, वैज्ञानिक		18,259	-
4	रवीन्द्र कुमार, सहायक निदेशक		7,748	-
6	प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के दावे		36,673,073	46,911,649
		कुल	**36,699,080**	**46,912,209**
			वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
अनुसूची 7.2 - अन्य के लिए विविध ऋणदाता				
1	देय ब्या1ज व्यय		-	20,569
	योग		**-**	**20,569**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

30.03.2016 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां (राशि रुपयों में)

क्रं.सं.	विवरण		विभागों का दर	सकल ब्लॉक					अवमूल्यन					शुद्ध संपत्ति	
				वर्ष की शुरूआत में लागत	वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के शुरू में जैसा हैं	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष पर	साल के दौरान योग पर	वर्ष के दौरान योग पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	पिछले वर्ष के अंत तक
					30.09.2015 तक का योग	30.09.2015 के बाद योग									
क	भूमि			मूल्याकंन											
	क)	फ्रीहोल्ड	0%												
	ख)	लीजहोल्ड (सिविल वर्क)	0%												
ख	भवन														
	क)	फ्रीहोल्ड जमीन पर	0%	-				-	-	-					-
	ख)	लीजहोल्ड जमीन पर (सिविल वर्क)	10%	2,185,700	-	3,055,185	-	5,240,885	267,749	191,795	152,759	-	612,303	4,628,582	1,917,951
ग	प्लांट, मशीनें एवं उपकरण							-		-	-	-			
	क)	लैब उपकरण	15%	4,555,587	455,263	175,913		5,186,763	1,862,563	403,954	81,483	-	2,348,000	2,838,763	2,693,024
	ख)	पानी का पाइप लाइन	15%	288,891				288,891	149,388	20,925	-	-	170,313	118,578	139,503
	c)	मशीनें एवं उपकरण	15%	3,050,864				3,050,864	657,991	358,931	-	-	1,016,922	2,033,942	2,392,873
घ	वाहन-एम्बेसडर कार		15%	563,772				563,772	406,195	23,637	-	-	429,832	133,940	157,577
ड.	फर्नीचर एवं फिक्चर्स		10%	7,206,452	1,068,256	650,314		8,925,022	1,752,080	545,437	139,341	-	2,436,866	6,488,165	5,454,372
च	फर्नीचर एवं फिक्चर्स (बैनफ्रिश भवन)		10%	2,331,700				2,331,700	285,633	204,607	-	-	490,240	1,841,460	2,046,067
छ	कार्यालय उपकरण							-		-	-	-			
	1	इलेक्ट्रोनिक हाजिरी मशीन	15%	80,608		21,658		102,266	46,706	5,085	1,624	-	53,416	48,850	33,902
	2	फोटोकापी मशीन	15%	2,122,406	2,052,490	-		4,174,896	1,096,401	153,901	307,874	-	1,558,175	2,616,721	1,026,005
	3	रेफ्रीजरेटर	15%	212,585				212,585	105,146	16,116	-	-	121,262	91,323	107,439
	4	रूमहिटर	15%	4,000	6,980			10,980	300	555	1,047	-	1,902	9,078	3,700
	5	स्केनिंग मशीन	15%	156,750	-			156,750	92,415	9,650	-	-	102,065	54,685	64,335
	6	वैक्यूम क्लीनर	15%	7,790				7,790	4,852	441	-	-	5,293	2,497	2,938
	7	वीजीए स्विचार एवं सिप्लटर	15%	119,855	8,000			127,855	38,413	12,216	1,200	-	51,829	76,026	81,442
	8	बीटेल टिक्न फॉस	15%	10,931				10,931	6,592	651	-	-	7,243	3,688	4,339
	9	मोबाइल फोन	15%	184,662				184,662	101,217	12,517	-	-	113,734	70,928	83,445
	10	कॉर्डलेस फोन	15%	8,476				8,476	5,770	406	-	-	6,176	2,300	2,706
	11	फैक्स मशीन	15%	229,930				229,930	135,483	14,167	-	-	149,650	80,280	94,447
	12	गीजर	15%	16,042				16,042	10,919	768	-	-	11,687	4,355	5,123
	13	माइक्रोवेव1	15%	13,350				13,350	8,830	678	-	-	9,508	3,842	4,520
	14	ऑयल फील्ड रेडीएटर	15%	25,365				25,365	16,532	1,325	-	-	17,857	7,508	8,833
	15	वोल्टेज स्टेब्लाइजर	15%	25,950				25,950	16,718	1,385	-	-	18,103	7,847	9,232
	16	वाटर डिस्पेंसर	15%	20,500				20,500	11,938	1,284	-	-	13,222	7,278	8,562

क्रं.सं.		विवरण	विभागों का दर	सकल ब्लॉक					अवमूल्यन					शुद्ध संपत्ति	
				वर्ष की शुरूआत में लागत मूल्याकंन	वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के शुरू में जैसा हैं	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष पर	साल के दौरान योग पर	वर्ष के दौरान योग पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	पिछले वर्ष के अंत तक
					30.09.2015 तक का योग	30.09.2015 के बाद योग									
	17	ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	15%	1,051,812				1,051,812	685,527	54,943	-	-	740,470	311,342	366,285
	18	एलसीडी टीवी	15%	1,657,109				1,657,109	1,036,196	93,137	-	-	1,129,333	527,776	620,913
	19	प्लाज्मा टीवी	15%	2,568,875				2,568,875	1,689,753	131,868	-	-	1,821,621	747,254	879,122
	20	पम्प सेट	15%	13,473	14,700			28,173	2,021	1,718	2,205	-	5,944	22,229	11,452
	21	टाटा स्काई एवं ईपीआरएस सिस्टम	15%	29,495				29,495	18,454	1,656	-	-	20,110	9,385	11,041
	22	सिमन हाईपाथ 1150 डिजिटल और औप्टि पाईट	15%	861,793				861,793	391,273	70,578	-	-	461,851	399,942	470,520
	23	स्पीकर	15%	14,350				14,350	8,938	812	-	-	9,750	4,600	5,412
	24	डिजीटल कैमरा	15%	83,050				83,050	47,499	5,333	-	-	52,832	30,218	35,551
	25	ऑफिस अप्लाइंसिस	15%	83,680	14,879			98,559	40,078	6,540	2,232	-	48,850	49,709	43,602
	26	ब्लयूरे डिस्क प्लेयर	15%	99,000				99,000	55,073	6,589	-	-	61,662	37,338	43,927
	27	एलसीडी प्रोजेक्ट	15%	247,950				247,950	96,566	22,708	-	-	119,274	128,676	151,384
	28	कूलर	15%	77,722	45,975			123,697	39,969	5,663	6,896	-	52,528	71,169	37,753
	29	फैक्रिग मशीन	15%	344,940				344,940	178,383	24,984	-	-	203,367	141,573	166,557
	30	विजिकूलर एंड डीप फ्रीजर	15%	107,437				107,437	51,354	8,412	-	-	59,766	47,671	56,083
	31	फोन	15%	21,614		4,200		25,814	7,906	2,056	315	-	10,277	15,537	13,708
	32	टाटा स्काई	15%	7,622				7,622	5,261	354	-	-	5,615	2,007	2,361
	33	एयर कंडीशनर	15%	195,488				195,488	64,841	19,597	-	-	84,438	111,050	130,647
	34	वाइस रिकॉडर	15%	6,490				6,490	487	900	-	-	1,387	5,103	6,003
	35	ट्रासफोरम	15%	-	1,253,668			1,253,668	-	-	188,050	-	188,050	1,065,618	-
H.		कम्प्यूटर सहायक उपकरण						-		-	-	-			
	1	कम्प्यूटर	60%	12,275,112	33,825	6,474,018	-	18,782,955	10,360,720	1,148,635	1,962,500	-	13,471,856	5,311,099	1,914,392
	2	यूपीएस एंड बैटरी	15%	942,270	11,812	991,671		1,945,753	482,956	68,897	76,147	-	628,000	1,317,753	459,314
	3	प्रिंटर एंड स्कैनर	15%	2,343,177	21,690	698,250		3,063,117	1,476,471	130,006	55,622	-	1,662,099	1,401,018	866,706
	4	सिस्को 2821 सेक्योरिटी बंडल	15%	171,306				171,306	100,997	10,546	-	-	111,543	59,763	70,309
	5	कम्प्यूटर सॉफटवेयर	60%	1,262,625		2,386,169		3,648,794	1,132,029	78,358	715,851	-	1,926,237	1,722,557	130,596
	6	लाइबेर सॉफटवेयर	60%	228,800				228,800	227,160	984	-	-	228,144	656	1,640
	7	नेटवर्किग उपकरण	15%	679,903	14,912	91,791		786,606	254,805	63,765	9,121	-	327,691	458,915	425,098
	8	वेब कैम	15%	18,900				18,900	11,562	1,101	-	-	12,663	6,237	7,338
	9	सरवर	60%	6,528,777		1,682,935		8,211,712	5,484,173	626,762	504,881	-	6,615,816	1,595,896	1,044,604
I.		लाइब्रेरी पुस्तकें	60%	4,659,971	7,185	14,541		4,681,697	3,272,237	832,640	8,673	-	4,113,551	568,146	1,387,734
		योग (क)		60,004,907	5,009,635	16,246,645	-	81,261,187	34,302,520	5,399,973	4,217,822	-	43,920,322	37,340,873	25,702,389
		पिछले वर्ष		50,565,557	4,250,496	6,134,963	946,109	60,004,907	18,166,270	5,316,816	2,121,770	408,669	34,302,518	25,702,389	23,292,957

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	1. सरकार में प्रतिभुतियां	-	-
	2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
	3. शेयर	-	-
	4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	-	-
	5. समनुषंगी तथा संयुक्त नवोद्यम	-	-
	6. अन्य (उल्लेख किया जाए)	-	-
	योग	-	-
अनुसूची 10 -सूची		**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	1. सरकार में प्रतिभूतियां	-	-
	2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
	3. शेयर	-	-
	4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	-	-
	5. समनुषंगी तथा संयुक्त नवोद्यम	-	-
	6. अन्य (उल्लेख किया जाए)	-	-
	योग	-	-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वर्तमान परिसंपत्तियां					
	1. वस्तु सूची				
		क) स्टोर्स तथा स्पेयर्स		-	-
		ख) खुले औजार		-	-
		ग) व्यापार में स्टॉक			
			तैयार माल	-	-
			कार्य प्रगति पर	-	-
			कार्य प्रगति पर -उत्तरी क्षेत्र (सीएचईबी)	4,590,000	4,590,000
			कार्य प्रगति पर -क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	5,691,464	3,524,614
			कार्य प्रगति पर -क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	-	3,055,185
			कच्चा माल	-	-
	2. विविध देनदार				
		क)छह माहसे अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		-	-
		ख) अन्य		-	-
	3. हाथ में नगदी शेष (चेक/ड्राफ्टऔर अग्रदाय सहित)			40,884	45,884
	4. बैंक शेष				
		क) अनुसूचित बैंक में			
			चालू खाता में (संलग्नक I के अनुसार)	-	9,933,766
			चालू खाता में (संलग्नक I के अनुसार)	1,408,292,937	608,880,974
			क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खाते (संलग्नक II के अनुसार)	30,926,821	51,312,079
			मुख्यालय के बचत खाता में (संलग्नक II के अनुसार)	19,422,710	496,656,908
			मियादी जमा पर कटौती की गई टीडीएस	7,858,543	1,191,413
		ख) गैर अनूसूचित बैंकों में			
			चालू खाते में	-	-
			जमा खाते में	-	-
			बचत खाते में	-	-
	5. डाकघर -बचत खाता			-	-
	कुल			**1,476,823,359**	**1,179,190,823**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां 31.03.2016

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि (जारी)			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
	1.ऋण			
		क) स्टाफ	-	-
		ख) इस तरह के क्रिया-कलापों/उद्देश्यों में शामिल अन्य लोग	-	-
		ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	2. नगद या अन्य प्रकार से वसूली योग्य अग्रिम या अन्य राशियों या प्राप्त किए जाने			
	जाने वाले मूल्य			
		क) पूंजी खाते में	-	-
		ख) पूर्व भुगतान	-	-
		ग) अन्य	-	-
		प्रतिभूति जमा	18,870,620	12,687,070
		केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (60%हिस्सेदारी)	33,816,975	21,978,385
		- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	19,470,359	-
		- वित्तीय वर्ष 2014-2015 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	17,803,085	28,809,350
		-वित्तीय वर्ष 2013-2014 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	55,114,564	55,629,798
		-वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	14,212,270	14,212,270
	3.प्रोद्भूत आय			
		क) उद्दिष्ट /अक्षय निधियोंसे		-
		ख) निवेश -अन्य से	-	-
		ग) ऋण तथा अग्रिम से	-	-
		घ) अन्य		
	4. प्राप्ति योग्य दावे		-	-
	कुल (ख)		**159,287,873**	**133,316,873**
	कुल (क+ख)		**1,636,111,232**	**1,312,507,696**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 - विक्रय/सेवाओं से आय				
	1) विक्रय से आय			
		क) तैयार माल की बिक्री		
		ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
		ग) रद्दी की बिक्री	-	-
	2) सेवाओं से आय			
		क) लाइसेंस शुल्क	195,939,501	188,011,968
		ख) नमूना परीक्षण शुल्क	6,439,320	6,942,795
		ग) उत्पाद अनुमोदन शुल्क	21,050,001	35,400,056
	कुल		**223,428,822**	**230,354,819**
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 13- अनुदान/सब्सिडी				
	1) केंद्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)		548,800,000	411,100,000
	2) राज्य सरकार		-	-
	3) सरकारी एजेंसियां		-	-
	4) संस्थान/कल्याण संस्थाएं		-	-
	5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		-	-
	6) अन्य :			
	जोडे: वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष		234,859,841	270,264,441
	घटाएं: मंत्रालय को वापस की गई अनुदान राशि		(91,600,000)	-
	घटाएं: वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेष		(236,918,338)	(234,859,841)
	घटाएं: वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान		-	
			-	-
	कुल		**455,141,503**	**446,504,600**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची -14 शुल्क /सदस्यता शुल्क				
	1) प्रवेश शुल्क		-	-
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क		-	-
	3) सेमीनार /कार्यक्रम शुल्क		-	-
	4) परामर्श शुल्क		-	-
	5) अन्य		-	-
	कुल		-	-
				(राशि रुपयों में)
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची-15 निवेशों से आय				
	1) ब्याज			
		क) सरकारी प्रतिभूति से	-	-
		ख) अन्य ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-
	2) अन्य:			
		निवेशों से ब्याज	-	-
	कुल		-	-
	चिह्नित /स्थायी कोष में अंतरित		-	-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	रॉयल्टी से आय			-	-
2	प्रकाशन से आय			-	-
3	अन्य (उल्लेख करें)			-	-
	कुल			-	-
				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज					
1	मियादी जमाओं पर				
	क) अनुसूचित बैंकों में				
	I	बैंक ऑफ बड़ौदा		23,746,554	3,795,410
	II	आईसीआईसीआई बैंक		16,298,153	3,974,194
	III	ओरिंयटल बैंक ऑफ कॉमर्स		14,947,152	4,144,516
	IV	केनरा बैंक		8,634,583	-
	ख) ऑटोस्वीप से आय			2,095,582	-
	ग) संस्थानों में				-
	घ) अन्य				-
2	बचत खातों पर				
	क) अनुसूचित बैंको में			19,638,833	34,345,639
	ख) गैर अनुसूचित बैंको में			-	-
	ग) डाकघर बचत खाते			-	-
	घ) अन्य: मंत्रालय को वापस की गई ब्याज			(7,179,409)	-
3	ऋणों पर:			-	
	क) कर्मचारी /स्टॉफ			-	-
	ख) अन्य			-	-
	कुल			**78,181,448**	**46,259,759**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 18 - अन्य आय		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	परिसंपत्तियों की बिक्री /निपटान से लाभ		
	क) मालिकाना परिसंपत्यिां	-	-
	ख) अनुदान से अर्जित या निशुल्क प्राप्त परिसपत्तियां	-	-
2	विविध आय		
	अतिथि गृह से आय	166,159	119,711
	पूराने अखबारों की बिक्री	36,442	21,946
	निविदा फार्मों की बिक्री	16,500	1,000
	आरटीआई शुल्क	19,067	21,516
	-अन्य अस्वीकार्य नमूने	2,512,066	-
	दण्डात्मक ब्याज और वसूलियां	-	9,594
	-सीपीएफ प्राप्तियां	248,672	-
	कुल	**2,998,906**	**173,767**
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 19- तैयार माल के स्टाक और कार्य प्रगति में वृद्धि /(कमी)			
क)	अंतिम स्टॉक		
	तैयार माल	-	-
	कार्य प्रगति	-	-
ख)	घटाव: आरम्भिक स्टॉक		
	तैयार माल	-	-
	कार्य प्रगति	-	-
	निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 20- स्थापना व्यय			
	क) वेतन एवं मजूदरी	81,087,145	90,534,629
	ख) भत्ते एवं बोनस	20,539	31,086
	ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
	घ) अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	5,434,687	-
	ड) अन्य		
	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	1,428,612	517,622
	कुल	**87,970,983**	**91,083,337**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 21- स्थापना व्यय		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क)	श्रम एवं प्रसंसकरण व्यय	-	-
ख)	बिजली एवं ऊर्जा	5,876,868.00	5,137,138.00
ग)	जल प्रभार	677,992.00	752,919.00
घ)	किराया, दरें और कर	44,945,336.00	29,840,308.00
ड.)	डाक और संचार व्यय	633,765.00	704,563.00
च)	छपाई एवं लेखन-सामग्री (पूर्ती एवं सामग्री)	4,572,162.00	410,714.00
छ)	यात्रा और वाहन व्यय	19,792,238.00	24,128,804.00
ज)	सेमिनारों / कार्यशालाओं पर व्यय	8,049,173.00	1,406,164.00
झ)	सदस्यता शुल्क व्यय(कोडेक्स न्यास फंड को अंशदान)	962,894.00	912,513.00
j)	लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	3,200.00	-
ट)	कानूनी और प्रोफेशनल व्यय	160,622,209.00	179,132,176.00
ठ)	खाद्य आयात क्लीयरेंस प्रक्रिया के संचालन पर व्यय	-	-
ड)	आईईसी और प्रचार व्यय	17,618,247.00	10,521,481.00
ढ)	कार्यालय व्यय	11,805,138.00	7,113,121.00
ण)	प्रशिक्षण प्रभार	2,728,259.00	4,865,184.00
त)	प्रकाशन व्यय	-	-
थ)	टेलीफोन और मोबाइल व्यय	1,051,139.00	854,687.00
द)	मनोरंजन व्यय	10,400.00	142,059.00
ध)	अतिथि गृह	-	-
न)	नमूना प्रभार	-	-
प)	सुरक्षा प्रभार	-	-
फ)	अन्य प्रशासनिक व्यय		
	बैंक प्रभार	52,255.00	32,436.00
	इंटरनेट व्यय	120,624.00	75,478.00
	कम्प्यूटर व्यय	-	-
	सदस्यता शुल्क	-	-
	डिजीटलीकरण व्यय	-	-
	जुरमाना	-	-
	अन्य	15,545,117.00	17,367,226.00
ब)	अवधि पूर्व व्यय	2,106,396.00	4,268,660.00
	कुल	**297,173,412**	**287,665,631**
अनुसूची 22 - मरम्मत एवं रखरखाव व्यय		**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
मरम्मत एवं रखरखाव			
i)	कार्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव	6,267,731	7,551,054
ii)	एसी प्लांट, कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
iii)	वहनों की मरम्मत, प्रचालन एवं रखररखाव	-	-
iv)	अन्य	-	-
	कुल	**6,267,731**	**7,551,054**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 23- अनुदानों, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय					
	क) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली अनुदान राशि (रेफरल लैब, पुणे & सीएफटीआरआई, मैसूर)			5,500,000	3,000,000
	ख) संस्थानों/ संगठनों को दी गई सब्सिडी			-	-
	कुल			**5,500,000**	**3,000,000**
				वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
अनुसूची24-	**मूल्यह्रास**				
	स्थायी परिसम्पत्तियों पर			9,617,795	7,029,917
	कुल			**9,617,795**	**7,029,917**
	घटाए: स्थायी परिसंपत्ति निधि में अंतरित			-	-
	कुल			**9,617,795**	**7,029,917**
अनूसूची 25 - चुकाए गए ब्याज					
	क) स्थायी ऋणों पर			-	-
	ख) अन्य ऋणों पर			-	-
	ग) अन्य -सीपीएफ पर ब्याज			-	-
	योग			-	-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

नकदी आधार पर अव्ययित अनुदानों का निरूपण			
		2015-16	**2014-15**
	अंतिम दिन नकदी और बैंक शेष	19,463,594.00	533,434,203.00
	क्षेत्रीय कार्यालय में शेष	30,926,821.00	24,514,434.00
जोड़ें	मियादी जमा में निवेश	1,408,292,937.00	608,880,974.00
जोड़ें	मियादी जमा पर प्रतिदेय टीडीएस	7,858,543.00	1,191,413.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	296,462,374.00	-
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	301,159,250.00	301,159,250.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	331,878,910.00	331,878,910.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	255,325,389.00	255,325,389.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	31,284,900.00	31,284,900.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	7,196,249.00	7,196,249.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	4,983,589.00	4,983,589.00
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए एफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	1,332,896.00	1,332,896.00
	वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान (वर्तमान देयता)	**236,918,338.00**	**234,859,841.00**
	वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त अनुदान	548,800,000.00	411,100,000.00
जोड़ें	वर्ष के प्रारम्भ में अव्ययित शेष	234,859,841.00	270,264,441.00
घटाएं	वर्ष के अंत में अव्ययित शेष	(236,918,338.00)	(234,859,841.00)
घटाएं	वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	-
घटाएं	मंत्रालय को वापस की गई अनुदान राशि	(91,600,000.00)	-
	आय के रुप में मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	**455,141,503.00**	**446,504,600.00**
क्रं.स.	**वर्ष के लिए एफएसएसएआई को अनुदान छोड़कर प्राप्त निधियां**	**2015-16**	**2014-15**
1	लाइसेंस शुल्क	195,939,501.00	188,011,968.00
2	उत्पाद अनुमोदन	21,050,001.00	35,400,056.00
3	नमूना परीक्षण	(3,799,256.00)	5,584,370.00
4	अस्वीकृत नमूने	2,512,066.00	-
5	बैंक ब्याज	76,085,866.00	46,259,759.00
6	ऑटो स्वीप ब्याज	2,095,582.00	-
7	अतिथि गृह शुल्क	166,159.00	119,711.00
8	आरटीआई शुल्क	19,067.00	21,516.00
9	निविदा/समाचार पत्रों की बिक्री	36,442.00	21,946.00
10	निविदा की लागत	16,500.00	1,000.00
11	सीडीएससीओ से प्राप्त	-	25,000,000.00
12	धरोहर राशि/अग्रिम धन	942,323.00	516,968.00
13	पूर्व अवधि समायोजन	41,592.00	6,792.00
14	पूराने चेक	236,036.00	137,319.00
15	वेतन से सांविधिक कटौती	866,385.00	68,251.00
16	अन्य प्राप्तियां	254,110.00	-
		296,462,374	**301,149,656.00**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि हेतु प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रुपयों में)

क्र.स.	प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I	आरंभिक शेष			I	व्यय		
	क) नकदी शेष	45,884	25,000		क) स्थापना व्यय	83,043,214	83,350,785
	ख) बैंक में शेष				(अनुसूची 20 के अनुसार)		
	i) बचत बैंक खाते	557,902,753	902,241,374		ख) प्रशासनिक व्यय	292,606,442	286,943,702
	ii) चालू जमा		-		(अनुसूची 21 के अनुसार)		
	iii) जमा खाते		-		ग) मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	7,102,707	7,346,784
					(अनुसूची 22 के अनुसार)		
					घ) अन्य व्यय	559,248	48,667
II	प्राप्त अनुदान						
	क) भारत सरकार से			II	दिए गए अनुदान		
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	457,200,000	411,100,000		सहायता अनुदान	5,500,000	3,000,000
	स्वास्थ्य विभाग (पूंजीगत अनुदान)	-	-				
				III	किए गए निवेश एवं जमाएं		
III	निवेशों से आय				क) चिन्हित /स्थाई कोष से		-
	क) चिह्नित/स्थाई कोष	-	-		ख) अपने कोष से (निवेश-अन्य)	1,408,292,937	600,000,000
	ख) निजी कोष (अन्य निवेश)	-	-				
				IV	स्थिर परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी पर व्यय		
IV	प्राप्त ब्याज				कार्यशील पूंजी		
	बैंक पर जमा (ऑटोस्वीप)	2,095,582	34,345,639		क)स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	18,201,087	10,385,459
	बैंक जमाओं पर (एफडीआर)	76,085,866	1,841,733		ख) कार्यशील पूंजी पर व्यय	2,166,850	4,565,040
	ऋणों, अग्रिमों इत्यादि पर	-	-				
				V	कर्मचारियों को अग्रिम	2,531,707	4,227,543
V	लाइसेंसियों से प्राप्त आय						
	लाइसेंस शुल्क	195,939,501	188,011,968	VI	सप्लायर्स / अन्य को अग्रिम	34,877,932	42,369,890
	नमूना परीक्षण शुल्क	6,439,320	6,942,795				
	उत्पाद स्वीकृति	21,050,001	35,400,056				
VI	निवेश का नकदीकरण	608,880,974	-	VII	टीडीएस जमा		
					ठेकेदारों पर	423,460	394,009
VII	प्राप्त टीडीएस				किराए पर	949,988	331,096
	अनुबंधों पर	-	-		प्रोफेशनलस पर	7,850,425	4,086,813
	किराए पर	-	-		वेतन पर	3,869,136	4,235,546
	प्रोफेशनल पर	-	-		सावधि जमा पर	6,667,127	-
	वेतन पर	-	-				
				VIII	ठेकेदार की ईएमडी/प्रतिभूति जमा	253,201,485	1,091,965
VIII	समायोजित अग्रिम						-
	कर्मचारी	2,180,324	3,561,200	IX	वेतन से कटौती	6,744,467	6,382,752
	सप्लायर्स /अन्य	15,329,975	32,588,991				-
IX	अन्य कोई प्राप्ति			X	पूराने चेक	57,537	65,376
	आरटीआई शुल्क	19,067	21,516				
	समाचारपत्रों की बिक्री	36,442	21,946	XI	प्रत्यायित प्रयोगशालाएं	255,729,923	232,338,794
	निविदा फार्म की बिक्री	16,500	1,000				
	विविध आय	166,159	129,305				
	अस्वीकृत नमूने	2,512,066	20,087	XII	अंतिम शेष		
	अन्य प्राप्तियां	254,110			क) नकदी शेष	40,884	45,884
					ख) बैंक में शेष		
X	ठेकेदार की ईएमडी/ प्रतिभूति जमा	247,960,258	1,608,933		i) बचत बैंक खाते	50,349,531	557,902,753
					ii) चालू जमा		-
XI	वेतन से कटौती	866,385	68,251		iii) जमा खाते		-
XII	पूराने चेक	293,573	202,695				
XIII	प्रत्यायित प्रयोगशालाएं	245,491,347	30,980,369				
	कुल	2,440,766,087	1,849,112,858			2,440,766,087	1,849,112,858
						-	

सहायक निदेशक (वित्त, लेखा एवं बजट)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

जगह: नई दिल्ली

दिनांक : 08.09.2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय लेखाओं का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 26- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा, यदि अन्यथा वर्णित न किया हो, और लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते है।

2. राजस्व मान्यता

लाइसेंस शुल्क, उत्पाद अनुमोदन शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है। अन्य आय को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है। बचत बैंक खातों पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. निवेश

दीर्घ कालीन निवेशों के तौर पर वर्गीकृत निवेशलागत आधार पर वहन किए जाते है। अस्थाई के अतिरिक्त न्यूनता के लिए प्रावधान, ऐसे निवेशों का वहन लागत पर किए जाते है। ''चालू'' के तौर पर वर्गीकृत निवेश न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए जाते है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है, न कि वैश्विक आधार पर। लागत में दलाली, अंतरण, स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियां अर्जन की लागत में संचित मूल्याहास घटाकर आवक भाड़ा, शुल्क और करों और अर्जन से संबंधित आकस्मिक और खर्च शामिल करके दर्शाई जाती है। निर्माण निहित परियोजनाओं के संबंध में, परिसम्पत्तियों के मूल्य के भाग रूप में, संबंधित पूर्व – प्रचालन खर्च (समापन से पूर्व विशिष्ट परियोजना हेतु ऋण पर ब्याज सहित) को पूंजीबद्ध किया जाता हैं।

संचित कोष के अतिरिक्त गैर मौद्रिक अुनदानों के माध्यम से प्राप्त स्थायी परिसम्पत्तियां पूंजी आरक्षित में जमा दर्शाते हुए उल्लिखित मूल्य पर पूंजीबद्ध की जाती है।

5. मूल्यहास

मूल्यहास का प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधानों एवं लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर और उनमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष / कमी के संबंध में, मूल्यह्रास पर तदनुसार विचार किया जाता है।

6. सामान की सूची का मूल्य निर्धारण

स्टेशनरी प्रयोज्य वस्तुओं, प्रकाशन, और अन्य स्टोर सामान की खरीद पर खर्च का लेखांकन राजस्व व्यय में किया जाता है।

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व को खर्च इसकी तिथि से 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद बट्टे खाते डाला जाता है।

8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली आधार पर किया जाता है। हालांकि, जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी होने की स्वीकृति 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो अनुदान का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है और सामान राशि को वसूली योग्य के तौर पर दर्शाया जाता है।

8.2 पूंजीगत प्रकाशित के सरकारी अनुदानों को प्रोद्भूत आधार पर माना जाता है और निधि आधारित लेखांकन के अनुसार उद्दिष्ट/ अक्षय निधि के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।

8.3 राजस्व खर्च को पूरा करने हेतु सरकारी अनुदानों को उपयोग किए जाने की सीमा तक, उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।

8.4 नकद आधार पर संगणित अप्रयुक्त अनुदानों को आगे ले जाया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

9.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन का लेखांकन लेनदेन की तिथि को प्रचालित विनियम दर पर किया जाता है।

9.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामत: लाभ/ हानि को, विदेशी मुद्रा देयता स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधिति होने पर स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व में माना जाता है।

अनुसूची 27 – आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयताएं

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 उधार के तौर पर न माने गए प्राधिकरण के लिए दावे	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
1.2 निम्न के संबंध में		
- प्राधिकरण द्वारा /की ओर से दी गई बैंक गारंटी	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
- एन्टीटी की ओर से बैंक द्वारा किए गए बिल	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
- बैंकों द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग		
- आयकर	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
- बिक्री कर	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
- निगम कर	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)
1.4 आदेशों के गैर –निष्पादन, किंतु प्रविष्टि द्वारा विवादित हेतु पार्टियों द्वारा दावे पिछले वर्ष	-	रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न किए अनुबंधों को अनुमानित मूल्य - रू शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य)

ख) लेखाओं पर टिप्पणियां

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। अतएव इसकी लेखांकन नीतियों अधिकांशत: जीएफआर और आर एंड पी नियमों पर आधारित है। प्राधिकरण के लेखा सिद्धान्त और नीतियां संक्षेप में निम्न प्रकार है:

1. चालू परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्य व्यवहार में प्राप्तियों में, पत्र में दर्शाई गई कुल राशि से कमोबेश बराबर होता है। वर्ष के दौरान अग्रिमों में वृद्धि मुख्य तौर पर कर्मचारियों/ बाहर पार्टियों को दिए गए अग्रिमों के कारण है।

कराधान

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राधिकरण ने पैन नंबर अर्थात् AAAGF0023K प्राप्त किया है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण न्यास के रूप में पंजीकृत है और प्राधिकरण ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा क के अंतर्गत आयकर की अदायगी से छूट प्राप्त की है।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य

तैयार माल की खरीद	-	शून्य
कच्चा माल और घटक (पारगमन सहित)	-	शून्य
पूंजीगत वस्तुएं	-	शून्य
स्टोर्स, स्पेयर्स एवं प्रयोज्य सामान	-	शून्य
2.2 विदेशी मुद्रा में खर्च		
क) यात्रा		16,15,679/-
ख) वित्तीय संस्थानों /बैंको को विदेशी मुद्रा में		
धन प्रेषण और ब्याज का भुगतान	-	शून्य
ग) अन्य खर्च	-	शून्य
बिक्री पर कमीशन	-	शून्य
कानूनी और प्रोफेशनल खर्च	-	शून्य
विविध खर्च	-	शून्य
2.3 आय		
एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	-	शून्य
सेवाओं का मूल्य	-	शून्य

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लिए लागू निर्धारित प्रारूप के आधार पर की गई है।

4. कोष का स्रोत

प्राधिकरण के बजट में कोष की प्राप्तियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है-

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से निवल अनुदान

(ii) विविध प्राप्तियां जैसे लाइसेंस शुल्क, नमूना परीक्षण शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियां इत्यादि।

5. स्थायी परिसंपत्ति निधि और भवन निधि

सहायता अनुदानों से अर्जित पूंजीगत परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण वर्ष हेतु प्राप्त अनुदान को घटाकर संचित कोष के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत के माध्यम से स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत किया गया है और तदनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास को निधि आधारित लेखांकन और मिलान धारणा के अनुरूप संबंधित निधि में प्रभारित किया गया है।

6. आंकड़ोंको निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया गया है।

7. पिछलें वर्ष के आंकड़ों को, प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत एजीसीआर द्वारा अंगीकृत प्रारूप के अनुरूप आवश्यक होने पर, पुन: समूहीकृत / पुन: व्यवस्थित और पुन: ढाला गया है।

8. 1 से 27 तक अनुसूचियां संलग्न की गई है और ये 31.03.2016 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

ऋण और अग्रिम वित्तीय वर्ष 2015-2016

क्रं.म.	पार्टियों के नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1,20,86,630.00
2	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	5,84,637.00
3	दीनदयाल उपाध्याय संस्थान	23,00,000.00
4	अग्रिम स्टॉफ	11,91,465.00
5	टाटा स्काई	11,770.00
6	एफसीआई, मुम्बई	2,00,000.00
7	प्रकाशक के नियंत्रक	12,80,750.00
8	कैरियर एयरकंडिशनिंग	14,69,998.00
9	इण्डियन हेबिटेट सेंटर	89,740.00
10	केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण संघ	35,000.00
11	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा	1,63,369.00
12	दीनदयाल उपाध्याय संस्थान	57,000.00
	कुल	**1,94,70,359.00**

ऋण और अग्रिम वित्तीय वर्ष 2014-2015

क्रं.म.	पार्टियों के नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1,73,39,611.00
2	अग्रिम स्टॉफ	1,03,489.00
3	टाटा स्काई	11,990.00
4	प्रगति इण्डियन ऑयल	21,840.00
5	तकनीकी मत्सय केन्द्रीय संस्थान	1,50,000.00
6	टाटा स्काई	10,200.00
7	स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक (लक्षद्वीप)	62,750.00
8	रूरल मैनेजमेंट आनंद संस्थान	35,955.00
9	एफडीए छतीसगढ़	67,250.00
	कुल	**1,78,03,085.00**

ऋण और अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013-2014

क्रं.म.	पार्टियों के नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	5,50,55,664.00
2	मनुपात्रा	46,000.00
3	टाटा स्काई	9,900.00
4	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,000.00
5	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान	2,000.00
	कुल	**5,51,14,564.00**

ऋण और अग्रिम वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-2013

क्रं.म.	पार्टियों के नाम	राशि
1	एबीपी प्राइवेट लिमिटेड.	14,134.00
2	अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एसोसिऐशन	2,167.00
3	अधिकृत अधिकारी, चेन्नई	10,000.00
4	अधिकृत अधिकारी, जेएनपीटी नवा सेवा	10,000.00
5	अधिकृत अधिकारी, सी पोर्ट चेन्नई	10,000.00

6	बैग फूल	1,200.00
7	कमीश्नर खाद्य संरक्षा, जम्मू एंड कश्मीर	2,45,073.00
8	सीआईआई	18,50,000.00
9	कन्ज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, चेन्नई	58,148.00
10	डी.जी., प्रशासनिक अकादमी, भोपाल	90,000.00
11	दक्ष शिक्षा एवं वेलफेयर सोसायटी	2,64,900.00
12	दीनदयाल उपाध्याय	2,34,008.00
13	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	44,56,977.00
14	उप-निदेशक शिपा, अहमदाबाद	1,002.00
15	एफ आई सी सी आई	79,750.00
16	महासचिव दिल्ली तार अकादमी	50,000.00
17	एच.एस.सी.सी. इण्डिया लिमिटेड	16,414.00
18	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	2,00,000.00
19	भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर	4,37,698.00
20	राष्ट्रीय पोषण संस्थान	47,43,444.00
21	एस.एस. बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड गाजियाबाद	2,00,000.00
22	राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (आईडीएसएल) जयपुर	4,56,400.00
23	यूएएचएफडब्लूएस खाद्य संरक्षा एवं मानक देहरादूना	1,61,600.00
24	उप-निदेशक – चेन्नई	1,10,000.00
25	उप-निदेशक – (एफ एंड वी पी) एनबीसीसी	44,394.00
26	उप-निदेशक – गुवाहाटी	10,000.00
27	उप-निदेशक – कोलकाता	62,336.00
28	उप-निदेशक – मुम्बई	90,000.00
29	एल.टी.सी अग्रिम	1,96,363.00
30	पिताम्बर सिंह	5,625.00
31	आर.बी.कोटकर	4,237.00
32	एस.के.हलदार	10,000.00
33	एस.एस.तोमर	86,400.00
	कुल	**1,42,12,270.00**

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-21/2016-17/ दिनांकः

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2015-16 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित **अस्वीकरण (disclaimer)** अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अग्रेंजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नकः यथोपरि

भवदीया,

(सुमेधा अमर)
उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

Ph. : 91-1123454100
Fax : 91-1123702271

DGACR, Bluilding, I.P. Estate, New Delhi - 110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-21/2016-17/381 दिनांकः 2.3.17

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति **श्री आशीष बहुगुणा,अध्यक्ष,भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002.**को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए,जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

2/3/17

(सुमेधा अमर)
उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-21/2016-17/ दिनांकः

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **प्रधान निदेशक (रिपोर्ट स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.**को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

अनुलग्नकः यथोपरि

-हस्ता-

(सुमेधा अमर)
उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लेखों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की पृथक ऑडिट रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (प्राधिकरण) की यथा 31 मार्च, 2016 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय और प्राप्तियों तथा भुगतान के लेखों का ऑडिट किया है। ये वित्तीय विवरणियाँ प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार इत्यादि के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) और दक्षता-सह-कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, संबंधी वित्तीय लेन-देनों के ऑडिट अवलोकनों की रिपोर्ट निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह ऑडिट भारत में सामान्यत: मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने ऑडिट की योजना इस प्रकार बनाएँ और उसे इस प्रकार करें कि हमें वित्तीय विवरणियों में वस्तुपरक गलत टिप्पणियों से मुक्त होने के बारे में तार्किक आश्वासन मिल जाए। ऑडिट में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल होता है। ऑडिट में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारे ऑडिट में हमारी राय के तर्कसंगत आधार हैं।

4. अपने ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करतें हैं कि:-

i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारे ऑडिट प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय एवं व्यय और प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखों के यूनिफार्म प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii) हमारे विचार में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखा बहियाँ और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं, जो हमारी ऐसी बहियों की जाँच से देखने में आया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:-

1. **बैलेंस शीट**

क.1. देयताएँ

क.1.1 चिह्नित निधि (अनुसूची 3) रुपये 2.34 करोड़

प्राधिकरण ने रुपये 2.34 करोड़ चिह्नित निधि के रूप में दर्शाए हैं, जो वर्ष 2011-12 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ले-

खानुदान की राशि थी और उस वर्ष प्राधिकरण की अचल सम्पत्तियों पर व्यय की गई थी। उसे ही चिह्नित निधि के रूप में दिखाया जाता रहा है। इसे चिह्नित निधि के अंतर्गत न दिखा कर पूँजीगत निधि के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था, जिस कारण पूँजीगत निधि रुपये 2.34 करोड़ कम दर्शाई गई है और चिह्नित निधि रुपये 2.34 करोड़ अधिक दर्शाई गई है।

क.1.2. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान: रुपये 28.81 करोड़

वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक उत्पाद अनुमोदन योजना के अंतर्गत रुपये 18.19 करोड़ रुपये की राशि शुल्क के रूप में वसूली गई थी, जो वापसी योग्य नहीं बताई गई थी। तथापि, उत्पाद अनुमोदन योजना को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 अगस्त, 2015 को रद्द कर दिया गया था। उस समय प्राधिकरण के पास 1876 आवेदन लंबित थे। उनका शुल्क आवेदकों को वापस नहीं किया गया था और उसे प्राधिकरण की प्राप्तियों के रूप में मान लिया गया। चूँकि ये आवेदन निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन के निर्णय के लिए लंबित थे, इन आवेदनों के लिए प्राप्त शुल्क को लेखों में देयताओं के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इस प्रकार प्राधिकरण की देयताएँ रुपये 4.69 करोड़ (1876 x 25000) कम दिखाई गईं।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान उत्पाद अनुमोदन योजना के अंतर्गत प्राप्त शुल्क की राशि प्राधिकरण की आय के रूप में मानी गई थी। इससे रुपये 2.10 करोड़ अधिक आय दर्शाई गई।

2. **आय एवं व्यय लेखा**

ख.1 व्यय

ख.1.1 प्रशासनिक व्यय रुपये 29.71 करोड़

प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के बिलों पर रुपये 0.21 करोड़ व्यय किए। इसने पिछले वर्ष के दौरान देयताओं में रुपये 0.21 करोड़ के भुगतान का प्रावधान नहीं किया और उसे वर्तमान वर्ष में पूर्व अवधि के व्यय के रूप में दिखाया। इससे ए एस 5 का उल्लंघन हुआ, जिस कारण व्यय रुपये 0.21 करोड़ अधिक दिखाया गया और पूँजीगत निधि रुपये 0.21 करोड़ कम दिखाई गई।

3. **प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा**

ग.1. प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे में दर्शाए गए ब्याज के 7.60 करोड़ रुपयों में 0.91 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल था, जो वस्तुत: प्राप्त नहीं हुआ था। इससे प्राप्तियाँ रुपये 0.91 करोड़ अधिक दिखाई गईं।

4. **सामान्य**

घ.1. केंद्रीय स्वायतशासी निकायों के लिए लेखों के यूनिफार्म प्रारूप में यथा अपेक्षित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान एक्चुएरियल आधार पर नहीं किया गया।

घ.2. प्राधिकरण ने ''अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्ति'' के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में रुपये 0.45 करोड़ और क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में रुपये 0.56 करोड़ का कार्य प्रगति में दिखाया। तथापि, लेखों की जाँच से पता चला कि ये राशियाँ इन क्षेत्रों में चालू सिविल कार्यों के लिए थीं। लेखों के यूनिफार्म प्रारूप के अनुसार इन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में न दिखाकर अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत चालू पूँजी कार्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

घ.3. ए एस 1 के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपनाई गई सभी सार्थक लेखांकन नीतियाँ बताई जानी चाहिए। यद्यपि प्राधिकरण ने अपनी सार्थक लेखांकन नीतियों में व्यक्त किया कि यह आयकर से छूट प्राप्त है, तथापि इसने आयकर प्राधिकरण द्वारा इसकी आय से काटे गए रुपये 0.78 करोड़ के टीडीएस को वापस प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

5. **लेखा अनुदान**

प्राधिकरण को वर्ष 2015-16 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रुपये 54.88 करोड़ का लेखानुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के आरंभ में इसके पास खर्च न की गई 23.49 करोड़ रुपये की राशि शेष थी और इसने रुपये 9.16 करोड़ वापस कर दिए थे। प्राधिकरण रुपये 45.52 करोड़ ही व्यय कर सकी, जिससे यथा 31 मार्च 2016 को रुपये 23.69 करोड़ व्यय न किए गए अनुदान के रूप में रह गए।

v. पूववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में ऑडिट की गई बैलेंस शीट, आय एवं व्यय और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे लेखा बहियों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखा-टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ, और ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मुद्दों के अध्यधीन, भारत में सा_ मान्यत: मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्कपट हैं:

1. जहाँ तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की यथा 31 मार्च, 2016 की कार्य-दशाओं की बैलेंस शीट का संबंध है : और
2. जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का संबंध है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता/-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 2.3.17

लेखा परीक्षा महानिदेशक

(केंद्रीय व्यय)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2013-14 तक की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण निम्न कारणों से पर्याप्त नहीं था:-

1. प्राधिकरण के लेखों में 2009-10 से लगातार आय एवं व्यय में पूर्व अवधि का समंजन देखा गया।
2. शाखा कार्यालयों का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया।
3. मंत्रालय द्वारा आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से नहीं किया ।
4. वैधानिक देयता शेष थी।

3. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जाँच की पद्धति

2015-16 में प्राधिकरण के मुख्यालय की अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जाँच की गई थी। शाखा कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जाँच नहीं की गई।

4. सामग्री की भौतिक जाँच की पद्धति

वर्ष 2015-16 में बहियों, लेखन-सामग्रियों और अन्य उपभोज्य सामग्रियों की भौतिक जाँच की गई थी। शाखा कायालयों की सामग्रियों की भौतिक जाँच नहीं की गई।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यथा 31.03.16 को रुपये 3.10 लाख की वैधानिक देयता शेष थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016

Annual Report 2015-2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India

Contents

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Overview	01
2	Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006	04
3	Food Safety and Standards Rules and Regulations, 2011	08
4	The Food Safety and Standards Authority of India	09
5	Central Advisory Committee (CAC)	16
6	Scientific Committee	17
7	Scientific Panels	18
8	Standard and Regulations	24
9	Imports of Food	28
10	Enforcement-Regulation of Food Safety in States	30
11	Surveillance activities	38
12	Quality Assurance (Laboratories, Sampling and Analysis)	39
13	Codex activities	41
14	Information, Education and Communication (IEC)	43
15	International Cooperation	51
16	Training and Capacity Building	53
17	Information Technology	55
18	RTI	56
19	Rajbhasha	57
20	Financial Statements	59

Chapter-1

Overview

1.1 The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has been established for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 was operationalized with the notification of Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Regulations w.e.f. 5th August, 2011. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) continued to work for promotion of the cause of availability of safe and wholesome food to the consumers during 2015-16.

1.2. The year 2015-16 saw a few changes at top level. Shri Ashish Bahuguna, joined as the Chairperson, FSSAI on 29.07.2015. Earlier, the additional charge of the post of Chairperson, FSSAI was held by Shri B.P. Sharma, then Secretary (Health), Ministry of Health & Family Welfare from 24.01.15 to 28.07.15. Shri Y.S. Malik, demitted the charge of Chief Executive Officer on 23.09.2015 and Shri Pawan Agarwal joined as the Chief Executive Officer of FSSAI on 23rd December, 2015. Shri Ashish Bahuguna held the additional charge of CEO during the interregnum.

1.3. During the year under report, the Food Authority held 4 meetings and took a number of important decisions. The Central Advisory Committee met on 3 occasions to make recommendations to the Food Authority. The Scientific Committee held 4 meetings to review the recommendations made by the Scientific Panels. The Authority set up seven (07) new Scientific Panels in addition to the existing nine (09) Scientific Panels thereby taking the total number of Scientific Panels to sixteen (16). A total of 51 meetings were held of various Scientific Panels during the year.

1.4. Considerable progress was made towards framing of standards for various articles of food and additives etc. during the year. Final notifications were issued in 11 cases while various others were at various stages.

1.5. Food safety cannot be ensured without a robust laboratory system. During the year, 16 more NABL accredited private labs were notified by FSSAI for analysis and testing of food products raising the strength of notified labs to 98. 2 more Referral labs were notified raising the total to 14. Authority has also undertaken an exercise to review 20 years old DGHS manuals of test methods for analysis of various food products. During first phase of review, the Authority approved 9 new manuals of methods of analysis of food.

1.6. 5607 Central and 1,56,551 State licences were granted to various FBOs during the year. Further, 3,86,518 registrations were issued by the State Authorities during the year. 9 more States/UTs went online (FLRS) for Licensing and Registration during the year and only 3 more States remained to brought live on FLRS. FLRS was also rolled out at Airports/ Seaports. Konkan Railways went online in June, 2016. Joint Food Safety Commissioner was also appointed for Railways. As at end of 2015-16, Appellate Tribunals were established in 24 States/ UTs and Steering Committees in 29 States/UTs.

1.7. A total of 71,368 samples of imported food products covering 10.34 million kilograms of imported food products were taken by FSSAI during the year 2015-16 for testing and analysis at the ports of its presence. A total of 1062 samples (representing 1.3% of the total , weighing 21772.54 kgs of food, have been issued non-conformance certificates/ rejections as these were not meeting the standards prescribed in FSS Act 2006 and the Rules and Regulations framed thereunder .

1.8. Food Safety at field level can only be ensured by Capacity Building, thus, FSSAI conducted 2 rounds of training programmes for Food Analysts and other laboratory personnel of State Food Testing Laboratories. Similarly,2 Programmes for Designated Officers to familiarise them about the Food Safety and Standards Act (FSS Act), 2006 and the Rules and Regulations made thereunder were conducted. Second phase of' Training of Trainers' programme was also conducted. Technical Officers working in Regional and Sub-regional offices were also given training on technical and legal issues.

1.9. A project 'Clean Street Food –Delhi Project' which involved stakeholders imparting training and capacity building of street food vendors and to ensure proper regulatory oversight over them under FSS Act, 2006 was launched. More than 23,000 street food vendors were imparted training.

1.10. With increasing globalisation, there is a need for greater International Cooperation to ensure that safe and quality food reaches the consumers. The FSSAI has actively participated in the 17 Codex Committee Meetings held during 2015-16. India had also participated in the Codex Alimentarius Executive Committee Workshop during 30th November to 2nd December, 2015 in Rome, Italy. India was also the Chair of 8 Electronic Working Groups (eWgs); Co-Chaired one of the EWG (Revision of GPFH and its HACCP Annex). India participated in 49 Electronic Working Groups (EWGs) and significant comments were submitted in the ewgs. India's written comments were submitted to Codex Secretariat and India's concerns were largely addressed based on these comments and interventions during the Committee sessions. India was appointed a Coordinator for the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA) for a period of 2 years in the 38th Session of CAC (2015) and from 2015. India proposed three new work proposals in Codex Committees. India participated in the Meeting on Strengthening International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) in Asia and National Food Safety Systems during 23-26 November , 2015 in Kong SAR (China).

1.11. A Joint Statement of Intent (JSI) was signed by FSSAI with the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL) and Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Germany and FSSAI on cooperation in the areas of food safety on 05th October, 2015. A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), France and FSSAI for cooperation in food safety on 25th January, 2016. FSSAI is regularly working to explore the possibilities of collaboration with various countries/international agencies in the areas of food safety by conducting/participating in meetings, organizing seminars with various countries to discuss potential areas of collaboration and understanding and implementing the best practices.

1.12. The Authority has undertaken awareness campaigns with the help of State Governments and joined up with the Department of Consumers Affairs under the "Jago Grahak Jago" campaign. Mass Contact Activation Programme (MCAP) in 08 Districts of Uttar Pradesh was conducted by the Din Dayal Upadhyay State Institute of Rural Development (DDU SIRD), Govt. of Uttar Pradesh on behalf of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Food Safety and Standards Authority of India

(FSSAI), WHO Country Office for India, Ministry of Health & Family Welfare and National Centre for Diseases Control (NCDC) organized a national consultation at New Delhi as a curtain raiser event for World Health Day 2015. FSSAI organised an awareness programme in Lady Irwin College, New Delhi on the occasion of World Health Day 2015. A two day Food Safety Sensitization Workshop for the Street Food Vendors was organized on 23rd-24th June, 2015 at the Home Science Collage Campus, Campal, Panaji, Goa. A Brainstorming Workshop on social marketing of food safety and promotion of wholesome food was organised by FSSAI on 12th March, 2016 with an intention to come up with creative ideas revolving around food safety and its awareness at large. More than 65 participants from different fields attended the said workshop. An awareness campaign was undertaken in Delhi Metro Trains in March-April 2016 through display of educative/awareness panels in metro trains of all routes.

1.13. The FSSAI participated in the 35th India International Trade Fair, 2015 (IITF-2015) during 14-27 November, 2015 at Pragati Maidan, New Delhi by putting up a stall under " Health Pavilion" of the Ministry of Health & Family Welfare. FSSAI also participated in 31st AAHAR Fair by putting up stall to spread awareness about FSSAI activities

1.14. A draft guideline titled "Guidelines for making available wholesome, nutritious, safe and hygienic food to school children in India" was also issued and shared with concerned authorities for its implementation.

1.15. In keeping with the spirit of 'Digital India', an internal IT division has been created to build a comprehensive IT system which covers all functions carried out by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The new integrated system will include currently functional imports and Licensing and registration system and will cover functionalities like Food standards formation, Quality assurance activities like lab ecosystem, Surveillance, enforcement, product approval etc.

1.16. To enable the customers to raise concern, a mobile App has been developed wherein public can verify the registration and licensing details of any Food Business Operators licensed/registered under FSS Act, 2006 With the mobile app, consumers can also raise their concerns w.r.t. food and food products.

1.17. To promote ease of doing business and faster clearance of imports, FICS was introduced at the sixth location viz. Tuticorin. Also, the first stage of Pre- Arrival Document Scrutiny (PADS) scheme was implemented on 02.02.2016 at all non-single window locations. Through this system Importers can take benefit of document scrutiny before a consignment reaches port. This will save 3-4 days of time taken for document scrutiny. A Food Import Prioritisation Scheme and Customs Single Window Interface for Facilitating Trade (SWIFT) was also under active discussion with Customs.

1.18. The Food Safety and Standards Authority of India is making continuous efforts for effective implementation of the FSS Act throughout the country with active participation of the State/UT Governments.

Chapter-2

Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006

2.1 The work on consolidation of laws relating to food into a single statute had been on the anvil for some time, especially after the Central Government declared its intention in this behalf in the Budget Speech of then Hon'ble Finance Minister in 2002. The work pertaining to consolidation of various Acts/ Orders governing food was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries, who piloted the Food Safety and Standards Bill, 2005 which was finally enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 by the Parliament and the same was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 1 on 24th August, 2006 after receiving assent of the President on 23rd August, 2006. The Act was prepared after extensive consultations with various stakeholders and after a series of discussions/ deliberations in the Inter-Ministerial Group and Standing Parliamentary Committee meetings and its clearance from the Group of Ministries. Finally, the Ministry of Health and Family Welfare was designated as the Administrative Ministry for the purposes of the FSS Act, 2006.

2.2 The passing of this legislation led to the establishment of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in September, 2008. It marks a shift from a multi-level to a single line of control with focus on self-compliance rather than a pure regulatory regime. It also introduced uniform licensing/ registration regime across the Centre and the States. One of the major responsibilities of the FSSAI is the development of science-based Food Standards by harmonising the same with Codex Standards, wherever possible. The setting of food standards is undertaken through a number of Scientific Panels and the Scientific Committee of the FSSAI and final approval by the Authority itself.

2.3 The Food Safety and Standards Act, 2006 envisages regulation of manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for consumers connected therewith. If a Food Business Operator (FBO) is holding existing license/ registration under any of the Food Law/ Order which has been repealed on the commencement of this Act, the concerned FBO(s) is required to get the existing license or registration converted into registration or license under the Food Safety and Standards Act by paying the required registration/ licence fees.

2.4 The FSS Act, 2006 is organised through a total of 12 Chapters.

2.4.1 Chapter-I: Preliminary

This section consists of the Short Title, extent and commencement, Declaration as to expediency of control by the Union, and Definitions.

2.4.2 Chapter-II: Food Safety and Standards Authority of India

This Chapter, containing Sections 4 to 17, provides for establishment of the Food Safety and Standards Authority of India, terms and conditions of appointment and removal of Chairman and the members and their terms of office and other conditions, Officers and other employees of the Food Authority,

Functions of the Chief Executive Officer, establishment of the Central Advisory Committee and its functions, establishment of Scientific Panels and the Scientific Committee and the procedure for the Scientific Committee and the Scientific Panels. The chapter further details the duties and functions of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food. It also provides for the procedures for conduct of meetings of the Food Authority, transaction of business at its meetings and procedure of voting by Members, etc.

2.4.3 Chapter –III: General Principles of Food Safety

Comprising only Section 18, this chapter contains provisions on the general principles of Food Safety, factors to be taken into account while framing regulations or specifying the Standards under the Act, and the principles to be observed in administration of the Act by the Central Government, the Food Authority, the State Government and other agencies, while enforcing or implementing the provisions of the Act. The said authorities shall be guided by the general principles of Food Safety such as risk analysis, risk assessment, risk management, risk communication, transparent public consultation, protection of consumer interests, etc. It empowers the Food Authority to notify other general principles from time to time as per the requirements.

Further, it stipulates that the provisions of this Act shall not apply to any farmer, or fisherman or farming operations or crops or livestock or aquaculture, and supplies used or produced in farming or products of crops produced by a farmer at farm level or a fisherman in his operations.

2.4.4 Chapter –IV: General provisions as to articles of food

Comprising of Sections 19 to 24, this chapter stipulates that no article of food shall contain contaminants, naturally occurring toxic substances or toxins or hormone or heavy metals, insecticides, pesticides, veterinary drugs residues, antibiotic residues, solvent residues, pharmacological active substances and micro-biological counts in excess of such quantities as may be specified by the regulations. Section 19 prohibits use of food additives or processing aids other than those prescribed under the Standards/ regulations. Section 22 places a restriction on various categories of food, which are not in accordance with the standards prescribed under the regulations.

Section 23 deals with the subject of packaging and labelling requirements of food. Section 24 places restrictions on misleading advertisements and prohibits use of unfair trade practices. It also provides that packaged food product shall be marked and labelled as specified. It prohibits deceptive practices to mislead the public regarding the standards, quality, quantity, usefulness or giving of any guarantee of the efficacy that is not based on an adequate or scientific justification thereof.

2.4.5 Chapter- V: Provisions Relating to Import

Containing only Section 25, this chapter mandates that all imports of articles of food are subject to the provisions of the Act. It provides that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 follows the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act.

2.4.6 Chapter –VI: Special Responsibilities as to Food Safety

This chapter, containing Sections 26 to 28, provides for the responsibilities of the food business operator to ensure that the articles of food satisfy the requirements of the Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control. Section 27 deals with the liabilities of the manufacturers, distributors and sellers of articles of food if they do not conform to the food safety requirements of the Act and the rules and regulations made thereunder. Section 28 spells out the Food Recall procedures and the responsibilities of a Food Business Operator to withdraw the Food from market in case the same is non-compliant with the provisions of the Act and the regulations framed thereunder.

2.4.7 Chapter –VII: Enforcement of the Act

Sections 29 to 42 of the Act comprised in this Chapter deal with the enforcement related provisions including the responsibilities of the Food Authority and the State Food Authorities. Provisions for appointment of Commissioner of Food Safety of the State, licensing and registration of food business, improvement notices, prohibition orders, emergency prohibition notices and orders, notification of food poisoning, appointment of the Designated Officer, Food Safety Officer and their powers, liabilities, powers of search, seizure, prosecution and procedure thereof, and the provision for a purchaser to have the food analysed are contained in these sections.

2.4.8 Chapter – VIII: Analysis of Food

Sections 43 to 47 incuded in this chapter contain the provisions relating to recognition and accreditation of laboratories, research institutions and referral food laboratories, food analyst, functions of the food analyst and the provisions for sampling and analysis of food.

2.4.9 Chapter - IX : Offences and Penalties

This chapter, consisting of Sections 48 to 67, deals with various offences and penalties for selling food not of the nature or substance or quality demanded, sub-standard food, misbranded food, misleading advertisements, for food containing extraneous matter, for unhygienic or unsanitary processing, for possessing adulterant. The chapter contains provisions for punishment for unsafe food, for interfering with seized items, for false information, for obstructing or impersonating a Food Safety Officer, for carrying out a business without license and compensation in case of injury or death of a consumer.

2.4.10 Chapter – X: Adjudication and Food Safety Appellate Tribunal

Comprising of Sections 68 to 80, this chapter authorises the state governments to notify the adjudicating officer in the district. It defines the powers to compound offences, the powers of the designated officers, establishment of the Food Safety Appellate Tribunals and the procedures and powers of the Tribunal. The chapter bars the jurisdiction of courts in the matters in which the adjudicating officer or Tribunal is empowered by the act. The act provides that the courts can try the cases summarily. The Act also provides for the special courts and public prosecutors for the offences related to the food.

2.4.11 Chapter –XI: Finance, Accounts, Audit and Reports

The Chapter contains Sections 81 to 84 requiring the Food Authority to prepare an Annual Budget showing the estimated receipts and expenditure of the Food Authority. The Central Government shall make grants of such some of money as it deems fit. It provides that the Food Authority shall maintain proper accounts and an annual statements of accounts. The Food Authority is required to prepare an Annual Report, which is to be laid before each House of Parliament.

2.4.12 Chapter –XII : Miscellaneous

This chapter, containing Sections 85 to 101, empowers the Central Government to issue directions to Food Authority, State Governments and obtain reports and returns. The chapter gives over riding effect of this Act over all other food related laws. It empowers the Central Government to make rules and the Food Authority to make regulations. The chapter also gives State Governments powers to make rules and the procedure for rewards and the procedure for recovery of penalties imposed.

Schedules:

There are two Schedules given at the end of the Act. While the First Schedule contains the five zones into which all the States and UTs have been grouped, the Second Schedule contains the Act and various orders which stand repealed with the coming into force of this Act.

Chapter-3

Food Safety and Standards Rules and Regulations, 2011

3.1 The Central Government in the Ministry of Health & Family Welfare notified the Food Safety and Standards Rules, 2011, which came into effect from 5th August, 2011.

3.2 Under the Food Safety and Standards Act, 2006, the FSSAI has notified the following regulations in the Gazette of India on 1st August, 2011 and the same came into force from 5th August, 2011:-

(i) Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011

(ii) Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011

(iii) Food safety and Standards (Food product Standards and Food Additives) Regulations, 2011

(iv) Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011

(v) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011

(vi) Food Safety and Standards (Laboratory and sampling analysis) Regulations, 2011

3.3 Simultaneously, the enactments and orders mentioned in the Second Schedule of the Act stood repealed w.e.f. 5.8.2011.

3.4 The Food Safety and Standards Act became operational with effect from 5.8.2011. With this, the food regulatory framework moved from limited 'prevention of food adulteration' regime to 'safe and wholesome' food regime.

3.5 The exercise for review of existing Food Standards and their harmonization with Codex and other international best practices has been initiated and the Scientific framework put in place with the establishment of Scientific Panels and the Scientific Committee as the risk assessment bodies.

Chapter-4

The Food Safety and Standards Authority of India

4.1 The Food Safety and Standards Authority of India was set up in 2008 as envisaged under Section 4 of the Food Safety and Standards Act, 2006. It is the regulatory body for all matters relating to food safety and food standards and represents a shift from multi – level, multi departmental control to a single line of command.

4.2 Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is the Administrative Ministry of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The Chairperson and Chief Executive Officer of FSSAI are appointed by the Central Government. The Head office of the Authority is located at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002.

4.3 As per Section 5 of the FSS Act, the Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty two members out of which one – third shall be women, namely:-

(a) seven members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to be appointed by the Central Government, to respectively represent the Ministies or Departments of the Central Government dealing with-

(i) Agriculture,

(ii) Commerce,

(iii) Consumer Affairs,

(iv) Food Processing,

(v) Health,

(vi) Legislative Affairs,

(vii) Small Scale Industries,

who shall be Members ex officio;

(b) two representatives from the food industry of which one shall be from small scale industries;

(c) two representatives from consumer organizations;

(d) three eminent food technologists or scientists;

(e) five members to be appointed every three years, on rotation, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories;

(f) two persons to represent farmers' organizations;

(g) one person to represent retailers' organizations.

The Chief Executive Officer (CEO) is the legal representative of the Food Authority and also the Member Secretary of the Food Authority.

Pictorial representation of FSSAI

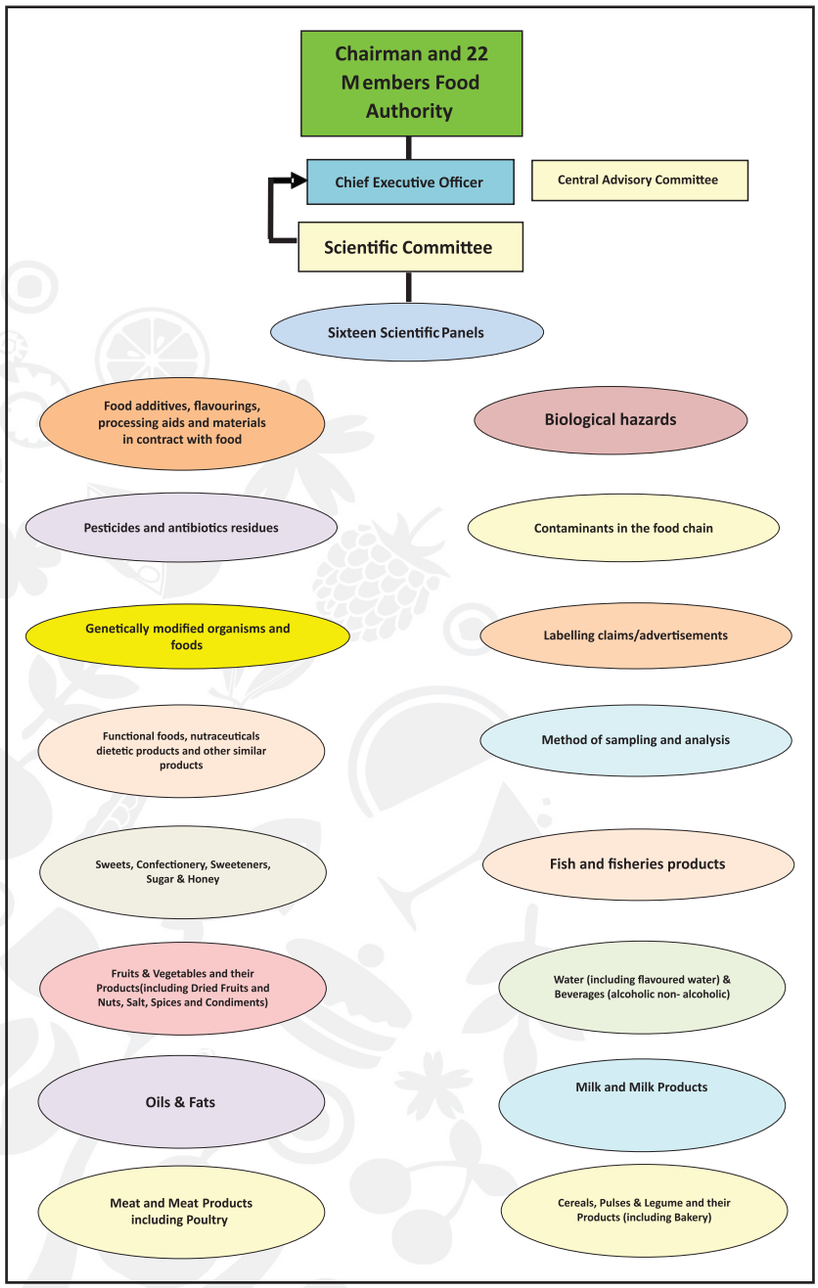

4.4. The duties and functions of the Food Authority have been prescribed under Section 16 of the Act as under:-

(1) It shall be the duty of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food.

(2) Without prejudice to the provisions of sub – section (1), the Food Authority may by regulations specify –

(a) the standards and guidelines in relation to articles of food and specifying an appropriate system for enforcing various standards notified under this Act;

(b) the limits for use of food additives, crop contaminants, pesticide residues, residues of veterinary drugs, heavy metals, processing aids, myco – toxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food;

(c) the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management systems for food businesses;

(d) the procedure and the enforcement of quality control in relation to any article of food imported into India;

(e) the procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories;

(f) the method of sampling, analysis and exchange of information among enforcement authorities;

(g) conduct survey of enforcement and administration of this Act in the country;

(h) food labelling standards including claims on health, nutrition, special dietary uses and food category systems for foods; and

(i) the manner in which and the procedure subject to which risk analysis, risk assessment, risk communication and risk management shall be undertaken.

(3) The Food Authority shall also:-

(a) provide scientific advice and technical support to the Central Government and the State Governments in matter of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition;

(b) search, collect, collate, analyse and summarise relevant scientific and technical data particularly relating to –

(i) food consumption and the exposure of individuals to risks related to the consumption food;

(ii) incidence and prevalence of biological risk;

(iii) contaminants in food;

(iv) residues of various contaminants;

(v) identification of emerging risks; and

(vi) introduction of rapid alert system;

(c) promote, co-ordinate and issue guidelines for the development of risk assessment methodologies and monitor and conduct and forward messages on the health and nutritional risks of food to the Central Government, State Governments and Commissioners of Food Safety;

(d) provide scientific and technical advice and assistance to the Central Government and the State Governments in implementation of crisis management procedures with regard to food safety and to draw up a general plan for crisis management and work in close co-operation with the crisis unit set up by the Central Government in this regard;

(e) establish a system of network of organizations with the aim to facilitate a scientific co-operation framework by the co-ordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, the exchange of expertise and best practices in the fields within the Food Authority's responsibility;

(f) provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Government for improving co-operation with international organizations;

(g) take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means;

(h) provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food business operators or employees or otherwise;

(i) undertake any other task assigned to it by the Central Government to carry out the objects of this Act;

(j) contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phyto-sanitary standards;

(k) contribute, where relevant and appropriate to the development of agreement on recognition of the equivalence of specific food related measures;

(l) promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations;

(m) promote consistency between international technical standards and domestic food standards while ensuring that the level of protection adopted in the country is not reduced; and

(n) promote general awareness as to food safety and food standards.

(4) The Food Authority shall make it public without undue delay-

(a) the opinions of the Scientific Committee and the Scientific Panels immediately after adoption;

(b) the annual declarations of interest made by members of Food Authority, the Chief Executive Officer, members of the advisory Committee and members of the Scientific Committee and Scientific Panels, as well as the declarations of interest if any, made in relation to items on the agendas of meetings;

(c) the results of its scientific studies; and

(d) the annual report of its activities;

(5) The Food Authority may from time to time give such directions, on matters relating to food safety and standards, to the Commissioners of Food Safety, who shall be bound by such directions while exercising their powers under this Act;

(6) The Food Authority shall not disclose or cause to be disclosed to third parties confidential information that it receives for which confidential treatment has been requested and has been accepted, except for information which must be made public if circumstances so require, in order to protect public health.

4.5 The composition of the Food Authority during the year 2015-16 was as under:

Members of the Food Authority	
Chairperson	
Sh. B.P. Sharma (04.02.2015 to 28.07.2015) Sh. Ashish Bahuguna (29.07.15 to 31.03.2016)	
Member Secretary (CEO)	
Sh. Ashish Bahuguna (29.07.15 to 22.12.2015)(additional charge) Sh. Pawan Agarwal (23.12.2015 to 31.03.2016)	
Ex-officio members under section 5 (1) (a)	
1	Sh. K.L. Sharma, JS, Ministry of Health & Family Welfare (November, 2014 onwards)
2	Shri Utpal Kumar Singh, JS, Ministry of Agriculture (November, 2014 onwards)
3	(i) Shri Asit Tripathy, JS, Ministry of Commerce (25.11. 2014 to 28.01. 2016) (ii) Shri Santosh Kumar Sarangi, JS, Ministry of Commerce (28.01. 2016 onwards)

4	(i) Shri Manoj Parida, JS, Ministry of Consumer Affairs (25.11. 2014 to 28.01. 2016) (ii) Shri P. Venkata Rama Sastry, JS, Ministry of Consumer Affairs (28.01. 2016 onwards)
5	Smt. Anuradha Prasad, JS, Ministry of Food Processing Industries (November, 2014 onwards)
6	Dr. Reeta Vasishta, Additional Secretary, Ministry of Law & Justice (November, 2014 onwards)
7	(i) Smt. Sunita Chhibba, Addl. Development Commissioner, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (25.11. 2014 to 28.01. 2016) (ii) Shri Manoj Joshi, JS, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (28.01. 2016 onwards)
Members	
	Appointed under clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Act
8	Smt. Shreya Pandey, All India Food Processors' Association
9	Smt. Meetu Kapoor, Confederation of Indian Industry
	Appointed under clause (c) of sub-section (1) of Section 5 of the Act
10	Shri Thanglura, Mizoram Consumer's Union
11	Shri Vasudev. K. Thakkar, V. Care Right and Duty N.G.O
	Appointed under clause (d) of sub-section (1) of Section 5 of the Act
12	Prof. (Dr.) A.K. Srivastava, National Dairy Research Institute
13	Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Department of Protein Chemistry and Technology
14	Dr. Gurudayal Singh Toteja, Indian Council of Medical Research
	Appointed under clause (e) of sub-section (1) of Section 5 of the Act
15	Representative of the Govt. of Goa
16	Representative of the Govt. of Himachal Pradesh
17	Representative of the Govt. of Chhattisgarh
18	Representative of the Govt. of Assam
19	Representative of the Govt. of Chandigarh
	Appointed under clause (f) of sub-section (1) of Section 5 of the Act
20	Shri. Balasubramaniam V., Prawn Farmers Federation of India
21	Shri Abulkalam, Madina Munvare Caffee Estate
	Appointed under clause (g) of sub-section (1) of Section 5 of the Act
22	Dr. A.R. Sharma, Ricela Health Foods Ltd.

4.6 During the year 2015-16 , 4 meetings of the Food Authority were held as per details below:

Sr. No.	Food Authority Meetings	Date
1	17th Authority Meeting	18th May, 2015
2	18th Authority Meeting	04th September, 2015
3	19th Authority Meeting	6th November, 2015
4	20th Authority Meeting	27th January, 2016

4.7 After approval of Food Authority, Regulations/Guidelines/Draft notifications/Final notifications are issued. Status of Standards/Regulations during 2015-16 is given in Chapter 8.

Chapter-5

Central Advisory Committee (CAC)

5.1 Section 11 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of the Central Advisory Committee (CAC) and Section 12 delineates the functions of the CAC.

5.2 The Central Advisory Committee consists of two members each to represent the interests of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories. In addition, all the Commissioners of Food Safety and the Chairperson of the Scientific Committee are ex–officio members. The Chief Executive Officer is the ex-officio Chairperson of the Central Advisory Committee.

5.3 The representatives of the concerned Ministries or Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Bio- technology, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Environment and Forests, Food Processing Industries, Health, Panchayati Raj, Small Scale Industries and Food and Public Distribution or government institutes or organizations and government recognised farmers' organizations are invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee.

5.4 The Central Advisory Committee ensures close cooperation between the Food Authority and the Enforcement Agencies and Organizations operating in the field of food.

5.5 The primary mandate of the Committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge.

5.6 During the year 2015-16, the Central Advisory Committee met on 3 occasions as per details below:

Sr No.	CAC Meeting	Date
1	14th CAC Meeting	4th June, 2016
2	15th CAC Meeting	13th October, 2016
3	16th CAC Meeting	3rd February, 2016

Chapter-6

Scientific Committee

6.1 Section 14 of the FSS Act, 2006 provides for the constitution of the Scientific Committee comprising the Chairpersons of the Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging to any of the Scientific Panels. This Committee is responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and in particular with regard to the adoption of working procedures and harmonisation of working methods of the Scientific Panels. The Scientific Committee provides opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panels and setting up working groups on issues which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels. The Scientific Committee chooses a Chairperson from amongst its members.

6.2 During the year 2015-16, the Scientific Committee held 4 meetings as per details below:

Sl. No.	Number of the meeting	Date of the meeting
1	17th	17th June, 2015
2	18th	21st September, 2015
3	19th	23rd November, 2015
4	20th	18th January, 2016

6.3 Recommendations of the Scientific Committee made during these meetings were placed before the Food Authority for its approval for issuance of draft notifications and final notifications.

Chapter-7

Scientific Panels

7.1 Section 13 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of subject specific Scientific Panels which consist of independent scientific experts to act as the risk assessment bodies and give their considered scientific opinion.

7.2 The Food Authority has been empowered to reconstitute the Scientific Panels by adding new members or by omitting the existing members or by changing the name of the panel as the case may be. The Scientific Panels choose a Chairperson from amongst its members.

7.3 The Food Authority set up seven (07) new Scientific Panels in addition to already established nine (09) Scientific Panels. The following sixteen (16) Scientific Panels which remained functional during the year under report:

(i) Panel on Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other Similar Products.

(ii) Panel on Methods of Sampling and Analysis.

(iii) Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food.

(iv) Panel on Contaminants in Food Chain.

(v) Panel on Biological Hazards.

(vi) Panel on Pesticides and Antibiotic Residues.

(vii) Panel on Labelling and claims/Advertisements.

(viii) Panel on Genetically Modified Organisms and Foods.

(ix) Panel on Fish and Fisheries Products.

(x) Panel on Sweets, Confectionery, Sweeteners, Sugar & Honey.

(xi) Panel on Water (including flavoured water) & Beverages (alcoholic and non-alcoholic).

(xii) Panel on Oils & Fats.

(xiii) Panel on Milk and Milk Products.

(xiv) Panel on Meat and Meat Products including Poultry.

(xv) Panel on Cereals, Pulses & Legume and their Products (Including Bakery).

(xvi) Panel on Fruits & Vegetables and their Products (Including Dried Fruits and Nuts, Salt, Spices and Condiments).

7.4 The Scientific Panels held numerous meetings during the term as per the details given below:

Sl. No.	Scientific Panel on	Number of the meeting	Date of the meeting
1	Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic products and Other similar products	25th meeting	23rd April, 2015
		26th meeting	25th June, 2015
		27th meeting	4th September, 2015
		28th meeting	21st September, 2015
		29th meeting	17th November, 2015
		30th meeting	22nd December, 2015
2	Methods of Sampling and Analysis	12th meeting	22nd June, 2015
		13th meeting	28th October, 2015
		14th meeting	9th December, 2015
3	Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food	22nd meeting	12th and 13th May, 2015
		23rd meeting	15th October, 2015
		24th meeting	9th and 10th December, 2015
		25th meeting	17th and 18th December, 2015
		26th meeting	27th January, 2016
4	Contaminants in the Food chain	10th meeting	11th September, 2015
		11th meeting	8th December, 2015
		12th meeting	30th March, 2016
5	Biological Hazards	14th meeting	21st and 22nd may, 2015
		15th meeting	13th October, 2015
		16th meeting	22nd December, 2015
		17th meeting	11th and 12th January, 2016
		18th meeting	17th and 18th February, 2016
		19th meeting	28th March, 2016

Sl. No.	Scientific Panel on	Number of the meeting	Date of the meeting
6	Pesticides and Antibiotics Residues	36th meeting	21st May, 2015
		37th meeting	18th June, 2015
		38th meeting	29th July, 2015
		39th meeting	8th September, 2015
		40th meeting	19th November, 2015
		41st meeting	19th January, 2016
		42nd meeting	15th March, 2016
7	Labelling and Claims/ Advertisements	19th meeting	2nd December, 2015
8	Fish and Fisheries Products	6th meeting	30th April, 2015
		7th meeting	7th May, 2015
		8th meeting	7th December, 2015
9	Sweets, Confectionery, Sugar & Honey	1st meeting	1st September, 2015
		2nd meeting	12th October, 2015
		3rd meeting	13th January, 2016
10	Water (including flavoured water) & Beverages (alcoholic and non-alcoholic)	1st meeting	22nd July, 2015
		2nd meeting	19th October, 2015
		3rd meeting	20th January, 2016
		4th meeting	10th March, 2016
11	Oils & Fats	1st meeting	29th October, 2015
		2nd meeting	8th January, 2016
		3rd meeting	11th March, 2016
12	Milk & Milk Products	1st meeting	18th December, 2015
13	Meat & Meat products including poultry	1st meeting	16th December, 2015
		2nd meeting	29th March, 2016
14	Cereal, Pulses & Legumes and their products (including bakery)	1st meeting	3rd December, 2015
		2nd meeting	18th February, 2016
15	Fruits & Vegetables and their products (including dried fruits and nuts, salts, spices and condiments)	1st meeting	17th December, 2015
		2nd meeting	24th February, 2016

Task Force Group/Expert Group:

7.5 The Task Force Group/Expert Groups were constituted to frame recommendations on domain subject. A number of meetings of these groups were held during 2015-16 as per the details given below:

Sl. No.	Name	Number of the meeting	Date of the meeting
1	Task Force Group for Milk and Milk Products	10th meeting	12th May, 2015
2	Expert Group for Alcoholic Beverages	11th meeting	7th and 8th April, 2015
3	Expert Group on Fat, Sugar and Salt	1st meeting	17th July, 2015
		2nd meeting	14th September, 2015
		3rd meeting	24th November, 2015
		4th meeting	2nd February, 2016

7.6 Recommendations of the Scientific Panels/Task Force Group/Expert Groups made during these meetings were placed before the Scientific Committee for further consideration and approval.

7.7 With the constitution of Scientific Panels on related domain subject , Task Force Group for Milk and Milk Products and Expert Group for Alcoholic Beverages have been dissolved.

Consultation/Workshop

7.8 A two-days Consultation on Principles and Guidelines of Microbial Risk Assessment was convened on 19th – 20th June, 2015 with a view to generate a comprehensive database related to food safety**.** In this Consultation, eminent experts/researchers of this area had participated and deliberated on the approaches, methodologies & case analysis of microbiological risk assessment, encompassing food products of meat, fish, milk, fruits and vegetables, spices and herbs etc.

7.9 A Workshop was organised on 'Fixation of Maximum Residues Levels for Pesticides, Veterinary Drugs and Antibiotics in foods prepared from Animals, Poultry, Fish and Processed foods' on 01.02.2016 and 02.02.2016 . More than 100 experts from India and abroad participated in the workshop. It was organised with the objective to provide training, develop and improve technical knowledge of procedures for fixation of Maximum Residues Limits for pesticides and Antibiotics and Veterinary Drugs and establish networking to promote professional cooperation between FSSAI and Stakeholders. The hands-on exercises held on second day provided practical experience to participants on risk assessment.

Reconstitution of Scientific Panels

7.10 The process of reconstitution of Scientific Committee and some Scientific Panels for development of Standards for new Food Products or re-visiting the existing Standards for different categories of food

commodities was initiated. In this regard, an Expression of Interest (EOI) was uploaded on Authority's website and published in leading newspapers inviting candidature from suitable professionals/ scientists/ subject experts in their individual capacity and not as representatives of any institution or scientific body for the Scientific Committee and the following Scientific Panels:

(a) Food Additives, Flavourings, Processing aids and Materials in Contact with Food;

(b) Pesticides and Antibiotics Residues;

(c) Genetically Modified Organisms and Foods;

(d) Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and other Similar Products;

(e) Biological Hazards;

(f) Contaminants in the Food Chain;

(g) Labelling and Claims/Advertisements;

(h) Methods of Sampling and Analysis; and

(i) Fish and Fisheries Products.

Consultation on Principles and Guidelines of Microbial Risk Assessment held on 19th – 20th June, 2015

Workshop on 'Fixation of Maximum Residues Levels for Pesticides, Veterinary Drugs and Antibiotics in foods prepared from Animals, Poultry, Fish and Processed foods' held on 1st - 2nd Feb., 2016 (Inaugural Session)

Chapter-8

Setting of Food Standards and issue of Regulations thereon

Harmonization of Indian standards with Codex standards.

8.1 Under Section 16(3) (m) of the FSS Act, 2006, it is the responsibility of FSSAI to promote consistency with the relevant international standards. The standards and other guidance texts adopted by Codex Alimentarius Commission are the relevant international standards and are also the reference point within the frame-work of WTO. The FAO and WHO of the United Nations regularly encourage countries to harmonise their standards with those of the Codex.

In light of the above, it was considered appropriate to review India's standards and harmonise them with the Codex to the extent possible taking into account India's needs. During the course of harmonization, following standards have been framed;

	Harmonizing Indian Standards to Codex
1.	Limit of Heavy metals in foods.
2.	Standards for Naturally Occurring Toxins (NOTS)
3.	Standards for Mycotoxin.
4.	Standards for Steviol Glycosides.
5.	Harmonization of food additives with Codex.

8.2 Status of the Standards and Regulations during 2015-16:

I.	**Final Notifications issued**
Sr. No.	Regulation/Standards
1.	Maximum limit of Trans Fatty Acids in foods (revised to 5%)
2.	Maximum limit of Mycotoxins in Foods
3.	Maximum limit Chromium in Gelatin
4.	Use of glucose Oxidase, Lipase and Xylanase in bread
5.	Use of Pullulan (Food Additive)in foods.
6.	Maximum limit of Naturally Occuring Toxins (NOTS)in foods.
7.	Standards for Lecithin in Breads
8.	Use of Caramel and Glazing Agents
9.	Use of Steviol Glycosides (Food Additives)

10.	Standards for melamine in powdered infant formula, liquid infant formula and Other Foods.
11.	Standards for proprietary foods
II.	**Standards Approved for Final Notification**
1.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulation, 2015 relating to Gluten Free and Low Gluten Foods.
2.	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2015 relating to limits of Heavy Metals in Food.
3.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulation, 2015 related to DHA & ARA in Infant Formula and Follow-up Formula, Isomaltulose, and High Fiber Dextrin.
4.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulation, 2015 related to harmonization of standards for food additives for use in certain food categories or individual food items.
5.	Final (Draft) amendments to the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Amendment Regulation, 2015 related with declaration of class titles with respect to the edible oils and edible fats.
6.	Draft Regulation on Food Safety and Standards (Food or Health Supplements, Nutraceuticals, Foods for Special Dietary Uses, Foods for Special Medical Purposes, Functional Foods and Novel Food) Regulations, 2016.
III.	**Draft Notification of Standards/Regulations issued for inviting stakeholder comments.**
1.	Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2015.
2.	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2015 relating to standards of Mycotoxins in Foods.
3.	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulation, 2015 regarding standards of melamine in milk and milk products.
4.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulation, 2015 relating to the use of Phytosterols as Food Ingredient. Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulation, 2015) Amendment Regulation, 2015 relating to label declaration on use of Plant Sterols.
5.	Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Amendment Regulation, 2015
IV.	**Standards/Regulation/Proposal approved by Food Authority for draft notification inviting public comments**
1.	Revision of Milk Standards with respect to (i) Fat and Solid Not Fat (SNF) of Cow Milk and (ii) Inclusion of Standards of Camel Milk in FSSR, 2011
2.	Draft Regulations for Alcoholic Beverages

3.	Permissible limits of Ethylene gas for ripening of fruits.
4.	Revision of 'The Food Safety and Standards Authority of India (Procedures for Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010'.
5.	Guidelines for Internal Procedure for Selection of Members of the Scientific Committee and Scientific Panels.
6.	Finalization of Manuals of Methods of Analysis of Foods- (i) Oils and Fats; (ii) Mycotoxins; (iii) Cereal & Cereal Products; (iv) Food Additives; (v) Fruits and Vegetable Products; (vi) Metals; (vii) Spices and Condiments, (viii) Milk & Milk Products and (ix) General Guidelines on Sampling.
7.	Guidelines for the scheme of Research & Development/ Surveys for food quality and safe
8.	Possibilities of adopting a principle of crops grouping for determination of Maximum Residues Limits.
9.	Iron filings in Tea
10.	Packaged Drinking Water
11.	Limits of Extraneous Matter in Pulses
12.	Silver Leaf (Varakh)
13.	Chocolate
14.	Redefinition of Interesterified vegetable Fat as Interesterified vegetable fat/oil
15.	Table Olives;
16.	Pasta Products;
17.	Dairy Whitener
18.	Removal of Zinc from the list of contaminants
19.	Fixation of MRLs of Pesticides in Food Commodities
20.	Adoption of Nine (09) BIS standards- a) Protein rich supplements for infants and preschool children, b) Edible Groundnut flour (expeller pressed), c) Malt extract, d) Baker's yeast, e) Lactic acids - food grade, f) Ascorbic acid - food grade, g) Calcium propionate - food grade, h) Sodium metabisulphite - food grade, i) Potassium metabisulphite - food grade
21.	Categorization of Caramel as a 'Natural' or a 'Synthetic' Colour.
22.	Assessment/determination of the safety of consumption of Khesari dal/Ban on consumption of Khesari dal.
23.	Use of Maltitol & Maltitol syrup in various food Products.
24.	Inclusion of Enzymatic degumming in refining process
25.	Expelled/ Pressed Coconut oil imported in India to be exempted from refining

26.	Maximum permitted pack size for Blended Edible Vegetable Oils to be 15 kg including 15 litres.
27.	Harmonization of Vertical Standards for Fish and Fishery Products- (i) Frozen Cephalopods; (ii) Frozen Finfish; (iii) Frozen Shrimp; (iv) Fish Fillets; (v) Smoked-Fishery Products; (vi) Ready-to-eat finfish/shell fish curry in retortable pouches; (vii) Canned Fishery Products; (viii) Sardine Oil; (ix) Edible Fish Powder; (x) Fish Pickles; (xi) Frozen Minced Fish Meat; (xii) Freeze Dried Prawns (Shrimps); and (xiii) Clam Meat-Frozen.
28.	Fortified Milk
29.	Fortified Edible vegetable oils
30.	Edible Lactose
31.	Seedless Tamarind
32.	Oats
33.	Inclusion of rabbit family, i.e. Leporidae under species of animal" in sub –regulation 2.5.1 (a) of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011
34.	Microbiological Standards for Fruits and Vegetables and their Products
35.	List of Histamine forming Fish Species and Limits of Histamine Level for Fish and Fishery Products

Operationalization of certain standards/Regulations.

8.3 Some of the standards of Food Additives contained in the draft amendment notification with respect to the harmonization of food additives, standards for proprietary foods and import regulations have been made operational by invoking urgency as empowered under Section 18(2) (d) of FSS Act, 2006 as directed by the Central Government and the same have been uploaded on FSSAI website.

Chapter -9

Import of Food

9.1 FSSAI is responsible for protecting and promoting public health by ensuring that the nation's food supply for human is safe, sanitary and wholesome. Import of food in India is subject to the Section 25 of the Food Safety & Standard Act, 2006. The Act stipulates that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and Rules and regulations made thereunder. Further, as per section 47 (5) of the FSS Act, 2006, in case of imported articles of food, the Authorized Officer of the Food Authority shall take its sample and send to the FSSAI's NABL accredited notified laboratory for analysis who shall send the report within a period of five days to the Authorized Officer. As per the test reports from the lab, the food safety aspect of the imported consignment is ensured.

9.2 FSSAI has successfully operationalized the import food clearance process in a phased manner since August-September 2010 through appointment of Authorized Officers in terms of section 47 (5) of the FSS Act, 2006 for six major locations i.e. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Tuticorin and Cochin Ports (including sea, air and land) covering 21 points of entry**.** FSSAI has also notified Customs Officers as Authorised Officers at 135 locations.

9.3 The data regarding the number of samples drawn & NOCs issued for the period April 2015 to March 2016 is given in **Table-1**. It is informed that a total of 71368 samples containing 10344881.24 MTs of imported food products, were handled by the FSSAI during 2015-16. In the process, 1062 samples (1.5%), weighing 21772.54 MTs of food, were issued non-conforming certificates/ rejected as these were not meeting the standards prescribed under the FSS Act, 2006 and the regulations made thereunder.

9.4 Following initiatives were undertaken during the year 2015-16 to streamline the process and reduce the time for delivering public service in Imports clearance of the food consignments:

(a) FSSAI has its presence at 6 locations namely Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Cochin and Tuticorin. The import clearance in all the above mentioned locations is done through online Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI.

(b) Notice for operationalization of Food Safety and Standards (Food Import) Regulations was uploaded on FSSAI's website on 14.01.2016.

(c) The Food Import Prioritization System has been planned to be implemented in three stages. The first stage of Pre- Arrival Document Scrutiny (PADS) scheme was implemented on 02.02.2016 at all non-single window locations.

(d) Following category of food imports have been exempted from regular sampling and testing

- Food imported for personal consumption
- Food imported by Diplomatic Missions
- Import of Food for the purposes of Research and Development
- Import of Food for the purposes of Exhibition and Tasting
- Import of Food for international sports events

e) For the purpose of testing of Imported samples, FSSAI has notified different NABL accredited labs across the country. The number of notified laboratories have been increased from 82 to 98 and number of referral labs has also been increased from 12 to 14.

f) FSSAI notified Customs Officers as Authorised Officers at 135 locations to maintain parity of testing and import clearance. The details of the same is at http://www.fssai.gov.in/importedfood.aspx

Table: 1

Table: 1 Data of Food Import Clearance for the period April 2015 to March 2016						
			Rejected		Approved	
Ports	**Total Number of samples**	**Total Quantity in MTs**	**Number of Non-Conforming Certificate (NCC) issued**	**Quantity in MTs**	**No Objection Certificate (NOC) issued**	**Quantity in MTs**
Chennai	12843	2188837.50	202	8825.57	12636	2158440.12
Cochin	1347	86459.25	259	4806.26	1088	80979.29
Delhi	6738	41629.43	155	1126.58	6548	30673.16
Kolkata	5626	2144536.42	32	2608.78	5590	2130984.87
Mumbai	43317	5481331.86	364	3378.56	42870	5430718.46
Tuticorin	1497	402086.76	50	1026.79	1447	341551.42
Total	**71368**	**10344881.24**	**1062**	**21772.54**	**70179**	**10173347.33**

Chapter-10

Enforcement-Regulation of Food Safety in States/UTs:

10.1 Licensing and Registration:

During the year 2015-16, 5607 Central licences were issued taking the total of Central Licences issued by Central Licensing Authorities (CLAs) till 31-03-2016 to 24,917**.** As regards the State Licences, a total of 1,56,551 licences and 3,86,518 registrations were issued by the State/UT Government authorities. As on 31-03-2016, the States/UTs have granted 7,08,664 licenses and registered 27,64,600 Food Business Operators (FBOs) under the Act. A status report on licences/ registration in States and UTs is in **Table 1.**

10.2 Progress in the year 2015-2016 with reference to the implementation of FSS Act in States/ UTs:-

10.2.1 Three Meetings of the Central Advisory Committee were held in the year 2015-2016. Till 01.03.2016, 16 Central Advisory Committee Meetings have been conducted wherein States/UTs participated and discussed their issues.

10.2.2 The process of submission of laboratory testing reports from State/UT Governments has been automated and now the States/UTs can directly upload the report on FLRS instead of manual submission.

10.2.3 FLRS has been rolled out at Airports/ Seaports. Konkan Railways has gone online in June, 2016. Process has been initiated for rolling out FLRS in Indian Railways.

10.2.4 Following nine States/ UTs went online for Licensing/Registration (FLRS) during the year 2015-16. A total of 33 States/ UTs have gone live till 30/03/2016. Follow-up with remaining three states i.e. Odisha, Nagaland & Chhattisgarh has been incorporated into the action plan for the year 2016-17.

1	Sikkim	27th May, 2015
2	Jharkhand	29th May, 2015
3	Bihar	10th June,2015
4	Lakshadweep	16th June, 2015
5	Manipur	21ST July, 2105
6	Tripura	26th Aug, 2015
7	West Bengal	15th Dec, 2015
8	Andaman & Nicobar Islands	18th Dec, 2015
9	Jammu & Kashmir	30th March, 2016

10.2.5 Joint Food Safety Commissioner for Railways has been appointed.

10.2.6 FSSAI has distributed Electronic Milk Adulteration Tester (EMAT) with Milk Analyzer, rapid milk testing equipment to three States/UTs viz. Delhi, Uttar Pradesh and Chandigarh on pilot basis for instant identification of milk adulteration.

10.2.7 Coordination meetings were conducted with Central Agencies viz., Railways, Airport/Seaport and Defence.

10.3 Some other Initiatives

1. Initiated the process of development of Regulation for School Children. Several rounds of meetings have been conducted with different stakeholders.

2. Initiated the process of licensing of Departmental Canteens under Central Government Organizations.

3. Initiated the process of training of FBOs in Indian Railways through the project Safe Food on Track

4. Initiated the process of project- Clean Drinking Water for increasing consumer awareness on clean drinking water.

10.4 Initiatives in pipeline:

1. Creation and Implementation of dedicated Concerns Handling Portal/ mobile APP
2. Change in Licensing and Registration Regulation

Details of administrative set up in States/UTs:

10 .5 The State/UT Governments are primarily responsible for the enforcement of the FSS Act, 2006 in their respective jurisdictions. All the States/UTs have appointed Food Safety Commissioners, notified Adjudicating Officers (AOs), Designated Officers (DOs) and Food Safety Officers (FSOs).

No. of AOs appointed: **13**

No. of DOs appointed: **19**

No. of FSOs appointed: **628**

No. of Steering Committee constituted: **03** Steering Committee have been established in 29 States/ UTs so far.

No. of Appellate Tribunal established: **05** Appellate Tribunals have been established in 24 States/UTs so far.

The details of administrative set up in the States/UTs is given in **Table 2:**

10.6 The State laboratories continue to act as the notified laboratories under FSS Act, 2006 and Public

Analysts have been re-designated as Food Analysts. The details of sampling and testing by the state labs during 2015-16 are given in **Table 3.**

10.7 Advisories/ Orders/ Notifications issued relating to enforcement activities in the year 2015-16:

1) Discontinuing Manufacturing/ Distribution etc. of product for which Product Approval has been denied by FSSAI -

   Vide order no. 1(2)2011/ States/FSSAI/Vol.Idated 21st April, 2015 it was directed that all FBOs manufacturing any article of food containing ingredients or substances or using technologies or processes or combination thereof whose safety has not been established through these regulations or which do not have a history of sale /use or food containing ingredients which are being introduced for the first time into the country have to apply for Product Approval.

2) M/s Nestle India Limited's "Maggi Instant Noodles with Tastemaker" and any other food products covered under Section 22 which were not examined for risk/safety assessment -

   Vide Order no. 10/Q.A./Enforcement Issues/FSSAI-2015 dated 05th June, 2015, M/s Nestle India Limited was directed to recall all the 09 approved variants of its Maggi Instant Noodles from the market having been found unsafe and hazardous for human consumption, to recall the food product "Maggi Oats Masala Noodles with Tastemaker" for which risk/ safety assessment has not been undertaken and Product Approval has not been granted.

3) Enforcement of Provisions of the FSS Act qua Noodles, Pastas and Macaroni with tastemaker of all makes and brands present in the market :

   a) Order no. 10/Q.A./Enforcement Issues/FSSAI-2015 dated 08th June, 2015 gives the details of the food products and manufacturing FBOs for which, as per records, FSSAI has issued conditional permissions / approvals for products like Noodles, Pastas and Macaroni.

   b) The order advises to take regulatory samples of such non-standardized food products and to take action as per provisions of FSS Act and other applicable laws (including IPC) qua the food items not found conforming to the applicable standards.

   c) Consequent to the said order M/s HUL Limited and M/s Nestle India Limited recalled their non-standardized products. Also M/s ITC, modified the label of their brand 'Yipiee Noodles', by removing the line 'No added MSG'.

4) Office Order dated 15th Jan. 2016 regarding Exemption of Unit Run Canteen (URCs) from the purview of FSSAI licensing;

   URCs have been exempted from the purview of FSSAI licensing. CSDs under which these URCs run will only be licensed.

5) Office Order dated 09th Feb. 2016 regarding Notification of FSSAI's Designated Officer for Central Licensing under Section 36 of FSS Act, 2006:

The provisions of the Order would come into effect from 1st March, 2016 and consequently, Sub-regional offices of Lucknow & Chandigarh shall cease to exist for the purpose of processing of fresh application for grant of license.

6) Order dated 05th Feb. 2016 regarding Extension of time line upto 04th May, 2016 for the Food Business Operators to obtain licenses / registration in terms of regulation 2.1.2 of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011.

7) Office Order dated 25th Jan. 2016 regarding Officers appointed as Designated Officers with their area of jurisdiction:

Shri Prasenjeet Gaikwad was appointed as the Designated Officer of Western Region and Shri D P. Guha was given the additional charge of North East Region.

8) Order dated 30th March 2016 regarding Clarification on use of Monosodium Glutamate as flavour enhancer in seasoning for Noodles and Pastas:

To prevent, both, avoidable harassment/ prosecution of Food Business Operators (FBOs) as well as to ensure that consumers are facilitated to exercise informed choices in respect of what they eat, proceedings may be launched against FBOs only when the labels state "No MSG" or "No added MSG" and MSG is actually found in the impugned foodstuff. Commissioners of Food Safety have been advised that specific enforcement/ prosecution may not be launched against the manufacturers of Noodles/ Pasta on account of presence of MSG/ Glutamic Acid unless it is ascertained by the department that Monosodium Glutamate flavour enhancer (INS E-621) was deliberately added during the course of manufacture without required declaration on the label.

9) Order dated 30th March 2016 regarding Enforcement Activities on Nutraceuticals, Food Supplements and Health Supplements:

It was decided that till the Standards of Neutraceuticals, Food Supplements and Health Supplements are finally notified, the enforcement activities against such FBOs may be restricted to testing of Neutraceuticals, Food Supplements and Health Supplements with respect to requirements given in the draft notification on such products uploaded on the FSSAI website on 9th September, 2015.

Table 1: Report on licensing/ registration in States/ UTs

S. No.	Name of State	No. of Licenses Issued	No. of Registrations Issued
1	**Andaman & Nicobar Island**	538	6118
2	**Andhra Pradesh**	31384	32902
3	**Arunachal Pradesh**	1793	6296
4	**Assam**	4266	2344
5	**Bihar**	9353	24336
6	**Chandigarh**	2894	1506

7	**Chhattisgarh**	9645	9101
8	**Dadara & Nagar Haveli**	799	2350
9	**Daman & Diu**	588	3246
10	**Delhi**	15197	30827
11	**Goa**	3420	20448
12	**Gujarat**	52522	144222
13	**Haryana**	7352	15452
14	**Himachal Pradesh**	8038	87364
15	**Jammu & Kashmir**	9459	82912
16	**Jharkhand**	5765	13881
17	**Karnataka**	74776	202977
18	**Kerala**	44567	144651
19	**Lakshadweep**	1	412
20	**Madhya Pradesh**	38549	389885
21	**Maharashtra**	205688	691285
22	**Manipur**	864	5010
23	**Meghalaya**	1578	3108
24	**Mizoram**	440	3433
25	**Nagaland**	362	1417
26	**Odisha**	9179	13299
27	**Puducherry**	1221	2148
28	**Punjab**	18295	105290
29	**Rajasthan**	23,482	86276
30	**Sikkim**	1343	4510
31	**Tamil Nadu**	28843	151091
32	**Telengana**	15347	12694
33	**Tripura**	1161	3848
34	**Uttarakhand**	8206	6339
35	**Uttar Pradesh**	**50,284**	**400777**
36	**West Bengal**	21465	52845
Total		**7,08,664**	**27,64,600**
Grand Total		34,73,264	

Table 2: Administrative Setup in States/UTs under FSS Act, 2006

S. No.	Name of State	FSC	No. of AO	No. of DO	No. of FSO	Steering Committee	Tribunal
1	**Andaman & Nicobar Island**	1	3	3	14	Yes	Yes
2	**Andhra Pradesh**	1	13	17	45	Yes	Yes
3	**Arunachal Pradesh**	1	20	20	3	Yes	Yes
4	**Assam***	1	27	5	40	Yes	Yes
5	**Bihar**	1	38	9	14	No	No
6	**Chandigarh**	1	1	2	2	Yes	Yes
7	**Chhattisgarh**	1	27	27	71	Yes	Yes
8	**Dadara& Nagar Haveli**	1	1	1	2	No	No
9	**Daman & Diu**	1	2	2	2	Yes	Yes
10	**Delhi**	1	11	6	12	Yes	Yes
11	**Goa**	1	2	2	17	Yes	No
12	**Gujarat**	1	33	33	259	No	Yes
13	**Haryana***	1	21	21	12	Yes	Yes
14	**Himachal Pradesh***	1	10	5	4	Yes	Yes
15	**Jammu & Kashmir***	1	22	19	72	Yes	No
16	**Jharkhand***	1	24	24	202	Yes	No
17	**Karnataka**	1	30	36	64	No	No
18	**Kerala**	1	21	14	57	Yes	Yes
19	**Lakshadweep***	1	1	1	15	No	Yes
20	**Madhya Pradesh**	1	51	51	182	Yes	Yes
21	**Maharashtra***	1	7	62	298	Yes	Yes
22	**Manipur***	1	9	9	9	Yes	No
23	**Meghalaya**	1	7	3	7	Yes	Yes
24	**Mizoram**	1	8	3	10	Yes	No
25	**Nagaland***	1	11	11	11	Yes	No
26	**Odisha**	1	34	37	26	No	No
27	**Puducherry**	1	2	1	2	Yes	Yes
28	**Punjab***	1	22	22	46	Yes	Yes
29	**Rajasthan***	1	48	42	87	Yes	Yes
30	**Sikkim**	1	4	2	2	No	No
31	**Tamil Nadu**	1	32	32	584	Yes	No
32	**Telengana***	1	10	15	9	Yes	Yes
33	**Tripura**	1	8	9	4	Yes	Yes
34	**Uttarakhand**	1	13	12	31	Yes	Yes
35	**Uttar Pradesh**	1	75	72	695	Yes	Yes
36	**West Bengal***	1	19	19	42	Yes	Yes
Total		**36**	**667**	**649**	**2952**	**29**	**24**

Note: Annual Report for 2015-16 of the States* are awaited

Table 3: Annual Public Laboratory Testing Report for the year 2015-2016

S. No.	Name of State	Total no of samples received	Analysed	Adulterated	Criminal	Civil	Convictions	Penalties	Amount
1	Andaman & Nicobar Island	156	156	25	0	0	0	0	271000
2	Andhra Pradesh	4860	4860	870	194	347	4	83	5215000
3	Arunachal Pradesh	290	290	30	0	28	0	5	15000
4	Assam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Bihar	2032	1447	35	0	93	0	4	20000
6	Chandigarh*	96	96	12		12	0	2	102000
7	Chhattisgarh	1026	1026	298	3	17	0	0	85000
8	Dadara & Nagar Haveli*	40	40	5		3	0	1	10000
9	Daman & Diu	106	106	11		11	0	0	
10	Delhi	1472	1472	239	149	0	0	0	4482500
11	Goa	1132	1155	72	0	4	1	1	5000
12	Gujarat	15115	14891	1242	30	507	1	182	19005906
13	Haryana	2121	2063	180	7	149	0	111	2743600
14	Himachal Pradesh*	296	305	55	19		20	0	180000
15	Jammu & Kashmir*	1354	1215	334	1	335	215	0	2214400
16	Jharkhand	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	Karnataka	2894	2340	433		58	0	0	436000
18	Kerala	2364	2196	459	138	246	17	44	6633500
19	Lakshadweep	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Madhya Pradesh	10035	9994	1311	82	879	36	447	4,48,26,000
21	Maharashtra*	2019	1400	345	396	85	105011		1225500
22	Manipur*	67	67	0	0	8	8	8	1,64,000
23	Meghalaya	124	87	4	0	0	0	0	0
24	Mizoram	24	17	4	0	0	0	0	
25	Nagaland	187	187	76		32	20	20	10000
26	Odisha	211	211	61		2		1	

S. No.	Name of State	Total no of samples received	Analysed	Adulterated	Criminal	Civil	Convictions	Penalties	Amount
27	**Puducherry**	827	827	11	0	1	0	1	5000
28	**Punjab**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	**Rajasthan**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	**Sikkim**	5	5	0	0	0	0	0	0
31	**Tamil Nadu**	1742	1783	607	107	308	23	202	5890800
32	**Telangana**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	**Tripura**	814	814	17		5	0	0	2750
34	**Uttarakhand**	1073	1073	183	10	95	0	0	1535000
35	**Uttar Pradesh**	17,726	14833	7189	506	4864	164	2370	115120480
36	**West Bengal***	102	101	71	1	13	0	0	0
Total		**70,310**	**65,057**	**14179**	**1643**	**8102**	**105520**	**3482**	**210198436**

Note: Annual Report for 2015-16 of the States* are awaited

Chapter - 11

Surveillance Activities

11.1 Section 29 (3) of the Food Safety and Standards Act, 2006 provides: "the Food Authority shall maintain a system of control and other activities as appropriate to the circumstances, including public communication on food safety and risk, food safety surveillance and other monitoring activities covering all stages of food business".

11.2 State Food Safety Commissioners were requested to conduct Food Safety Surveillance of seasonal fruits and vegetables and other food commodities. States were also requested to submit reports in the prescribed format. The matter was also taken up in 14th CAC held on 04.06.15 for submission of final reports by the Food Safety Commissioners.

11.3 A Modified surveillance plan was prepared and the same was discussed in 15th meeting of CAC held on 13.10.15 and subsequently in 16th CAC meeting on 03.02.16 for submission of suggestions/ modifications. State Commissioners of Food Safety were also requested to conduct surveillance activities in their States regularly and submit the report in the prescribed format.

11.4 Surveillance activity of Fats, Oils and Fats Emulsions in areas of Chennai, Hyderabad and Kolkata were completed through Designated Officers of Chennai and Kolkata in year 2015. 100 samples of different fats and oils from Chennai and Hyderabad and 50 samples of fats and oils from Kolkata region were analysed. A letter dated 23rd Oct, 2015 was issued to all Food Safety Commissioners of States/UTs to intensify the surveillance activity of fats and oils in their States and suitable legal enforcement action to be initiated if the samples are found to be non-conforming in nature.

11.5 Directions were issued to State Governments from time to time for implementation of effective Surveillance.

11.6 Milk Quality Survey (MQS) 2016 was planned by the FSSAI across all the States/UTs in the country in order to ascertain the status of milk quality in the country. To begin with a pilot survey is proposed to be initiated in NCR region covering Delhi and parts of Uttar Pradesh and Haryana.

Chapter-12

Quality Assurance (Laboratories, Sampling and Analysis)

12.1 FSSAI organized a meeting with milk testing equipment vendors/manufacturers & bulk consumers on 16.10.2015 regarding setting-up of infrastructural facilities to provide the bulk and individual consumers easy access to testing equipment for ensuring the quality of milk and milk products bought by them. The meeting was attended by several individuals and representatives of associations of traditional sweet shops. Others present during the event were Commissioner Food Safety, Delhi, Director, Department of Consumer Affairs and representatives from Ministry of Health & Family Welfare. The representatives of 15 rapid milk testing equipment manufacturers demonstrated their equipments.

12.2 **Compilation of sample testing parameters as per FSSR, 2011:** The quality and safety parameters have been prescribed in the existing six Regulations & Appendices for various food commodities. Therefore, FSSAI has brought out a compilation of all the quality and safety parameters of food products at a single point of reference for standardized and effective analysis across all the Food Testing Laboratories in the Country. The compilation is available on FSSAI website.

12.3 **Revision of FSSAI sample testing charges:** An important initiative was undertaken to rationalize the food testing charges, which were fixed in an ad-hoc manner at the inception of FSSAI (Rs. 1000/- for all regulatory samples and Rs. 3000/- for all import samples). Taking into consideration that the analysis of different food products involved different parameters and instrumentation, the testing charges were revised and made more realistic linking them with testing parameters and the complexities involved. The revision of testing charges and making these realistic would help in creating a robust network of financially viable food testing laboratories in the country.

12.4 Notification of Food Testing Laboratories: Hitherto 82 NABL accredited labs were notified by FSSAI as per Section 43 (1) of FSS Act, 2006 for the purpose of carrying out analysis of food samples taken under Section 47 of the said Act. Sixteen more NABL accredited labs have been notified by FSSAI during 2015-16 taking the total number of notified laboratories to 98, thereby improving the availability of food testing facilities in every part of the country. FSSAI Notification of food testing laboratories by FSSAI is a continuous process based on voluntary application of the laboratories.

12.5 **Notification of Referral Food Laboratories:** Earlier 12 referral labs were notified by FSSAI in gazette vide No. 2444 dated 02.12.2014. Two more labs, namely, IICPT, Thanjavur and National Research Centre on Meat, Hyderabad were notified as Referral Food Testing Laboratories in the gazette vide No. 2611 dated 07.12.2015, thereby taking the total number of referral laboratories to 14 for analyzing appeal samples of food.

12.6 **Training and capacity building of the laboratory personnel:** FSSAI in consultation with the experts designed training modules for capacity building of scientific and technical personnel in the laboratories and conducted first pilot Training Programme for Food Analysts and other Laboratory

personnel of State Food Testing Laboratories from 30th November to 4th December, 2015 at the premises of M/s TUV-SUD South Asia Private Limited, Gurgaon. The second round of training programme was conducted at the premises of M/s. Envirocare Labs Pvt. Ltd., Mumbai from 29th February to 4th March, 2016.

12.7 **Scientific Panel on Methods of Sampling and Analysis:** Since the formation of FSSAI, the DGHS manuals of test methods for analysis of the various food products, which were prepared 20 years back, were being used. Since then, a lot of changes had taken place in the analytical field and it became essential to review the manuals on methods of analysis of food articles incorporating new methods of analysis and the advancement that had taken place in the analytical field. The Scientific Panel on 'methods of Sampling and Analysis' undertook revision of existing methods of analysis of various food articles and also development of newer testing methodologies. During 2015-16, the panel dealt with the revision of 16 different manuals on methods of Analysis of various Food Products and 1 document on Good Food Laboratory Practices(GFLP). The first phase of reviewing these manuals has since been concluded and following 9 new manuals of methods of analysis of foods have been approved by the Food Authority after a series of meetings of the Scientific Panel, Scientific Committee and public consultation :

i) Milk and Milk Products

ii) Oil and Fats

iii) Fruit and Vegetable Products

iv) Cereal and Cereal Products

v) Food Additives

vi) Mycotoxins

vii) Spices and condiments

viii) Metals

ix) General Guideline on Sampling

Chapter-13

Codex Activities

13.1 The Codex Contact Point of India, i.e. National Codex Contact Point (NCCP) is set up at the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The NCCP of every Country coordinates with the Codex Secretariat for all the matters related to Codex Alimentarius.

13.2 The Indian delegation actively participated in 17 Codex Committee Meetings that were held during 2015-2016. The delegates from Food Authority and the concerned Ministries/Departments and other stakeholders were part of the Indian delegation. India participated in the Physical Working Group on Processed Cheese in January 2015 in Brussels. India also participated in the Codex Alimentarius Executive Committee Workshop during 30th November to 2nd December, 2015 in Rome, Italy. India has participated in 49 electronic working groups (EWGs) and significant comments were submitted in the EWGs. India was also the Chair of 8 EWGs. In 2016-India is Chair of the one EWG (Ware Potato) and also Co-Chairing one of the EWG (Revision of GPFH and its HACCP Annex). In all the above mentioned Codex Committees, PWGs and EWGs, India's written comments were submitted to Codex Secretariat and India's concerns were largely addressed based on these comments and interventions during the Committee sessions.

13.3 India co-hosted the 9th session of the Codex Committee on Contaminants in Food(CCCF) from 16-19 March 2015 at New Delhi. 9th session of the Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) was inaugurated on 16th March, 2015. H.E. Mr. Alphonsus Stoelinga, Netherland Ambassador to India, Ms. Nata Menabde, WHO representative to India, Mr. Y.S. Malik, CEO, FSSAI and Dr. WiekeTas, Chair, CCCF were present The session was Chaired by Dr. Wieke Tas, Department of Animal Health and Market Access, Ministry of Economic Affairs, The Netherlands. The Session was attended by 55 Member countries. 1 Member Organisation, and Observers from 13 international organisations. From India, 26 members participated in the meeting which included senior officers from other Ministries and Departments, Government of India . The Indian delegation was led by Mr. Sunil Bakshi, DGM, NDDB. Significant comments and interventions were made by the Indian Delegation during the meeting on Proposed Draft Maximum Level for Inorganic Arsenic in Husked Rice. The Indian Delegation informed the Committee that India would submit new/additional data with regard to Husked Rice to GEMS for change of the ML of 0.35 mg/kg at its next session.

13.4 India was appointed as a Co-ordinator for the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA) for a period of 2 years in the 38th Session of CAC(2015) and from 2015, CCASIA meetings are being held on the sideline of each Codex Committee meetings. India's proposal on the Code of Hygienic practices for Street vended food was approved to be one of the Agenda items to be considered in this session.

13.5 New Work proposals:

13.5.1 India proposed Dried Chilli Pepper and Dried Garlic as new work proposal in the 2nd Session of Codex Committee on Spices And Culinary Herbs, 14-18 September, 2015.

13.5.2 India proposed a new work on Fresh Date Palm in the 19th Session of Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables, 5-9 October, 2015 and the Committee agreed that India would prepare a project document and a standard for consideration in the next session.

13.5.3 Labelling Standards for Non-Retail Containers in Codex Committee on Food Labelling (CCFL).

13.6 International Food Safety Authority Network (INFOSAN):

India participated in the Meeting on Strengthening International Food Safety Authorities Network (**INFOSAN**) in Asia and National Food Safety Systems during 23-26 November 2015 in Kong SAR (China).

Chapter – 14

Information, Education and Communication (IEC)

14.1 Information, Education and Communication (IEC) combines strategies and approaches that enable the organisations, communities and stakeholders to play key roles in achieving and sustaining their defined goals. IEC is the back bone of any organization to channelize the promotional activities. It is the most crucial component, requires continuous and constant efforts targeted at various stakeholders. It empowers people to make decisions and modify behaviours.

14.2 IEC activities are developed based upon needs assessments, to enhance the visibility, educate about the Act, Rules & Regulations and to generate awareness. Using various channels of communication we disseminate valuable information to address different target groups.

14.3 A number of activities have been organized to make stakeholders aware about the essential elements of the Act, Rules & Regulations involving print and electronic media. IEC materials in the form of booklets/ leaflets/ posters, etc. have been developed on food safety, personal hygiene for food handlers, kitchen food safety, Food Handlers Do's and Don'ts, points on food safety to be considered while consuming street foods, licensing, registration, food import clearance, labelling, adulteration of milk and milk products, Food safety for children, Food safety at home etc. for various stakeholders of FSSAI.

14.4 Mass Contact Activation Programme (MCAP) in 08 Districts of Uttar Pradesh was conducted by the Din Dayal Upadhyay State Institute of Rural Development (DDU SIRD), Govt. of Uttar Pradesh on behalf of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The aim of the Programme was to educate the stakeholders about FSSAI on aspects relating to FSS Act, Rules and Regulations, objectives, roles and functions of FSSAI, food safety and standards, common methods for detection of adulteration in food and how to report a problem in food etc.

14.5 Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), WHO Country Office for India, Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and National Centre for Diseases Control (NCDC) organized a national consultation on 1st April 2015 at New Delhi as a curtain raiser event for World Health Day 2015.

14.6 Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) organised an awareness programme in the Lady Irwin College, New Delhi on the occasion of World Health Day, 2015 (WHD 2015) on 07th April, 2015;

14.7 On behalf of the Food Safety and Standards Authority of India, the Directorate of Food & Drugs Administration, in collaboration with the Goa College of Home Science, Government of Goa organized a two-day Food Safety Sensitization Workshop for the Street Food Vendors on 23rd -24th June, 2015 at the Home Science College Campus, Campal, Panaji, Goa.

14.8 FSSAI participated in a joint awareness campaign with Department of Consumer Affairs under the aegis of "Jago Grahak Jago" in 2015-16.

14.9 FSSAI participated in the 35th India International Trade Fair, 2015 (IITF-2015) during 14-27 November, 2015 at Pragati Maidan, New Delhi by putting up a stall under "Health Pavilion" of the Ministry of Health and Family Welfare.

14.10 The Scheme titled "Scheme for associating Central / State Government Agencies, Consumers' Organizations, Non-Governmental Organizations and other Institutions including Government Universities / Colleges working in the area of food safety for undertaking Information, Education and Communication (IEC) activities on behalf of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)" was formulated and announced.

14.11 Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) issued draft guidelines titled "Guidelines for making available wholesome, nutritious, safe and hygienic food to school children in India".

14.12 Brainstorming Workshop

14.12.1 FSSAI organized a brainstorming workshop on social marketing of food safety and promotion of wholesome food on 12th March 2016 with the intention to come up with creative ideas revolving around food safety and its awareness at large.

14.12.2 The workshop was attended by more than 65 participants from different fields from Delhi Food Safety Department, Indian Institute of Mass Communication (IIMC), AIIMS, IDA, CII-FACE, Nestle India Ltd., Dabur, GSK, Cargill, HUL, NISG, Technical Experts, artists etc.

14 .12.3 The views of the individual groups on various themes were shared with each other resulting in evolved ideas like educating and engaging people through social or multimedia, understanding of different customers' segments, creation of single platform for regulation and enforcement, involvement of State Govts. for better outreach, food apps to calculate the nutrients level of food.

14.13 Awareness Campaign in Delhi Metro Trains:

14.13.1 An awareness campaign was undertaken in Delhi Metro Trains for one month in March-April, 2016 through display of educative/awareness panels in metro trains of all routes.

14.14 Street Food Festival:

14.14.1 A Street Food Festival was organised on 13th March, 2016 at Central Park, New Moti Bagh. The Street Food Festival comprised several parallel activities like Street Food Vendor Training, Presentation of I-Cards and Hygiene Kits to qualified vendors, Vendor Registration, Quiz Contests and Games on Food Safety and Balanced Diet for visitors. An FSSAI Mobile App was also launched during the festival to enable the stakeholders to raise their concerns about food safety through this application. Shri Jagat Prakash Nadda, Hon'ble Minister of Health and Family Welfare and Shri Rajiv Pratap Rudy, Hon'ble Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship (Independent Charge) and Parliamentary Affairs, Government of India also attended the Festival, among others.

14.15 Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), in partnership with Ministry of Skill Development, Ministry of Health and Family Welfare, Delhi State Government, Tourism and Hospitality Skill Council (THSC), National Association of Street Vendors of India (NASVI) and CII-Jubilant Bhartia Food and Agriculture Centre of Excellence (FACE) launched 'Clean Street Food-Delhi Project' during the Street Food Festival.

14.16.1 The Food Safety and Standards Authority of India participated in the 31st AAHAR International Food & Hospitality Fair, 2016 during March 15-19, 2016 at Pragati Maidan, New Delhi by putting up a stall.

14.16.2 The FSSAI stall was inaugurated by Shri Ashish Bahuguna, Chairperson FSSAI in the presence of Mr. Pawan Agarwal, CEO, FSSAI, Mr. BK Dubey, Director, FSSAI, representatives of associations from FICCI and AIFPA.

14.16.3 The FSSAI stall was attended by a large number of visitors which included Food Business Operators from various parts of the country and from other countries, Importers, Consumers of various groups like women, youngsters, School children, College Students etc. The average footfall of the stall was 150-250 per day.

14.17 FSSAI has its Facebook page wherein tips related to food safety & hygiene are being provided on a regular basis given that the public's well being is the ultimate objective of a national food safety system. The following campaigns were undertaken during 2015-16;

#Hygiene & Sanitary Standards,

#The Five Keys To Safer Food, and

#Street Food Safety

14.18 FSSAI has a dedicated and well maintained website www.fssai.gov.in, where the FSS Act/Rules/ Regulations along with other articles, advisories, notifications, information on detection of adulterants etc. are updated from time to time.

14.19 FSSAI has uploaded original videos on You Tube to spread awareness about food adulteration.

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2015 के अवसर पर लेडी इरविन महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

Awareness programme on the occasion of the World Health Day 2015 (WHD 2015) in the Lady Irwin College, New Delhi.

गृह विज्ञान महाविद्यालय परिसर, केम्पाल, पणजी, गोवा में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए दो दिवसीय खाद्य संरक्षा सुग्राहीकरण विषय पर दिनांक 23-24 जून, 2015 को आयोजित कार्यशाला

Two-day Food Safety Sensitization Workshop for the Street Food Vendors on 23rd-24th June, 2015 at Home Science College Campus, Campal, Panaji, Goa.

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2015 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का स्टाल

FSSAI's Stall at IITF-2015

12 मार्च, 2016 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित खाद्य संरक्षा एवं संवर्धन की सोशल मार्केटिंग विषय पर विचार कार्यशाला में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ब्रीफींग

CEO, FSSAI briefing the participants during the brainstorming workshop on social marketing of food safety and promotion of wholesome food on 12th March 2016-organised by FSSAI.

दिल्ली मेट्रो रेल में मार्च-अप्रैल, 2016 में शैक्षिक /जागरूकता पट्टिकाओं द्वारा जागरूकता अभियान

Awareness campaign through display of educative/awareness panels in Delhi Metro Trains in March-April, 2016

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 13 मार्च, 2016 को केन्द्रीय पार्क, न्यू मोतीबाग में स्ट्रीट फूड उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मोबाइल एप्प भी लॉन्च की गई ताकि आमजन खाद्य संरक्षा के बारे में अपने विचार इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रकट कर सकें।

Street Food Festival organised by FSSAI on 13th March, 2016 at Central Park, New Moti Bagh, New Delhi. An FSSAI Mobile App was also launched during the festival to enable the stakeholders to raise their concerns about food safety through this application.

स्वच्छ स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट का प्रारम्भ – दिल्ली प्रोजेक्ट

Launching of Project Clean Street Food – Delhi Project

स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं खाद्य संरक्षा के सुझाव पर्चों का वितरण

DiI-card and food safety tips leaflet to Street Food Vendors.

31वीं एएएचआर अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं मेजबानी मेला 2016 (मार्च 2015-16) का उद्घाटन श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा श्री पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया।

FSSAI stall at 31st AAHAR International Food & Hospitality Fair, 2016 (March 2015-16) inaugurated by the Shri Ashish Bahuguna, Chairperson, FSSAI in the presence of Shri Pawan Agarwal, CEO,FSSAI.

Chapter-15

International Cooperation

15.1 In line with the FSS Act, the Food Authority is required to provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving co-operation with international organizations. The Food Authority shall also promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations and promote consistency between international technical standards and domestic food standards. FSSAI is also the national enquiry point for SPS (Sanitary and Phytosanitary) issues and, thus, regularly participates in various bilateral meetings for co-operation in the area of food standards, food safety and capacity building of labs. FSAI has been part of the following during the year 2015-16.

15.1.1 The ban on import of milk and milk products, including chocolates and chocolate products and candies/confectionaries/food preparations with milk and milk solids as ingredients from China was reviewed and in absence of any credible report and supporting data, it was recommended that the ban may be extended for a period of one year i.e. upto 23rd June, 2016 unless the safety risk assessment is undertaken based on availability of credible reports and supporting data in respect of the said products, warranting the review of this ban.

15.1.2 Joint Statement of Intent (JSI) was signed between the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL) and Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Germany and FSSAI on cooperation in the areas of food safety on 05th October, 2015. The objective of the JSIs signed is to develop and maintain bilateral cooperation between the Parties based on mutual interest in the sphere of their respective competence and according to their capacities in the field of food safety and risk management and to improve the cooperation in the field of food safety and to protect the health and safety of consumers in both countries.

15.1.3 A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), France and FSSAI for cooperation in food safety on 25th January, 2016. The objective of this MoU is to promote improved scientific and technical cooperation between the Parties. The agencies wish to collaborate in the area of food safety, in particular, in risk assessment methodologies, food risk analysis, laboratories practices, methodology of total diet study.

15.1.4 FSSAI conducted a Technical Symposium on Food Safety Science in collaboration with USFDA on 28th September, 2015 at India Habitat Centre, New Delhi. The objective of this scientific exchange visit was to establish linkages at the technical level and to foster increased understanding of the basis for USFDA's science policy and to deepen mutual understanding on the science side of food safety through dialogue, trust and cooperation and the exchange of views on subjects of priority interest to both the parties – USFDA and FSSAI. The eminent speakers from USFDA disseminated information on various technical aspects of USFDA's Food Safety enforcement structure, monitoring, inspections, risk assessment and management system, packaging and labelling issues etc. The

Symposium helped in enhancing the knowledge base of the stakeholders and the participants and will help in fostering the bilateral cooperation on food safety in future.

15.1.5 Further, regular meetings were conducted with the delegation of various countries with food safety in focus and to enhance mutual understanding and to discuss potential areas of collaboration. During the year 2015-16, the meetings with the delegations of USDA, USFDA, Germany, France, Netherlands, Poland, Sri Lanka, Singapore, Japan, Australia etc. were conducted which helped the delegates to better understand India's food regulatory system with regards to food packaging, processing, labelling, food import related issues etc. and also helped FSSAI to learn and understand the best practices in food safety in various countries and how the bilateral collaboration can enhance food safety network.

15.2 International Cooperation Cell of FSSAI is regularly working to explore the possibilities of collaboration with various countries/international agencies in the areas of food safety by conducting/ participating in meetings, organizing seminars with various countries to discuss potential areas of collaboration and understanding and implementing the best practices.

Chapter-16

Training and Capacity Building

16.1 Action Plan for Training Division

In terms of section 16(3) (h) of the FSS Act, the Authority is expected to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are interested in starting any food business, whether as a food business operator or employees or otherwise.

16.2 Details of training programmes conducted for Food Safety Regulators during 2015-16:

For the Designated Officers-

Date	Place	State
2nd-4th Nov, 2015	Lucknow	Uttar Pradesh
20th to 22nd Jan, 2016	Delhi	Delhi

16.3 Training of Trainers (ToT) programme through Centralised training at FSSAI.

i. In the matter of training of trainers as per agenda item 8 of 12th CAC meeting held on 01.08.2014, FSSAI suggested to the States/UTs to identify the trainers, who would undergo a ToT program through a centralized training at FSSAI, FDA Bhawan, New Delhi .

ii. The 2nd phase of this ToT programme was held at FSSAI, FDA Bhawan, New Delhi from 22nd July to 24th July, 2015. States of Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh and Railway Board participated during this phase .

1.4 Technical Officers Training at regional offices of FSSAI

i. In the meeting of Central Licensing Authorities and Authorised Officers held on 8th and 9th September, 2014 at FDA Bhawan, FSSAI, New Delhi, it was decided that the Technical officers posted at regional and sub offices should be imparted training on technical and legal issues.

ii. Details of training programmes conducted for Technical Officers during 2015-16 are:

Date	Place	Offices covered
20th to 21st June, 2015	Chennai	Chennai and Cochin
8th to 11th Oct, 2015 (two batches)	Delhi	Delhi and Headquarter

16.5 Project Clean Street Food-Delhi

The Project- Clean Street Food has been conceived by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to enhance the popularity of street food by transforming it into a global brand by itself.

By building on the lessons of past initiatives in the foods arena, the Project would see the FSSAI work closely with other Ministries of the Government of India to train street vendors in aspects of safe food and hygiene so that they may improve the quality of their offerings and thereby be in a position to attract more customers and increase their earnings.

Apart from raising the health and safety standards of street foods, the Project will play a big role in the social and economic uplift of the street vendor community by providing them with skills training under FBO training and RPL (Recognition Prior to Learning) component of the Government's flagship Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) . Besides, it will help India's food streets to emerge as new tourist attractions by themselves as in many other parts of the world.

The Project was launched on 13th March, 2016 during the Street Food Festival program held at Central Park, New Moti Bagh, New Delhi on 13th March, 2016. Under this project, more than 23,000 street food vendors were provided training on basic hygiene and food handling practices across Delhi at 40 identified location with 8 training partners. Some other State/UT Governments have shown their interest in organising similar programme in their respective jurisdiction.

Chapter-17

Information Technology

17.1 An internal IT division has been created to build a comprehensive IT system which covers all functions carried out by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The new integrated system will include currently functional imports and Licensing and registration system and will cover functionalities like Food standards formation, Quality assurance activities like lab ecosystem, Surveillance, enforcement, product approval etc.

17.2 It has been decided that the IT team will take over the Import Clearance system and Licensing and registration system from National Institute for Smart Governance (NISG) in due course. The IT Team is envisaged to perform some development activities in-house and strategically outsource some components to third parties for speedier implementation.

1.3 FSSAI mobile App has been developed wherein public can verify the registration and licensing details of Food Business Operators licensed/registered under FSS Act, 2006. A consumer can also raise his concerns w.r.t. food and food products through mobile app..

1.4 For speedier import clearance Pre-arrival document scrutiny system was implemented. Through this system Importers can take benefit of document scrutiny before a consignment reaches port. This will save 3-4 days of time taken for document scrutiny.

1.5 Import Prioritisation system has also been planned for implementation. Under this system, based on compliance history of Importer, country of Import and food item, consignments will be cleared for imports without any testing. Currently, all import consignments are tested in labs and cleared on the basis of test reports. It is envisaged to clear 75% of risk foods and 95% of non-risk foods based on compliance factors as mentioned above.

Chapter-18

RTI Matters:

Following statement depicts facts in respect of RTI requests received in Food Safety and Standards Authority of India:

	Opening Balance as on beginning of 1st Quarter (Apr15- Mar-16)	Received during the quarter (including cases transferred to other PA s)	No. of Cases transferred to other PAs u/s 6(3)	Decisions where requests/appeals rejected	Decisions where requests/appeals accepted
Request	7	1267	283	85	895
First Appeals	0	56	0	56	0

No. of CPIOs designated	**No. of Appellate Authority designated**
16	13

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests													
Relevant Sections of RTI Act 2005													
Section 8 (1)											Sections		Others
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83

Block II (Details about fees collected, penalty imposed and disciplinary action taken)			
Registration Fee Collected(in Rs.) u/s 7(1)	Addl. Fee Collected (in Rs.) u/s 7(3)	Penalty Amount Recovered (in Rs.) as directed by CIC u/s 20(1)	No. of cases where disciplinary action taken against any officer u/s 20(2)
5164/-	**3961/-**	**0**	**0**

Last date of uploading the pro-active disclosures on the website. July, 2015

Chapter 19

Rajbhasha

Several steps were taken during the year 2015-16 to promote use of Hindi in the official work of the Authority. During the year, meetings of the Official Language Implementation Committee were held every 3 months and decisions taken during these meetings were implemented. 50 employees were trained through Hindi workshops. Unicode was installed in all Computers. Resultantly, higher percentages of letters were issued in Hindi by various Divisions. Hindi was also increasingly used in the file noting. A Hindi Fortnight was organised in September, 2015. During this Fortnight, employees enthusiastically participated in various competitions such as Hindi Essay, Oratory, Hindi knowledge, poetry etc. Quarterly progress reports were sent online to Department of Official Language (MHA), Ministry of Health & Family Welfare and City Official Language Implementation Committee. The Authority is also a member of the City Official Language Implementation Committee and participated in the meetings organised by the Committee during the year. Authority was awarded 'Hindi Samvardhan Puraskar' by an organisation for promoting use of Hindi and official language policy of the Government.

Chapter-20

FINANCIAL STATEMENTS

Food Safety and Standards Authority of India

(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2016

(Amount in Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	1,361,893,931	1,008,673,173
Reserves And Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	23,401,497	23,401,497
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities & Provisions	7	288,156,677	306,135,415
TOTAL		1,673,452,105	1,338,210,085
ASSETS			
Fixed Assets	8	37,340,873	25,702,389
Investments-From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments-Others	10	-	-
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,636,111,232	1,312,507,696
Miscellaneous Expenditure		-	-
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		**1,673,452,105**	**1,338,210,085**
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

Asstt. Director (Finance, Budget & Accounts)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FSSAI

PLACE : NEW DELHI
DATE : 08.09.2016

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2016

(Amount in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Services	12	223,428,822	230,354,819
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India	13	455,141,503	446,504,600
Fees/Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	78,181,448	46,259,759
Other Income	18	2,998,906	173,767
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19	-	-
TOTAL(A)		759,750,679	723,292,945
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	87,970,983	91,083,337
Administrative Expenses etc.	21	297,173,412	287,665,631
Repair & Maintenance Expenses	22	6,267,731	7,551,054
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	5,500,000	3,000,000
Depreciation	24	9,617,795	9,109,203
Interest	25	-	-
TOTAL(B)		406,529,921	398,409,225
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		353,220,758	324,883,720
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		353,220,758	324,883,720
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

Asstt. Director (Finance, Budget & Accounts)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FSSAI

PLACE : NEW DELHI
DATE : 08.09.2016

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	**Current Year**	**Previous Year**
Balance as at the beginning of the year	1,008,673,173	681,710,167
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct) :Balance of net income/(expenditure)transferred from the		
Income and Expenditure Account	353,220,758	326,963,006
Less: amount transferred to Fixed Asset Fund		
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**1,361,893,931**	**1,008,673,173**
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	**Current Year**	**Previous Year**
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
2. Revalution Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs)

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**CURRENT YEAR**	**PREVIOUS YEAR**
	Fixed Asset Fund	**Fixed Asset Fund**
a) Opening balance of the funds	23,401,497	23,401,497
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on account of funds	-	-
iii. Other additions (specify nature)		
a) Capital Expenditure - Plan	-	-
b) Capital Expenditure - Non Plan	-	-
c) Gifted Capital	-	-
e) Staff Subscription to GPF	-	-
f) Interest credited in GPF Account	-	-
g) Refund of Advance	-	-
iv. Accumulated Reserve	-	-
v. Transfer to Corpus fund		-
Total (b)	**-**	**-**
TOTAL (a+b)	**23,401,497**	**23,401,497**
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	-	-
-Fixed Assets	-	-
-Others	-	-
- Disposal of unserviceable material	-	-
- Depreciation during the year	-	-
Total	**-**	**-**
ii. Revenue Expenditure		
-Salaries, Wages and allowances etc.	-	-
-Rent	-	-
-Other Administrative expenses	-	-
- Advance to staff	-	-
- Final Payment to Staff and Artists	-	-
- Transferred to Unclaimed Balances	-	-
- Final Withdrawls by staff	-	-
Total	**-**	**-**
TOTAL (c)	**-**	**-**
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	**23,401,497**	**23,401,497**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS		
1.Central Government	-	-
2. State Government(Specify)	-	-
3. Fiancial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
-Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans(specify)	-	-
5. OtherInstitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	**Current Year**	**Previous Year**
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services **(as per Schedule-7.1)**	36,699,080	46,912,209
b) Others **(as per Schedule-7.2)**	-	20,569
3. Earnest Money Deposits	311,000	236,000
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5.Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	310,380	(2,571)
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	438,873	268,011
b) Stale Cheques	1,509,697	1,273,661
c) Security Deposits Received	10,206,488	8,839,165
7. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	236,918,338	234,859,841
TOTAL (A)	**286,393,856**	**292,406,885**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs)

B. PROVISIONS				
	1. For Taxation			-
	2. Gratuity		-	-
	3. Superannuation/Pension		-	-
	4. Accumulated Leave Encashment		-	-
	5. Trade Warranties/Claims		-	-
	6. Others (Specify)		-	-
	a)	Legal & Professional Expenses	-	3,100,735
	b)	Salary Expenses	-	3,000,000
	c)	Office Maintenance Expenses	-	1,258,436
	d)	Conference Expenses	-	50,000
	e)	Rent Rate & Taxes Expenses	250,000	250,000
	f)	Training Expenses	-	500,000
	g)	Motor Vehicle Expenses	-	670,355
	h)	Office Expenses	810,264	1,000,000
	i)	Supply & Material Expenses	150,056	184,060
	j)	Travelling Expenses	552,501	979,110
	k)	leave salary & Pension Cont. Expenses	-	2,635,834
	l)	Audit Fees Expenses	-	50,000
	m)	Medical Expenses	-	50,000
	TOTAL (B)		1,762,821	13,728,530
	TOTAL (A+B)		**288,156,677**	**306,135,415**

		Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/SERVICES			
1	Controller Food & Drug Administration	-	500
2	R.K Saxena, Deputy Director	-	60
3	Rajesh Kumar, Scientist	18,259	-
4	Ravinder Kumar, Asst. Director	7,748	-
6	Accredited Laboratories Claims	36,673,073	46,911,649
	TOTAL	**36,699,080**	**46,912,209**

		Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS			
1	Interest Expenses Payable	-	20,569
	TOTAL	-	**20,569**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016
SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

Sl. No	Description		Rate of Dep.	GROSS BLOCK					DEPRECIATION					NET BLOCK	
				Cost/valuation As at beginning of the year	Additions during the year		Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
					Addition upto 30.09.2015	Addition After 30.09.2015									
A.	Land:-														
	a)	Freehold	0%												
	b)	Leasehold	0%												
B.	Building:-														
	a)	On Freehold Land	0%	-				-	-	-					-
	b)	On Leasehold Land (Civil work)	10%	2,185,700	-	3,055,185	-	5,240,885	267,749	191,795	152,759	-	612,303	4,628,582	1,917,951
C.	Plant, Machinery & Equipments							-		-	-	-			
	a)	Lab Equipments	15%	4,555,587	455,263	175,913		5,186,763	1,862,563	403,954	81,483	-	2,348,000	2,838,763	2,693,024
	b)	Water Pipeline	15%	288,891				288,891	149,388	20,925	-	-	170,313	118,578	139,503
	c)	Machinery & Equipment	15%	3,050,864				3,050,864	657,991	358,931	-	-	1,016,922	2,033,942	2,392,873
D.	Vehicles- Ambassador Car		15%	563,772				563,772	406,195	23,637	-	-	429,832	133,940	157,577
E.	Furnitures & Fixtures		10%	7,206,452	1,068,256	650,314		8,925,022	1,752,080	545,437	139,341	-	2,436,866	6,488,165	5,454,372
F.	Furnitures & Fixtures (Benfish Building)		10%	2,331,700				2,331,700	285,633	204,607	-	-	490,240	1,841,460	2,046,067
G.	Office Equipments							-		-	-	-			
	1	Electronic Attendance Machine	15%	80,608		21,658		102,266	46,706	5,085	1,624	-	53,416	48,850	33,902
	2	Photocopy Machine	15%	2,122,406	2,052,490	-		4,174,896	1,096,401	153,901	307,874	-	1,558,175	2,616,721	1,026,005
	3	Refrigerator	15%	212,585				212,585	105,146	16,116	-	-	121,262	91,323	107,439
	4	Room Heater	15%	4,000	6,980			10,980	300	555	1,047	-	1,902	9,078	3,700
	5	Scanning Machine	15%	156,750	-			156,750	92,415	9,650	-	-	102,065	54,685	64,335
	6	Vaccum Cleaner	15%	7,790				7,790	4,852	441	-	-	5,293	2,497	2,938
	7	VGA Switcher & Splitter	15%	119,855	8,000			127,855	38,413	12,216	1,200	-	51,829	76,026	81,442
	8	Beetel Twin Phones	15%	10,931				10,931	6,592	651	-	-	7,243	3,688	4,339
	9	Mobile Phones	15%	184,662				184,662	101,217	12,517	-	-	113,734	70,928	83,445
	10	Cordless Phones	15%	8,476				8,476	5,770	406	-	-	6,176	2,300	2,706
	11	Fax Machines	15%	229,930				229,930	135,483	14,167	-	-	149,650	80,280	94,447
	12	Gyser	15%	16,042				16,042	10,919	768	-	-	11,687	4,355	5,123
	13	Micro Wave	15%	13,350				13,350	8,830	678	-	-	9,508	3,842	4,520
	14	Oil Field Radiator	15%	25,365				25,365	16,532	1,325	-	-	17,857	7,508	8,833
	15	Voltage Stablizer	15%	25,950				25,950	16,718	1,385	-	-	18,103	7,847	9,232
	16	Water Dispenser	15%	20,500				20,500	11,938	1,284	-	-	13,222	7,278	8,562
	17	Audio Conference System	15%	1,051,812				1,051,812	685,527	54,943	-	-	740,470	311,342	366,285
	18	LCD TV	15%	1,657,109				1,657,109	1,036,196	93,137	-	-	1,129,333	527,776	620,913
	19	Plasma TV	15%	2,568,875				2,568,875	1,689,753	131,868	-	-	1,821,621	747,254	879,122

Sl. No	Description		Rate of Dep.	GROSS BLOCK					DEPRECIATION					NET BLOCK	
				Cost/valuation As at beginning of the year	Additions during the year		Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
					Addition upto 30.09.2015	Addition After 30.09.2015									
	20	Pumpset	15%	13,473	14,700			28,173	2,021	1,718	2,205	-	5,944	22,229	11,452
	21	Tata Sky & EPRS System	15%	29,495				29,495	18,454	1,656	-	-	20,110	9,385	11,041
	22	Siemen Hi Path 1150 Digital & Optipoint	15%	861,793				861,793	391,273	70,578	-	-	461,851	399,942	470,520
	23	Speaker	15%	14,350				14,350	8,938	812	-	-	9,750	4,600	5,412
	24	Digital Camera	15%	83,050				83,050	47,499	5,333	-	-	52,832	30,218	35,551
	25	Office Appliances	15%	83,680	14,879			98,559	40,078	6,540	2,232	-	48,850	49,709	43,602
	26	Blue Ray Disc Player	15%	99,000				99,000	55,073	6,589	-	-	61,662	37,338	43,927
	27	LCD Projector	15%	247,950				247,950	96,566	22,708	-	-	119,274	128,676	151,384
	28	Cooler	15%	77,722	45,975			123,697	39,969	5,663	6,896	-	52,528	71,169	37,753
	29	Franking Machine	15%	344,940				344,940	178,383	24,984	-	-	203,367	141,573	166,557
	30	Visicooler & Deep Freezer	15%	107,437				107,437	51,354	8,412	-	-	59,766	47,671	56,083
	31	Phone	15%	21,614		4,200		25,814	7,906	2,056	315	-	10,277	15,537	13,708
	32	TATA Sky	15%	7,622				7,622	5,261	354	-	-	5,615	2,007	2,361
	33	Air Conditioner	15%	195,488				195,488	64,841	19,597	-	-	84,438	111,050	130,647
	34	Voice Recorder	15%	6,490				6,490	487	900	-	-	1,387	5,103	6,003
	35	Transformer	15%	-	1,253,668			1,253,668	-	-	188,050	-	188,050	1,065,618	-
H.	Computer Peripherals							-		-	-	-			
	1	Computer	60%	12,275,112	33,825	6,474,018	-	18,782,955	10,360,720	1,148,635	1,962,500	-	13,471,856	5,311,099	1,914,392
	2	UPS & Battery	15%	942,270	11,812	991,671		1,945,753	482,956	68,897	76,147	-	628,000	1,317,753	459,314
	3	Printer & Scanner	15%	2,343,177	21,690	698,250		3,063,117	1,476,471	130,006	55,622	-	1,662,099	1,401,018	866,706
	4	Cisco 2821 Security Bundle	15%	171,306				171,306	100,997	10,546	-	-	111,543	59,763	70,309
	5	Computer Software	60%	1,262,625		2,386,169		3,648,794	1,132,029	78,358	715,851	-	1,926,237	1,722,557	130,596
	6	Library Software Sysyem	60%	228,800				228,800	227,160	984	-	-	228,144	656	1,640
	7	Networking Equipment	15%	679,903	14,912	91,791		786,606	254,805	63,765	9,121	-	327,691	458,915	425,098
	8	Web Cam	15%	18,900				18,900	11,562	1,101	-	-	12,663	6,237	7,338
	9	Server	60%	6,528,777		1,682,935		8,211,712	5,484,173	626,762	504,881	-	6,615,816	1,595,896	1,044,604
I.	Library books		60%	4,659,971	7,185	14,541		4,681,697	3,272,237	832,640	8,673	-	4,113,551	568,146	1,387,734
	TOTAL (A)			60,004,907	5,009,635	16,246,645	-	81,261,187	34,302,520	5,399,973	4,217,822	-	43,920,322	37,340,873	25,702,389
	PREVIOUS YEAR			50,565,557	4,250,496	6,134,963	946,109	60,004,907	18,166,270	5,316,816	2,121,770	408,669	34,302,518	25,702,389	23,292,957

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**Current Year**	**Previous Year**
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	**-**

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	**Current Year**	**Previous Year**
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Work-in-progress - Northern Region (CHEB)	4,590,000	4,590,000
Work-in-progress - Regional Office Chennai	5,691,464	3,524,614
Work-in-progress - Regional Office Kolkata	-	3,055,185
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	40,884	45,884
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
-On Current Accounts	-	9,933,766
-On Deposit Accounts	1,408,292,937	608,880,974
-On Regional Offices Saving Accounts	30,926,821	51,312,079
-On Saving Accounts with Headquarter & Others	19,422,710	496,656,908
-TDS Deducted on F.D's	7,858,543	1,191,413
b) With non-scheduled Banks:		
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts	-	-
-On Saving Accounts	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-
TOTAL(A)	**1,476,823,359**	**1,179,190,823**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	**Current Year**	**Previous Year**
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that	-	-
of the Entity	-	-
c) Other(specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for		
value to be received		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	-	-
c) Others	-	-
- Security Deposits	18,870,620	12,687,070
- Central Drugs Standards Control Organisation (60% Share)	33,816,975	21,978,385
- Advance given in the F.Y 2015-2016 **(Annexure I)**	19,470,359	-
- Advance given in the F.Y 2014-2015 **(Annexure I)**	17,803,085	28,809,350
- Advance given in the F.Y 2013-2014 **(Annexure I)**	55,114,564	55,629,798
- Advance given during F.Y 2008-2009 to F.Y 2012-2013 **(Annexure I)**	14,212,270	14,212,270
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		-
b) On Investments - Others	-	-
c) On Loans & Advances	-	-
d) Others		
4. Claims Receivable	-	-
TOTAL(B)	**159,287,873**	**133,316,873**
TOTAL(A+B)	**1,636,111,232**	**1,312,507,696**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(Amount in Rs.)

			Current Year	Previous Year
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES				
	1) Income from Sales			
		a) Sale of Finished Goods		
		b) Sale of Raw Material	-	-
		c) Sale of Scraps	-	-
	2) Income from Services			
		a) Licence Fee	195,939,501	188,011,968
		b) Sample Testing Fee	6,439,320	6,942,795
		c) Product Approval Fee	21,050,001	35,400,056
	TOTAL		**223,428,822**	**230,354,819**
			Current Year	**Previous Year**
SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES				
	1) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)		548,800,000	411,100,000
	2) State Government		-	-
	3) Government Agencies		-	-
	4) Institutions/Welfare Bodies		-	-
	5) International Organisations		-	-
	6) Others :			
	Add: Unspent balance at the beginging of the year		234,859,841	270,264,441
	Less: Grants Refunded to Ministry		(91,600,000)	-
	Less: Unspent balance of grant at the end of the year		(236,918,338)	(234,859,841)
	Less: Grants Capitalised during the year		-	
			-	-
	TOTAL		**455,141,503**	**446,504,600**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(Amount in Rs.)

			Current Year	Previous Year
SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS				
	1) Entrance Fees		-	-
	2) Annual Fees/Subscriptions		-	-
	3) Seminar/Program Fees		-	-
	4) Consultancy Fees		-	-
	5) Others		-	-
	TOTAL		-	-
				(Amount Rs.)
			Current Year	**Previous Year**
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS				
	1) Interest			
		a) On Govt. Securities	-	-
		b) Other Bonds/Debentures	-	-
	2) Others:			
	-	Interest from investments	-	-
	TOTAL		-	-
	TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		-	-

FOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	**CURRENT YEAR**	**PREVIOUS YEAR**
1	Income from Royalty	-	-
2	Income from Publication	-	-
3	Others (Specify)	-	-
		-	-
	TOTAL	-	-

		CURRENT YEAR	**PREVIOUS YEAR**
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED			
1	On Term Deposits		
	a) With Scheduled Banks		
	I Bank of Baroda	23,746,554	3,795,410
	II ICICI Bank	16,298,153	3,974,194
	III Oriental Bank of Commerce	14,947,152	4,144,516
	IV Canera Bank	8,634,583	-
	b) Earned from Autosweep	2,095,582	-
	c) With Institutions		-
	d) Others		-
2	On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks	19,638,833	34,345,639
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) Post Office Saving Accounts	-	-
	d) Others: Interest refunded to Ministry	(7,179,409)	-
3	On Loans:	-	
	a) Employees/Staff	-	-
	b) Others	-	-
	TOTAL	**78,181,448**	**46,259,759**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	**CURRENT YEAR**	**PREVIOUS YEAR**
1	Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2	Miscellaneous Income		
	-Guest House Earnings	166,159	119,711
	-Sale of old Newspapers/Scrap	36,442	21,946
	-Sale of Tender Form	16,500	1,000
	-RTI Fees	19,067	21,516
	-Others: Rejected Samples	2,512,066	-
	Penal Interest & Recoveries	-	9,594
	-CPF Receipts	248,672	-
	TOTAL	**2,998,906**	**173,767**
		CURRENT YEAR	**PREVIOUS YEAR**
	SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS		
a)	Closing Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
b)	Less: Opening Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
	NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	**-**	**-**
		CURRENT YEAR	**PREVIOUS YEAR**
	SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES		
	a) Salaries and Wages	81,087,145	90,534,629
	b) Allowances and Bonus	20,539	31,086
	c) Staff Welfare Expenses	-	-
	d) Leave Salary and Pension Contribution	5,434,687	-
	e) Others:		
	-Reimbursement of Medical Claims	1,428,612	517,622
	TOTAL	**87,970,983**	**91,083,337**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES		**CURRENT YEAR**	**PREVIOUS YEAR**
a)	Labour and processing expenses	-	-
b)	Electricity and Power	5,876,868.00	5,137,138.00
c)	Water charges	677,992.00	752,919.00
d)	Rent, Rates and Taxes	44,945,336.00	29,840,308.00
e)	Postage and Communication Charges	633,765.00	704,563.00
f)	Printing & Stationery (Supply & Material)	4,572,162.00	410,714.00
g)	Travelling and Conveyance Expenses	19,792,238.00	24,128,804.00
h)	Expenses on Seminar/Workshops (CM&S)	8,049,173.00	1,406,164.00
i)	Subscription Expenses (Contribution to Codex Trust Fund)	962,894.00	912,513.00
j)	Auditors Remuneration	3,200.00	-
k)	Legal & Professional Charges	160,622,209.00	179,132,176.00
l)	Expenses on operationalisation of food Import Clearance Process	-	-
m)	IEC & Publicity Expenses	17,618,247.00	10,521,481.00
n)	Office Expenses	11,805,138.00	7,113,121.00
o)	Training Charges	2,728,259.00	4,865,184.00
p)	Publication expenses	-	-
q)	Telephone & Mobile Expenses	1,051,139.00	854,687.00
r)	Entertainment Exp	10,400.00	142,059.00
s)	Guest House.	-	-
t)	Sample Charges	-	-
u)	Security Charges	-	-
v)	Other Administrative Expenses		
	-Bank Charges	52,255.00	32,436.00
	-Internet Charges	120,624.00	75,478.00
	-Computer Expenses	-	-
	-Membership Fees	-	-
	-Digitisation charges	-	-
	-Penalty	-	-
	-Others	15,545,117.00	17,367,226.00
w)	Prior Period Expenditure	2,106,396.00	4,268,660.00
	TOTAL	**297,173,412**	**287,665,631**
SCHEDULE 22 -Repair & Maintenance Expenses		**CURRENT YEAR**	**PREVIOUS YEAR**
Repair & Maintenance			
i)	Repair and Maintenance of Office	6,267,731	7,551,054
ii)	Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	-	-
iii)	Repair, Running and Maintenance of Vehicles	-	-
iv)	Others	-	-
	TOTAL	**6,267,731**	**7,551,054**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
a) Grants Given to Institutions/Organisation (Referral Lab, Pune & CFTRI, Mysore)	5,500,000	3,000,000
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	**5,500,000**	**3,000,000**
	Current Year	**Previous Year**
SCHEDULE 24 - DEPRECIATION		
On Fixed Assets	9,617,795	7,029,917
TOTAL	**9,617,795**	**7,029,917**
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	-	-
TOTAL	**9,617,795**	**7,029,917**
SCHEDULE 25 - INTEREST PAID		
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans	-	-
c) Others- Interest on CPF	-	-
TOTAL	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

Treatment of Unspent Grants on CASH BASIS

		2015-16	2014-15
	Cash & Bank Balance as on last day	19,463,594.00	533,434,203.00
	Balance with Regional Offices	30,926,821.00	24,514,434.00
ADD:	Investments in FD	1,408,292,937.00	608,880,974.00
ADD:	TDS Refundable on FD	7,858,543.00	1,191,413.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2015-16	296,462,374.00	-
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2014-15	301,159,250.00	301,159,250.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2013-14	331,878,910.00	331,878,910.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2012-13	255,325,389.00	255,325,389.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2011-12	31,284,900.00	31,284,900.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2010-11	7,196,249.00	7,196,249.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2009-10	4,983,589.00	4,983,589.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2008-09	1,332,896.00	1,332,896.00
	Unspent Grant for the year (Current Liability)	**236,918,338.00**	**234,859,841.00**
	Grant received during the year	548,800,000.00	411,100,000.00
Add:	Unspent balance at the beginging of the year	234,859,841.00	270,264,441.00
Less:	Unpent balance of grant at the end of the year	(236,918,338.00)	(234,859,841.00)
Less:	Grants Capitalised during the year	-	-
Less:	Grant Refunded to Ministry	(91,600,000.00)	-
	Grants to be shown as Income from Ministry	**455,141,503.00**	**446,504,600.00**
SNO.	**Funds Received other than Grant of FSSAI for the Financial Year**	**2015-16**	**2014-15**
1	License Fee	195,939,501.00	188,011,968.00
2	Product Approval	21,050,001.00	35,400,056.00
3	Sample Testing	(3,799,256.00)	5,584,370.00
4	Rejected Samples	2,512,066.00	-
5	Bank Interest	76,085,866.00	46,259,759.00
6	Auto Sweep Interest	2,095,582.00	-
7	Guest House Fees	166,159.00	119,711.00
8	RTI Fees	19,067.00	21,516.00
9	Sale of Tender/Newspaper	36,442.00	21,946.00
10	Cost of Tender	16,500.00	1,000.00
11	Received from CDSCO	-	25,000,000.00
12	Security Deposit/Earnest Money	942,323.00	516,968.00
13	Prior Period Adjustment	41,592.00	6,792.00
14	Stale Cheques	236,036.00	137,319.00
15	Statutory Deduction from Salary	866,385.00	68,251.00
16	Other Receipts	254,110.00	-
		296,462,374.00	**301,149,656.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2015 TO 31.03.2016

(Amount in Rs.)

S.No.	RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	S.No.	PAYMENTS	CURRENT	PREVIOUS YEAR
I	**Opening Balance**			I	**Expenses**		
	a) Cash in hand	45,884	25,000		a) Establishment Expenses	83,043,214	83,350,785
	b) Bank Balances				(Corresponding to Schedule 20)		
	i) Saving Bank Accounts	557,902,753	902,241,374		b) Administrative Expenses	292,606,442	286,943,702
	ii) Current Deposits		-		(Corresponding to Schedule 21)		
	iii) Deposit Account		-		c) Repair & Maintenance Expenses	7,102,707	7,346,784
					(Corresponding to Schedule 22)		
					d) Other Expenses	559,248	48,667
II	**Grants Received**						
	a) From Government of India			II	**Grants Given**		
	- Ministry of Health & Family Welfare	457,200,000	411,100,000		Grant in Aid	5,500,000	3,000,000
	- Department of Health (Capital Grant)	-	-				
				III	**Investments and deposits made**		
III	**Income on Investments from**				a) Out of Earmarked/Endowment funds		-
	a) Earmarked/Endow. Funds	-	-		b) Out of Own Funds (Investments - Others)	1,408,292,937	600,000,000
	b) Own funds (Oth. Investments)	-	-				
				IV	**Expenditure on Fixed Assets &**		
IV	**Interest Received**				**Capital Work in Progress**		
	On Bank Deposits (Autosweep)	2,095,582	34,345,639		a) Purchase of Fixed Assets	18,201,087	10,385,459
	On Bank Deposits (FDR + Savings)	76,085,866	1,841,733		b) Expenditure on Capital Work in Progress	2,166,850	4,565,040
	Loans, Advances etc.	-	-				
				V	**Advance to Employees**	2,531,707	4,227,543
V	**Income received from Licencee's**						
	- Licence Fees	195,939,501	188,011,968	VI	**Advances to Suppliers/Others**	34,877,932	42,369,890
	- Sample Testing Fees	6,439,320	6,942,795				
	- Product Approval	21,050,001	35,400,056				
VI	**Encashment of Investment**	608,880,974	-	VII	**TDS Deposit:**		
					-on Contractors	423,460	394,009
VII	**TDS Received:**				-on Rent	949,988	331,096
	-on Contractors	-	-		-on Professional	7,850,425	4,086,813
	-on Rent	-	-		-on Salary	3,869,136	4,235,546
	-on Professional	-	-		-on Fixed Deposits	6,667,127	-
	-on Salary	-	-				
				VIII	**Contractor's EMD/ Security Deposits**	253,201,485	1,091,965
VIII	**Advances Adjusted**						-
	-Employees	2,180,324	3,561,200	IX	**Deductions from salary**	6,744,467	6,382,752
	-Suppliers/Others	15,329,975	32,588,991				-
							-
IX	**Any other receipts :**			X	**Stale Cheques**	57,537	65,376
	RTI fees	19,067	21,516				
	Sale of Newspaper	36,442	21,946	XI	**Accredited Laboratories**	255,729,923	232,338,794
	Sale of Tender Form	16,500	1,000				
	Misc. Income	166,159	129,305				
	Rejected Samples	2,512,066	20,087	XII	**Closing Balances**		
	Other Receipts	254,110			a) Cash in hand	40,884	45,884
					b) Bank Balances		
X	**Contractor's EMD/ Security Deposits**	247,960,258	1,608,933		i) Saving Bank Accounts	50,349,531	557,902,753
					ii) Current Deposits		-
XI	**Deduction from salary**	866,385	68,251		iii) Deposit Account		-
XII	**Stale Cheques**	293,573	202,695				
XIII	**Accredited Laboratories**	245,491,347	230,980,369				
	TOTAL	**2,440,766,087**	**1,849,112,858**			**2,440,766,087**	**1,849,112,858**

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016
SCHEDULE 26 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statement are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

License Fees, Product Approval Fees and Sample Testing Fees are recognized as and when received. Other Income is recognized on accrual basis. Interest on saving bank accounts is accounted on accrual basis.

3. INVESTMENTS

Investment classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. **GOVERNMENT GRANTS**

8.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.

8.2 Government Grants of capital nature are recognised on accrual basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.

8.3 Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

8.4 Unutilized grants computed on Cash Basis are carried forward and exhibited as a liability in the balance sheet.

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

9.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

9.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by /on behalf of the Authority – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity– Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Bills discounted with banks– Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

-Income-tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Sales-Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

- Municipal Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entry Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety and Standards Authority of India is a Statutory Authority established under Food Safety & Standards Act, 2006 under the Administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

In the F.Y 2014-15 the Authority has obtained the PAN number i.e **AAAGF0023K** The Food Safety and Standards Authority of India is registered as Trust, and the Authority has obtained exemption from Income Tax under Section 12A of Income Tax Act, 1961.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:

Purchase of finished goods	NIL
Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
Capital Goods	NIL
Stores, Spares and Consumables	NIL

2.2 Expenditure in foreign Currency:

a) Travel	16,15,679/-
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Bank in Foreign Currency	NIL
c) Other expenditure:	
Commission on sales	NIL
Legal and Professional Expenses	NIL
Miscellaneous Expenses	NIL

2.3 Earnings:

Value of exports on FOB basis	NIL
Value of Services	NIL

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to our Authority.

4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as under:-

i) Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

ii) Misc. Receipts like Licence Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, Interest on Fixed Deposits and other miscellaneous receipts, etc.

5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

6. Figures are rounded off to the nearest rupees.

7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed by AGCR adopted by the Authority.

8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2016 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

ANNEXURE I

LOANS AND ADVANCES F.Y 2015-2016		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**AMOUNT**
1	DIRECTORATE OF ADVERTISEMENT AND VISUAL PUBLICITY	1,20,86,630.00
2	INDIA TRADE PROMOTION ORGANIZATION	5,84,637.00
3	DEEN DAYAL UPADHYAYA INST.	23,00,000.00
4	ADVANCES TO STAFF	11,91,465.00
5	TATA SKY	11,770.00
6	FCI, MUMBAI	2,00,000.00
7	CONTROLLER OF PUBLICATION	12,80,750.00
8	CARRIER AIRCONDITIONING	14,69,998.00
9	INDIAN HABITAT CENTRE	89,740.00
10	CENTRAL GOVT. EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION	35,000.00
11	NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES	1,63,369.00
12	DEEN DAYAL UPADHYAYA INSTITUTE	57,000.00
	TOTAL	**1,94,70,359.00**

LOANS AND ADVANCES F.Y 2014-2015

SNO.	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	1,73,39,611.00
2	ADVANCE TO STAFF	1,03,489.00
3	TATA SKY	11,990.00
4	PRAGATI INDIAN OIL	21,840.00
5	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECH	1,50,000.00
6	TATA SKY	10,200.00
7	DIRECTOR OF HEALTH SERVICES (LAKSHYADEEP)	62,750.00
8	INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANNAD	35,955.00
9	FDA CHATTISGARH	67,250.00
	TOTAL	**1,78,03,085.00**

LOANS AND ADVANCES F.Y 2013-2014

SNO.	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	5,50,55,664.00
2	MANUPATRA	46,000.00
3	TATA SKY	9,900.00
4	NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL	1,000.00
5	INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING AND MANAGEMENT	2,000.00
	TOTAL	**5,51,14,564.00**

LOANS AND ADVANCES F.Y 2008-09 TO 2012-2013

SNO.	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	ABP PVT LTD.	14,134.00
2	ALL INDIA FOOD PROCESSING ASSOCIATION	2,167.00
3	AUTHORISED OFFICER CHENNAI	10,000.00
4	AUTHORISED OFFICER JNPT NHAVA SHEVA.	10,000.00
5	AUTHORISED OFFICER SEA PORT CHENNAI.	10,000.00
6	BAG FULL	1,200.00
7	COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, J&K	2,45,073.00
8	CONFEDERATION OF INDIAN INSTT	18,50,000.00
9	CONSUMER ASSOCIATION OF INDIA CHENNAI	58,148.00
10	D.G.ACADEMY OF ADMINISTRATION BHOPAL	90,000.00
11	DAKSH EDUCATION & WELFARE SOCIETY	2,64,900.00
12	DEEN DYAL UPADHYAY	2,34,008.00
13	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY (DAVP)	44,56,977.00
14	DY DIRECTOR SPIPA, AHEMDABAD	1,002.00
15	FICCI	79,750.00
16	GENERAL SECRETARY DELHI TELEGRAPH ACADEMY	50,000.00
17	H.S.C.C. INDIA LTD	16,414.00
18	INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION	2,00,000.00

19	INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT BANGALORE.	4,37,698.00
20	NATIONAL INSTITUTE NUTRITION	47,43,444.00
21	S.S. BUILDCON PVT LTD GHAZIABAD	2,00,000.00
22	STATE HEALTH SOCIETY (IDSL) JAIPUR	4,56,400.00
23	UAHFWS FOOD SAFETY& STANDARDS DEHRADUN	1,61,600.00
24	DEPUTY DIRECTOR CHENNAI	1,10,000.00
25	DEPUTY DIRECTOR (F&VP) NBCC	44,394.00
26	DEPUTY DIRECTOR GUWAHATI	10,000.00
27	DEPUTY DIRECTOR - KOLKATA	62,336.00
28	DEPUTY DIRECTOR MUMBAI	90,000.00
29	LTC ADVANCE	1,96,363.00
30	PITAMBER SINGH	5,625.00
31	R. B. KHOTKAR	4,237.00
32	S.K HALDAR	10,000.00
33	S.S. TOMAR	86,400.00
	TOTAL	**1,42,12,270.00**

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-21/2016-17/ दिनांकः

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2015-16 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित **अस्वीकरण (disclaimer)** अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अग्रेंजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नकः यथोपरि

भवदीया,

(सुमेधा अमर)
उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

Ph. : 91-1123454100
Fax : 91-1123702271

DGACR, Bluilding, I.P. Estate, New Delhi - 110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-21/2016-17/381 दिनांकः 2.3.17

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति **श्री आशीष बहुगुणा,अध्यक्ष,भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002.**को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए,जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

2/3/17

(सुमेधा अमर)
उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-21/2016-17/ दिनांकः

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **प्रधान निदेशक (रिपोर्ट स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.**को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

अनुलग्नकः यथोपरि

-हस्ता-

(सुमेधा अमर)
उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2016

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India (the Authority) as at 31 March 2016, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum- performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1. Liabilities

A.1.1 Earmarked fund (schedule 3) ₹ 2.34 crore

The Authority had shown ₹ 2.34 crore as Earmarked Fund which was the amount of grants-in-aid received from Ministry of Health and Family Welfare during 2011-12 and was spent during that year on procurement of fixed assets for the Authority. The same is continued to be reflected under Earmarked Fund. It should have been reflected under Capital Fund and not under Earmarked Fund which resulted in understatement of Capital Fund and overstatement of Earmarked Fund by ₹ 2.34 crore.

A.1.2. Current Liabilities & Provisions: ₹ 28.81 crore

An amount of ₹ 18.19 crore was collected as fees under the Product Approval Scheme during the period 2012-13 to 2015-16 which was stated to be non-refundable. However, the Product Approval Scheme was quashed by Supreme Court on 19 August 2015. At that time, 1876 applications were pending with the Authority. The fee of the same was not refunded to the applicants and the same was taken as receipt of the Authority. As these applications were pending decision of either rejection or approval of the application, the fees received on these applications should have been shown as liability in the accounts. Hence, the liabilities of the Authority were understated by ₹ 4.69 crore (1876 X 25000).

Further, the amount of fees received under the Product Approval Scheme during the year was treated as income of the Authority. This resulted in overstatement of income of ₹ 2.10 crore.

B. Income & Expenditure account

B.1 Expenditure

B.1.1 Administrative Expenditure ₹ 29.71 crore

The Authority incurred an expenditure of ₹ 0.21 crore on bills pertaining to the previous year. It had failed to make provisions for the payment of ₹ 0.21 crore in liabilities during the previous year and depicted it as prior period expenses in the current year. This is in contravention of AS 5 resulting in overstatement of expenditure and understatement of capital fund by ₹ 0.21 crore.

C. Receipt & Payment Account

C.1. The interest receipt of ₹ 7.60 crore in the Receipt & Payment Account included an accrued interest of ₹ 0.91 crore which was not actually received. This resulted in an overstatement of receipt of ₹ 0.91 crore.

D. General

D.1. The provision for retirement benefits as required in the uniform format of accounts for the central autonomous bodies was not made on actuarial basis.

D.2. Under the schedule 11 Current assets, the Authority has shown work in progress in Northern region (CHEB) ₹ 0.45 crore and Regional office Chennai ₹ 0.56 crore. However, scrutiny of records revealed that these related to the on-going civil work in these areas. As per the Uniform format of accounts these should be shown as capital work in progress under the fixed assets instead of current assets.

D.3. As per AS 1, all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should be disclosed. The Authority although declared in its significant accounting policies that it was exempt from income tax, however, it did not take action to recover the TDS amounting to ₹ 0.78 crore deducted from its income from income tax authorities.

E. Grants-in-aid:

The Authority received grants in aid of ₹ 54.88 crore from Ministry of Health and Family Welfare during the year 2015-16. It had unspent balance of ₹ 23.49 crore at the beginning of the year and had refunded ₹ 9.16 crore. The Authority could utilise a sum of ₹ 45.52 crore, leaving a balance of ₹ 23.69 crore as unutilised grant, as on 31st March 2016.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) as at 31 March 2016 : and

b. In so far as it relates to Income &Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 2.3.17.

Director General of Audit
(Central Expenditure)

Annexure

1. Adequacy to Internal Audit System

The internal audit was conducted by Ministry of Health and Family Welfare up to 2013-14.

2. Adequacy of Internal Control

The internal control was not adequate due to:-

1. Consistent prior period adjustments of Income & Expenditure were observed in the accounts of the Authority since 2009-10.
2. Physical verification in respect of branch offices was not conducted.
3. Internal audit was not done regularly by the Ministry.
4. Statutory liability was outstanding.

3. System of Physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets of the Authority's headquarter was conducted for the year 2015-16. Physical verification of fixed assets in respect of branch offices was not conducted.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory like books, stationery and other consumables was conducted for the year 2015-16. Physical verification of inventory in respect of branch offices was not conducted.

5. Regularity in payment of statutory dues

Statutory liability of ₹ 3.10 lakh was outstanding as on 31.03.16

Food Safety Connect

FOOD SAFETY AND STANDARDS
AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय)

(Ministry of Health and Family Welfare)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली

FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi